खण्ड-238, अंक-10
शुक्रवार, 26 माघ, शक संवत् 1884
(15 फरवरी, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 238 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७५१–७५५
प्रश्नोत्तर	७५५–७७६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	७७६
मुख्य मन्त्री द्वारा असत्य कथन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	७७६–७७७
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	७७७–७७८
संयुक्त समाजवादी दल को मुख्य विरोधी दल की मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	७७८–७७९
लखनऊ विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी के रेल से कट जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रार्थना	७७९–७८०
'स्वतन्त्र भारत' द्वारा सदन की कार्यवाही के गलत ढंग से छापने पर आपत्ति ..	७८०–७८१
संयुक्त समाजवादी दल को मुख्य विरोधी दल की मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी	७८१–७८२
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ की प्रवर समिति पर कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	७८२
सदन का कार्य-क्रम]	७८२–७८६
ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित) ..	७८६–८१०
उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित)]	८१०–८१८
१९६३–६४ का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	८१८–८२९
नत्थियां	८३०–८३३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, १५ फरवरी, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३४६

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवधेशनाथ श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिराधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री]
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री]
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह, वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआवध, श्री

रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर),
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर,कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा,श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती

सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:--नियोजन मंत्री, श्री हरगोविंद सिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १५ फरवरी, १९६३

तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में मुअत्तल लेखपाल

*१--श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में कितने लेखपाल मुअत्तल हैं ? उनके क्या नाम हैं तथा कितने दिन से मुअत्तल हैं ?

माल मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)--

चार लेखपाल--सर्वश्री सूरज नारायन लाल, रामचन्द्र पांडेय, जुगुलकिशोर लाल तथा जगदीश लाल--जो क्रमश: लगभग १ वर्ष ८ माह, ६ माह, १ वर्ष २ माह तथा १ वर्ष से मुअत्तल हैं ।

*२--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या यह सही है कि इन मुअत्तल लेखपालों को चौथाई तनख्वाह दी जाती है तथा महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है ?

श्री बृजबिहारी--

जी हां ।

*३--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या राज्जव मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में गोरखपुर जिले की सदर, फरेंदा, महाराजगंज तथा बांसगांव तहसील में कितने लेखपाल मुअत्तल किये गये तथा उनमें से कितने बहाल हुए ?

श्री बृजबिहारी--

सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८३० पर ।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुअत्तली के समय का महंगाई भत्ता इन लोगों को न दिये जाने का क्या कारण है ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---
सस्पेंडिंग अथारिटी ने कोई आर्डर नहीं दिया था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---
इस सूची को देखने से पता होगा कि जितने लेखपाल १९५९-६०, १९६०-६१ और १९६१-६२ में मुअत्तल किये गये, उतने ही फिर रख लिये गये अलग अलग जिलों में। तो ऐसी मुअत्तली क्यों की जाती है जो सरकार को उस पीरियड का पैसा आदि भी देना पड़ता है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
प्राइमाफेसी केस पर मुअत्तली की जाती है। जब पूरी इन्क्वायरी होती है और कोई केस साबित नहीं होता तो उनको फिर डिप्यूट कर दिया जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय ---
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह लोग पब्लिक की शिकायत पर मुअत्तल किये गये या डिपार्टमेंट की शिकायत पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) ---
यह जो लेखपाल इतने दिनों तक मुअत्तल रहे, इसका कारण क्या था और इस मुअत्तली तथा माफी के बीच के पीरियड में उनसे हाकिम परगना ने कितने बार लिखा-पढ़ी की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
यह बिलकुल बेमतलब सवाल है। इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, इसका मुझे खेद है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---
इसको श्रीमन्, आप व्यवस्था कर दीजिये। आपने प्रश्न को स्वीकार किया और माननीय राजस्व मन्त्री जी कहते हैं बेमतलब सवाल है...

श्री हुकुमसिंह विसेन---
अच्छा, उसे हम वापस लेते हैं।

श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)---
यह लोग जो मुअत्तल किये गये, इनके ऊपर चार्जशीट मुअत्तली से पहले फ्रेम की गयी, या बाद को ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
तरीका शायद यह है कि पहले मुअत्तली होकर फिर चार्जेज फ्रेम किये जाते हैं।

श्री ईश्वरशरण---
इस केस में दरअसल हुआ क्या है, बाद में चार्जेज लगाये गये या पहले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
इसका जवाब दे दिया हमने।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---
श्रीमन्, १९५९-६० में २१ में से १९ लेखपाल बहाल किये गये, १९६०-६१ में २७ में से २३, और १९६१-६२ में १८ में से १३ बहाल किये गये। इसका मतलब यह हुआ कि ८० फीसदी से ज्यादा पर प्राइमाफेसी केस गलत साबित हुए। तो क्या माननीय मन्त्री जी इन निराधार आरोप लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसे केसेज में अधिकारियों को कोई सजा नहीं होती। बाज वक्त तमाम मामलों में फैसले मंसूख हो जाते हैं, तो फैसला करने वालों को कोई सजा नहीं होती।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय राजस्व मन्त्री इसकी जांच करायेंगे कि जो लेखपाल मुअत्तल थे और उनको फिर बहाल किया गया तो उसका कारण यह था कि जो अधिकारी ए० डी० एम० (ई०) थे उन्होंने घूस लेकर उन लोगों को नियुक्त किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसकी सूचना मुझे नहीं है।

महारानी झांसी का महल

*४--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार दिनांक १४ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगी कि महारानी झांसी का महल केन्द्रीय सरकार ने अपने कब्जे में कब से लेने का निश्चय किया है और जब तक केन्द्रीय सरकार नहीं लेती तब तक इसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ?

आबकारी राज्य मन्त्री (डाक्टर सीताराम)---

सम्पूर्ण महल ३१ दिसम्बर, १९६२ को केन्द्रीय सरकार के कब्जे में सौंप दिया गया है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*५-७--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*८-१०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

तिलहर तहसील में तुषारापात से रबी को क्षति

*११--श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री को यह पता है कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में वर्षा न होने के कारण सम्पूर्ण रबी की फसल खराब हो गई है और अत्यधिक तुषारापात होने के कारण सम्पूर्ण अरहर की फसल नष्ट हो गई है जिससे जनता बहुत ही व्याकुल और परेशान है ? यदि हां, तो इस विषय में शासन की ओर से क्या मदद की गई ?

श्री बृजबिहारी--

जी नहीं। अवर्षण से रबी की सम्पूर्ण फसल खराब नहीं हुई है। तुषारापात से अरहर की फसल को अवश्य कुछ क्षति पहुंची है, जिसमें नियमानुकूल मिल सकने वाली सहायता दी जायेगी।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

क्या माननीय राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी फसल खराब हुई है और किस परगने में ज्यादा खराब हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह हम असेस करने के बाद ही बता सकते हैं, अभी वह मुकम्मल हुआ नहीं है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम--

जिन काश्तकारों की अरहर और गेहूं दोनों फसलें बरबाद हो गयी हैं क्या उनको सरकार लगान में छट देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जो कायदा होगा उसके अनुसार मदद दी जायेगी।

श्री मैनजरसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रतिशत फसल को नुकसान पहुंचा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी केवल यही मालूम हुआ है कि सम्पूर्ण फसल बर्बाद नहीं हुई है, डिटेल्स अभी नहीं आये हैं। डिटेल्स आने पर कायदे के अनुसार छूट दी जायेगी।

*१२---श्री पुरेन्द्रविक्रम---

[२० फरवरी, १९६३ के लिये प्रश्न १६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३---श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

भोगांव तहसील में लेखपाल को चेतावनी

*१५---श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के सर्किल अगाहर के लेखपाल के खिलाफ जनता ने सैकड़ों दरख्वास्तें मई व जून, १९६१ में जिलाधीश मैनपुरी व हाकिम परगना भोगांव, जिला मैनपुरी को इस आशय की दी हैं कि लेखपाल रिश्वत लेकर फर्द देता है? इस मामले में क्या हो रहा है?

श्री बृजबिहारी---

सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध कथित आशय की कुछ दरख्वास्तें प्राप्त हुईं जिनकी जांच के फलस्वरूप लेखपाल के विरुद्ध फर्द न देने की शिकायत पायी गयी, परन्तु ऐसा कोई प्रमाण न मिला कि वह रिश्वत लेकर फर्द देता है। फिर भी लेखपाल को चेतावनी दे दी गयी है।

श्री गणेशचन्द्र काछी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब बेचारा लेखपाल बेगुनाह साबित हुआ तो उसको चेतावनी देने के कौन-कौन से कारण थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

शिकायतें ज्यादा थीं। सबूत न मिला। फिर भी मारल कनविक्शन पर चेतावनी देना कोई पाप नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों के खिलाफ रिश्वत की शिकायतें होती हैं, और कोई रिश्वत की शिकायत जब तक मौके पर न पकड़ी जाय तब तक प्रमाणित नहीं मानी जाती, ऐसे लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर न सही, सामूहिक रूप में क्या सरकार उनके खिलाफ ऐक्शन लेने पर सोचेगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बिला सबूत के कोई कार्यवाही करना उचित नहीं होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि जो दरख्वास्तें इस लेखपाल के खिलाफ दी गयी थीं वह नामजद थीं या गुमनाम थीं? यदि नामजद थीं तो क्या दरख्वास्त देने वाले से भी जांच करने वाले अफसर ने पूछताछ की थी?

श्री बृजबिहारी---

आवेदन पत्र नाम से थे। उसमें पूरी जाँच की गयी। उनका बयान लिया गया या नहीं इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जांच करने वाले अफसर से फिर से इनक्वायरी करवायेंगे या उससे पूछताछ करेंगे कि जांच करने वाले अफसर ने प्रार्थियों से कोई पूछताछ नहीं की, और लेखपाल ने मिलजुल करके तथ्य के विपरीत रिपोर्ट दिया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं जरूर दरियाफ्त कर लूंगा कि आया मुद्दइयों के बयानात लिये गये या नहीं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों ने दरख्वास्त दी उन लोगों ने अपने बयान दिये या नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यही तो सवाल किया गया था, जिसका मैंने जवाब दिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो वार्निग लेखपाल को दी गयी उसके देने का सरकार ने क्या आधार पाया?

श्री बृजबिहारी---

लेखपाल ने फर्द नहीं दिया, यह चार्ज साबित पाया गया लेकिन रिश्वत नहीं साबित हुई। इसलिये वार्निग दी गयी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

वार्निग देने का आधार क्या है और इसके ऊपर किस का बयान लिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

आधार यह है कि उसने फर्द नहीं दी। जिसने दरख्वास्त दी उसके बयान पर गालिबन ऐसा किया गया होगा।

श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इन शिकायतों की जांच किस अधिकारी ने की और वह कौन से कारण हैं कि लेखपाल फर्द नहीं देते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

माल के किसी अधिकारी ने की है। उसका नाम नहीं मालूम है।

*१६-१८---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को सुविधायें

*१९---श्री चन्द्रबली सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अंग्रेजी में फेल किन्तु अन्य विषयों में पास हाई स्कूल एवं इंटरमीडियेट परीक्षार्थियों को पास मानने की सुविधा दी जा रही है? यदि हां, तो क्या सन् १९६२ की परीक्षाफल से यह लागू किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा उप मंत्री (श्री केशभान)---

जी नहीं।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*२०—श्री चन्द्रबली सिंह—

हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को १ जनवरी, १९६३ को जो सुविधायें दी गई थीं वह क्या थीं और वह रद्द क्यों की गईं ?

श्री केशभान—

हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का विवरण माध्यमिक परिषद् के परिपत्र संख्या बी/३३८२—६-१८, दिनांक १ जनवरी, १९६३ में है जिसकी प्रति संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३१-८३२ पर)

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य का ध्यान राजकीय विज्ञप्ति संख्या क-१/५७८५—१५-१६२७-६२, दिनाँक १५ जनवरी, १९६३ की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें कारण बता दिया गया है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल करने के पहले आपसे मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि १९ नम्बर के सवाल के जवाब में जो नहीं लिखा हुआ है, तो क्यों, इसका कारण हमको नहीं बताया गया.....

श्री उपाध्यक्ष—

जो उत्तर है उस पर प्रश्न कर लीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

लेकिन इसका कारण तो बताना चाहिये ।

(व्यवधान)

और दूसरे सवाल नं० २० के जवाब में पता नहीं क्या अंग्रेजी में दिया है, वह हमारी समझ में नहीं आया।

(व्यवधान)

आप उनसे कृपा करके कह दीजिये कि हम हिन्दुस्तानी हैं, हिन्दी में हमको जवाब दें, अंग्रेजी में जवाब मत दिया करें ।

(व्यवधान)

सवाल यह है कि अंग्रेजी में फेल किन्तु अन्य विषयों में पास, उसके साथ साथ हिन्दी में भी पास, क्योंकि अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी भी पढ़ाई जाती है, तो जब विषय ज्ञान है....

(व्यवधान)

जिसके लिये शिक्षा दी जा रही है, उसकी जानकारी है, जिसके लिये नवजवान तैयार किया जा रहा है,.....

श्री उपाध्यक्ष—

जरा सुनिये, आप इस वक्त सवाल कर लीजिये।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

सवाल तो कर रहा हूं, बिना समझाये वह कैसे बतायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो बैठ जाइये। आप बहस करते हुये लेक्चर नहीं दे सकते।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं। मैं एक मिनट अपना सवाल भी न समझाऊं, लोग दस-दस मिनट का सवाल समझाते हैं...

(व्यवधान)

मेरा कहना यह है कि अंग्रेजी में फेल है लड़का और अन्य विषयों में पास है जिसमें हिन्दी भाषा भी है तो जब विषय की जानकारी उसको है तो उसको फेल करने का क्या कारण है?

श्री केशभान—

इंग्लिश एक विषय रखा गया है। तो जैसे अन्य विषयों में यदि वह फेल हो जाता है तो फेल किया जाता है। वैसे ही इंग्लिश भी एक विषय है, जिसमें फेल होता है तो फेल किया जाता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं कोई भाषण तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन माननीय मन्त्री जी भी पहले मास्टर रहे हैं और मैं भी मास्टर रहा हूं, इसलिये मुझे यह कहने का अधिकार है कि माननीय मन्त्री जी ने जो यह तर्क दिया है कि इंग्लिश में फेल होता है तो फेल किया जाता है, यह हिटलरी तर्क है। कोई अध्यापक ऐसा तर्क नहीं दे सकता। अब मेरा प्रश्न यह है कि जब उत्तर प्रदेश की मातृभाषा हिन्दी है, इस आदरणीय सदन की भाषा हिन्दी है और राष्ट्रभाषा हिन्दी है तो इस हालत में माननीय मन्त्री जी को क्या एतराज है अगर अंग्रेजी में फेल हो और सब विषयों में पास, तो विद्यार्थियों को पास कर दिया जाय?

श्री केशभान—

उपाध्यक्ष महोदय, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कुछ विषय रखे जाते हैं। उनके अलग अलग नाम हैं। उन विषयों में अंग्रेजी भी एक विषय है। इसलिये अंग्रेजी अगर कोई लड़का लेता है और जितना प्राप्तांक उसे पाना चाहिये उतना नहीं पाता है, तो जैसे अन्य विषयों में वह फेल किया जाता है वैसे ही अंग्रेजी में भी, अगर आवश्यक प्राप्तांक नहीं प्राप्त किये होता है तो, असफल घोषित किया जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट बोर्ड के परीक्षा नियमों के अधीन ऐसा भी कोई नियम है कि जिससे अन्य विषयों में पास विद्यार्थी यदि किसी एक विषय में फेल हैं तो ग्रेस देकर उसे पास कर दिया जाता है? तो अंग्रेजी में ऐसे कितने विद्यार्थी ग्रेस देकर पास किये गये?

श्री केशभान—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। ग्रेस मार्क देने की तो कभी-कभी व्यवस्था की जाती है, लेकिन अंग्रेजी में कितने विद्यार्थियों को ग्रेस दिया गया, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अधिकांश लड़के अंग्रेजी में फेल होते हैं और कुछ बहुत ही होनहार लड़के अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं जिससे उनकी जिन्दगी बरबाद हो जाती है, इस बात के लिये पुनः कोई ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि जिससे इस विदेशी भाषा के कारण अपने देश के बच्चों की जिन्दगी बरबाद होने से बच जाय?

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)--

यह अंग्रेजी का लेना किसी विद्यार्थी के लिये अनिवार्य नहीं है। जो अंग्रेजी का विषय नहीं लेना चाहेंगे उनके लिये कोई जरूरी नहीं है कि वह उसमें एपीयर हों। इसलिये इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है। यदि वह लेता है तो अन्य विषयों की तरह उसमें भी पास होना लाजमी है। मैं समझता हूं यही उनका प्रश्न है और यही उसका जवाब है।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर ४, ५ अनुपूरक प्रश्न हो चुके हैं। इसी कारण मैं दूसरे सवाल पर चला गया। अब और प्रश्न इस पर नहीं हो सकते।

अफीम की खेती

*२१--श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार को काश्तकारों के इस आशय के प्रार्थना-पत्र मिले हैं कि जिन जिलों में अफीम की काश्त नहीं होती है वहां उन्हें अफीम की काश्त करने का अधिकार यह सरकार केन्द्रीय सरकार से दिलाये ?

डाक्टर सीताराम--

सरकार को इस विषय में काश्तकारों से इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में अफीम की काश्त नहीं होती है उन जिलों के काश्तकार यदि सरकार को दरख्वास्त दें तो सरकार केन्द्रीय सरकार से उनकी सिफारिश करने की कृपा करेगी कि इनको भी अफीम की काश्त की इजाजत दी जाय ?

डाक्टर सीताराम--

अफीम की जो पैदावार है यह प्रान्तीय सरकार की देखरेख में नहीं होती है। अगर किसी महाशय को इसकी आवश्यकता है कि इसकी पैदावार बढ़ायें तो वह केन्द्रीय सरकार को सीधे प्रार्थना-पत्र दे सकते हैं। यहां प्रान्तीय सरकार के समक्ष इस प्रकार के आवेदन-पत्र को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वह कौन-कौन से जिले हैं जिनमें अफीम की काश्त होती है और उनको किस आधार पर इजाजत मिली हुई है ?

डाक्टर सीताराम--

इस प्रदेश में गाजीपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, शाहजहांपुर और बरेली में ४८ हजार बीघा जमीन पर अफीम की पैदावार होती है जिसकी इजाजत केन्द्रीय सरकार ने दी है। पैदावार बढ़ाने के लिये वही काश्तकार खेती कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय आबकारी मन्त्री जी बतलायेंगे कि इन यू० पी० के ५ जिलों में जो अफीम की पैदावार होती है उससे केन्द्रीय सरकार को कितनी आमदनी होती है ?

डाक्टर सीताराम--

यह केन्द्रीय सरकार का जुरिस्डिक्शन है। स्टेट गवर्नमेंट से इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार को सभी अधिकार देती चली जा रही है लेकिन क्या सूबे की सरकार इस अधिकार को अपने पास लेने को तैयार है और हमारी सरकार ने क्या केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि यह जो अफीम की खेती का अधिकार है यह स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम—

अफीम की खेती का जुरिस्डिक्शन केन्द्रीय सरकार का है और यह यू० पी० में ही नहीं बल्कि भारत के सभी सूबों में उसको अधिकार है ।

*२२–२४—श्री राघवेंद्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[१८ फरवरी, १९६३ के लिये प्रश्न ९–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२५–२६—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७–२९—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत छोड़ी गई भूमि

*३०—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला ग्राम समाज की भूमि जो चकबन्दी होने पर पशुचर, तालाब व खेत या मैदान कम्पोस्ट, मन्दिर आदि के नामों पर छोड़ी गई थी, क्या उस जमीन को नीलाम पर किसी के हाथ बेचने का अधिकार है ?

श्री बृजबिहारी—

प्रश्न का आशय बहुत स्पष्ट नहीं है । ऐसी भूमि के लिये धारा २९ (ग) जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ ई० में प्राविधान है ।

श्री धूमप्रसाद—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि प्रश्न संख्या ३१–३२ के लिये १३ पन्नों की मिसिल दी गई थी कि वहां ग्राम समाज में भ्रष्टाचार चल रहा है । उसका कोई उत्तर क्यों नहीं दिया गया ? वहां ग्राम समाज की जमीन हड़प ली गयी है और उस में सब अधिकारी मिल कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

गवर्नमेंट के रेप्रेजेंटेशन पर यह सवाल हटा दिया गया है रिकंसीडर करके और इस नम्बर ३० को संशोधित रूप में रखा गया है । आप उस पर अनुपूरक प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री धूमप्रसाद—

पहले १३ पन्नों की मिसिल उन सवालों के लिये दी गई और वह मंजूर किये गये, फिर नामंजूर कर दिये गये । तो उन के बारे में क्या विचार हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आगे चलिये और प्रश्न कीजिये नम्बर ३० के बारे में ।

श्री धूमप्रसाद—

वहां की जमीन जो हड़पी गई है उसके बारे में प्रधान और मेम्बर और वहां का डुग्गी पीटने वाला सब कहते हैं कि डुग्गी नहीं पीटी गयी और जमीन यूं ही दी गयी और सब अधिकारी उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो उसके लिये क्या हो रहा है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

कोई स्पेसिफिक केस दीजिये तो हम ऐक्शन लें ।

श्री धूमप्रसाद---

उसीके लिये १३ पन्नों की मिसिल दी गयी है आपको, जो ग्राम समाज से आयी थी। वह कहां गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह कहीं डिपार्टमेंट में होगी।

श्री रियासत हुसैन---

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह ग्राम समाज की जमीन जो चकबन्दी में छोड़ी जाती है उसको कानूनगो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार खाली नीलाम में न रखकर अपने तरीके से बेच सकते हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह नीलाम नहीं हो सकती, जैसा कि जवाब में कहा गया है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

जैसा मन्त्री जी ने कहा, स्पेसिफिक केस के बारे में, उसके लिये ही यह प्रश्न किया गया था, लेकिन वह सरकार की प्रार्थना पर नामंजूर कर दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर देने से सरकार क्यों इंकार करती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी जहां तक मेरा खयाल है। अगर थी, तो आप फिर लिख कर दे दीजिये, हम आज ही इंक्वायरी शुरू कर देंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

जैसा कल स्वायल कंजरवेशन का बिल पास हुआ, उसके अनुसार क्या इस जमीन को नीलाम न करके ग्राम समाज में प्रिजर्व करने का मंत्री जी विचार रखते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

केस आ जाय तो बतलाऊं कि क्या करने जा रहे हैं।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या राजस्व मन्त्री इस प्रकार का कोई निर्देश जिले के अधिकारियों को देने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक उपयोग के लिये निकाली गयी भूमि का किसी प्रकार बन्दोबस्त न किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसके लिये इंस्ट्रक्शन्स हैं आलरेडी, और कोई डाइरेक्शन देने की जरूरत नहीं है।

श्री मैनेजरसिंह---

जब ऐसे नियम हैं कि कोई बन्दोबस्त नहीं होगा और इसके विपरीत शिकायतें आती हैं सदन में, तो क्या सरकार उसके लिये कोई निर्देश देगी ?

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

हाउस में श्रीमन्, शोरगुल बहुत हो रहा है और मन्त्री लोग भी इस काम में लगे हुये हैं। तो क्या आप जरा मना कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह से बात-चीत नहीं होनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हमारे मित्र लिखेंगे, तो हम ऐक्शन लेंगे और अगर एक जगह ले लेंगे तो काफी नोटिस हो जायगा।

*३१-३२---श्री धूमप्रसाद---
[हटा दिये गये ।]

फतेहपुर जिले में परिगणित जाति के कलेक्शन चपरासी

*३३---श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)---
क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के कलेक्शन विभाग में कितने कलेक्शन चपरासी स्थायी व सीजनल हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने हरिजन वर्ग के चपरासी हैं ?

श्री बृजबिहारी---
जिला फतेहपुर के कलेक्शन विभाग में कोई स्थायी चपरासी नहीं हैं। सीजनल चपरासियों की संख्या ८७ है। जिनमें १० परिगणित वर्ग के व ३५ पिछड़े वर्ग के हैं।

*३४---श्री रघुवीरसहाय कैथवार---
क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले में अनेक शिक्षित हरिजन उपलब्ध होने पर भी उन्हें उनके अनुपात से चपरासियों के पद पर नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बृजबिहारी---
फतेहपुर जिले में जहां तक सीजनल कलेक्शन चपरासियों की नियुक्ति का प्रश्न है इसमें परिगणित जाति की संख्या निर्धारित अनुपात से थोड़ी कम अवश्य है किन्तु सारे अस्थायी चपरासियों (आल दि ईयर राउन्ड सीजनल और अन्य) की संख्या २१४ है और इसमें से परिगणित जाति के ३८ चपरासी हैं जो कि निर्धारित अनुपात के अनुकूल हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---
क्या माननीय राजस्व मंत्री मेरी इस सूचना को सही मानकर कि २१४ अस्थायी अमीनों में से ३८ हरिजन अमीन हैं, गलत रिपोर्ट है इस आधार पर क्या सरकार उनकी मये पते के सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---
अगर वह कहते हैं कि गलत है तो फिर कलेक्टर से पता लगा लूंगा कि सही फिगर्स क्या हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---
क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब जिलों में अनेक पढ़े लिखे हरिजन उपलब्ध हैं तो सीजनल चपरासियों में उनके अनुपात से कम हरिजन लेने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
बहुत नामिनल कमी है, वह पूरी हो जायगी, इतनी उजलत क्यों है ?

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---
क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस १८ फीसदी रिजर्वेशन के अलावा सरकार की तरफ से कोई ऐसा जी० ओ० जारी हुआ है जिसमें हरिजनों को ऐसी छोटी जगहों में १८ प्रतिशत से अधिक स्थान देने की बात है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
१८ तो फिक्स्ड है, इसके आलावा जिन-जिन जिलों में हरिजन कम हैं वहां आर्डर्स दिये गये है कि जो लिस्ट बनायी जाय वहाँ हरिजन रखकर पूरी की जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी) —

क्या मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो अस्थाई हरिजन या दूसरे चपरासी कलेक्शन के काम में ३ वर्ष या उससे अधिक से अस्थायी हैं उनको स्थायी कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

धीरे-धीरे हो रहा है, एक साथ कैसे मुस्तकिल कर दें ?

श्री उग्रसेन —

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हमने आदेश दिया है कि हरिजन चपरासियों की कमी जो रह गयी है उसको लिस्ट में नामों के आगे "हरिजन" लिखकर पूरी किया जाय, तो क्या उनका मतलब है कि अगर कोई गुप्ता, ठाकुर चपरासी है तो उसके नाम के आगे हरिजन लिख दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

यह मैंने नहीं कहा, कान खोल कर सुनें। मैंने कहा कि जहां जिले में हरिजनों की तादाद कम है परसेंटेज से तो आदेश दिये हैं कलेक्टरों को कि हरिजनों को इनलिस्ट किया जाय जब तक उनका परसेंटेज पूरा न हो जाय—वरना आपके नाम के आगे भी लिखा जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय —

क्या यह सही है कि सरकार का इरादा है कि १८ फीसदी परिगणित जाति के लोग रखे जायं, लेकिन इस आदेश के बावजूद भी भरती करने वाले उसका पालन नहीं कर रहे हैं ? तो क्या मन्त्री जी जिले के अधिकारियों को आदेश देंगे कि अगर वह आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन —

आदेश जो गवर्नमेंट देती है, अपने ढंग से देती है। उसका मस्विदा कोई दूसरा नहीं बता सकता।

तीसरी कक्षा से अंग्रेजी

*३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय —

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश भर की प्राइमरी पाठशालाओं में अंग्रेजी पढ़ाने के लिये सरकार ने विशेष व्यवस्था की है ? अगर हां, तो इस विशेष व्यवस्था पर होने वाला खर्च कौन वहन करता है, प्रदेशीय सरकार या केन्द्रीय सरकार?

शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव (श्री अजीज इमाम) —

कुल ८,७३२ स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय सरकार से इस पर कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय —

जब इस राज्य की भाषा हिन्दी है तो तीसरे दर्जे से अंग्रेजी पढ़ाने का क्या कारण है ?

श्री अजीज इमाम —

अगस्त ६१ में चीफ मिनिस्टर्स कानफ्रेन्स में तय हुआ था कि अंग्रेजी शुरू के दर्जे से पढ़ानी चाहिये और इसे नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी ने भी माना है। इसलिये अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।

श्री विजयसिंह —

प्राइमरी पाठशालाओं में अंग्रेजी पढ़ाने के लिये उन्हें चुनने का आधार सरकार ने क्या रखा है ?

श्री अजीज इमाम —

इंटीग्रेटेड स्कूल आधार रखा गया है। जहां शुरू से लेकर ८वें दर्जे तक की पढ़ाई होती हो, आम तौर से वहीं अंग्रेजी तीसरे दर्जे से शुरू की जायगी।

श्री शराफत हुसैन रिजवी --

क्या उन टीचरों को जो प्राइमरी स्कूलों में अन्य विषयों के साथ अंग्रेजी भी पढ़ाते हैं, कोई भत्ता दिया जायगा ?

श्री अजीज इमाम --

अभी तो नहीं दिया जाता है।

श्री रघुनाथसिंह --

क्या इन तीसरे दर्जे से अंग्रेजी पढ़े हुये विद्यार्थियों के लिये जब वे छठे दर्जे में पहुंचेंगे, अंग्रेजी की पढ़ाई के लिये अलग व्यवस्था की जायगी उन विद्यार्थियों से जो ६ठे दर्जे से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करते हैं या दोनों एक ही कोर्स में घसीटे जावेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर --

जो तीसरे दर्जे से अंग्रेजी पढ़ेंगे उनके लिये कुछ ऐसी व्यवस्था की जायगी कि वे आगे की अंग्रेजी पढ़ सकें। अभी ३ साल बाकी हैं और हमने इसका निश्चय नहीं किया है।

श्री रक्षपालसिंह --

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अंग्रेजी पढ़ने से अंग्रेजियत बढ़ती है और क्या इसे ध्यान में रखते हुए वे ६ठे दर्जे से ही अंग्रेजी रखेंगे ?

श्री अजीज इमाम --

अंग्रेजियत आने का कोई सवाल नहीं है। वे बेसिकली हिन्दुस्तानी हैं।

श्री ब्रहदत्त मायर--

क्या शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर गया है कि केन्द्रीय सरकार के कई इंजीनियरिंग कालेजों की ओर से अभी विज्ञप्ति जारी की गई है कि दाखले के लिये परीक्षा अंग्रेजी में होगी जिसके कारण हमारे प्रान्त के लड़के उन परीक्षाओं में बैठने के नाकाबिल होते जा रहे हैं और सरकार इस पर भी कोई विचार करेगी ?

श्री अजीज इमाम --

इसके कारण हमारे प्रान्त की आल-इंडिया सर्विसेज में भी भर्ती कम होती जा रही है और इसलिये शुरू से अंग्रेजी पढ़ाने की स्कीम लागू की गई है।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

क्या शिक्षा विभाग के पास कोई आंकड़े हैं कि हमारे एम० एल० ऐज० के कितने लड़के अंग्रजी पढ़ते हैं ?

श्री अजीज इमाम--

ऐसे कोई आँकड़े नहीं हैं।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर के खिलाफ शिकायतें

*३६--श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर तहसील में कितने लेखपाल, कंसालीडेटर, ए० सी० ओ०, सी० ओ० तथा अन्य अधिकारी काम कर रहे हैं इनमें से कितनों की चरित्र पंजिका में चरित्र भ्रष्टता की इंट्री की गई है ? क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि बन्दोवस्त चकबन्दी अधिकारी, जौनपुर ५ अक्तूबर से १५ अक्तूबर, सन् १९६२ तक कहां थे ?

श्री बृजबिहारी--

जौनपुर तहसील के चकबन्दी विभाग में २३१ लेखपाल, ४२ कन्सालिडेटर, २१ ऐ० सी० ओ०, ४ सी० ओ०, ५२ लिपिक तथा १०० चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से किसी भी कर्मचारी की चरित्र-पंजिका में चरित्र भ्रष्टता की इन्ट्री नहीं की गई। बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, जौनपुर ने ५ तथा ६ अक्तूबर को न्यायालय सम्बन्धी तथा अन्य कार्य किया, ७ से १० अक्तूबर तक दशहरा की छुट्टी तथा ११, १२ अक्तूबर को वे आकस्मिक अवकाश पर रहे, किन्तु उन्होंने १२ अक्तूबर को ही लौटकर १२ अक्तूबर से १५ अक्तूबर तक मुख्यावास में ही सरकारी कार्य किया।

*३७--श्री केशरीप्रसाद पांडेय ---

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि चकबन्दी के मुकद्दमें रात में १२ बजे तक केवल किसानों को परेशान करने के लिये किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि जिससे अदालत १० बजे से ४ बजे तक की जाय और किसान परेशान न किये जायं ?

श्री बृजबिहारी---

यह सही नहीं है कि किसानों को परेशान करने के लिये मुकदमें १२ बजे रात तक किये जाते हैं । कभी-कभी, अवश्य किसानों के ही आग्रह पर, विवाद निर्धारित समय के बाद भी सुन लिये जाते हैं जिससे कि किसानों का व्यर्थ का खर्च तथा गवाहों का अधिक समय नष्ट न हो ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि ७ से १० अक्तूबर तक एस० ओ० सी०, जौनपुर कहां पर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --

छुट्टी पर थे । किस जगह थे, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

ये ऐसे अधिकारी हैं जो छुट्टी के नाम पर या बिना छुट्टी लिये बनारस या इलाहाबाद के चक्कर काटा करते हैं और उनके खिलाफ बहुत सी शिकायतें भी हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसे अधिकारी जिनके खिलाफ बदइखलाकी, बदजबानी और बदचलनी की शिकायत है उनके खिलाफ कोई जांच-पड़ताल करके कोई उचित कार्यवाही करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय ---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई दरख्वास्त उनको प्राप्त हुई है ? यदि प्राप्त हुई है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

इस वक्त हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है । अगर उसके लिये नोटिस दिया जाय तो मैं पता लगा कर बता सकूंगा कि कोई दरख्वास्त आयी भी है या नहीं आयी ।

श्री बलवानसिंह ---

पहले माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई शिकायत नहीं आयी लेकिन अभी कहा कि शिकायत आयी या नहीं आयी इसकी जांच करायेंगे, ये दो प्रकार की बातें कैसे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष ---

मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी है या मुझे मालूम नहीं है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय ---

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रतिदिन १२ बजे तक अदालत नहीं होती है, लेकिन कभी-कभी किसानों के आग्रह पर ऐसा होता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने किस की जांच के आधार पर यह कहा कि १२ बजे तक अदालत नहीं होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन ---

हम तो लोकल आथारिटीज से ही रिपोर्ट मंगाते हैं, उसी आधार पर कहते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय --
मैं यह जानना चाहता हूं कि वह लोकल अधिकारी कौन हैं--सी० ओ० अथवा कलेक्टर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --
कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ।

श्री उग्रसेन --
क्या माननीय मंत्रीजी को इस बात की सूचना है कि उस अधिकारी से और नियोजन मंत्रीजी से जो जौनपुर में ही रहते हैं बड़ा गहरा संबंध है और इसीलिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो रही है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन --
गहरे संबंध की तो मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--
क्या राजस्व मंत्री जी बतायेंगे कि जो अधिकारी १--२--या ३ दिन की छुट्टी पर रहते हैं तो क्या वे उस छुटटी के दौरान में स्टेशन लीव कर सकते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --
इजाजत लेकर गालिबन करते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय --
क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनके पास किसी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये १, २ या ३ दरख्वास्तें आयी हैं ? यदि हां, तो उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --
इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राधेश्याम शर्मा --
हमारी इस सूचना को, कि सारे प्रान्त में रात के १२ बजे तक मुकदमें होते हैं, सही मान कर क्या माननीय मंत्री जी चकबन्दी डायरेक्टर को यह आदेश देंगे कि वे आगे से ऐसा न करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --
हम तो वही करेंगे जिसमें किसानों को सहूलियत हो ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--
जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि १२ बजे रात तक अदालतों में काम होता है, तो मुरादाबाद --अमरोहा में भी १२--१ बजे रात तक तो जो काम होता है उसका कारण यह है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से यह आदेश गया कि एक दिन में १००--१५० मुकदमे तय किये जायं एक संख्या निर्धारित कर दी गयी है इसी से किसानों को मुसीबत होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --
एक स्टैंडर्ड मुकर्रर है । स्टैंडर्ड के मुताबिक वे अमल करते हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय --
क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ए० सी० ओ०, जौनपुर के बिरुद्ध हाईकोर्ट में जो रिट पेटिशन दाखिल हुआ था उसका क्या फैसला हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन --
मैंने उस फैसले को देखा नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

मद्यनिषेध योजना में परिवर्तन

*३८--श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ११ शुष्क जिलों और ३ धार्मिक स्थानों से मद्यनिषेध योजना समाप्त करने पर जनवरी, सन् १९६३ में प्रत्येक स्थान पर कितनी दूकानें कितने मूल्य में शराब ,भांग और ताड़ी की नीलाम की गईं ?

डाक्टर सीताराम --

प्रदेशीय मद्यनिषेध योजना में परिवर्तन किए जाने के फलस्वरूप ११ शुष्क जिलों तथा ३ धार्मिक स्थानों में दिसम्बर १९६२ में नीलाम की गई प्रत्येक स्थान की शराब, भांग व ताड़ी की दूकानों की संख्या तथा उनसे प्राप्त लाइसेन्स फीस संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३३ पर)

*३९--श्री माताप्रसाद--

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ में प्रदेश में कुल कितना गांजा चोरी से ले जाते हुये गिरफ्तार किया गया और कितने लोग ऐसे मामले में पकड़े गये और कितने दंडित हुये ?

डाक्टर सीताराम --

वर्ष १९६१-६२ में प्रदेश में कुल १९७ मन ३ सेर १ छटांक १७/६० तोला गांजा पकड़ा गया । कुल २,८२१ व्यक्ति पकड़े गए, जिनमें से २,३३८ व्यक्ति दंडित हुए।

श्री माताप्रसाद--

क्या आदरणीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भांग, शराब और ताड़ी की जो ये दूकानें नीलाम हुईं, उनसे केवल ३ महीने में ही सरकार को करीब ३० लाख रुपये की आमदनी हुई ? साथ ही क्या सरकार को यह भी मालूम है कि केवल भांग से ही करीब ३ लाख रुपये की आमदनी सरकार को इसलिये हुई कि भांग की दूकान पर गांजा भी बिकता है ?

डाक्टर सीताराम--

ऐसी शिकायत तो शासन को नहीं प्राप्त हुई, लेकिन अगर कोई शिकायत होती है तो एक्साइज ऐक्ट की दफा ६०, ६१, ६२, ६५ और ६६ के अन्तर्गत जिलाधीश, सुपरिंटेंडेंट पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट, तीनों मिल कर कार्यवाही करते हैं ।

श्री माताप्रसाद--

प्रदेश के एक ही जिले में करीब २०० मन गांजा पकड़ा गया है और इसके अलावा भी जो तस्कर व्यापार होता है वह तो अलग है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने गांजा के तस्कर व्यापारियों के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने का निश्चय किया है जिससे यह व्यापार रुक सके ?

डाक्टर सीताराम--

जिलाधीश जिले में तस्कर व्यापारियों के खिलाफ कठोर कदम तो उठाते ही हैं और एक्साइज ऐक्ट के अन्तर्गत जो भी आवश्यक कार्यवाही होती है उसका वे पालन करते हैं । जहां तक गांजे का प्रश्न है, १ अप्रैल, ५६ से इस प्रदेश में उस पर रोक है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं इस तस्कर व्यापारके संबध में इस सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह केवल हमारे प्रदेश की ही समस्या नहीं है बल्कि बिहार की भी है । इमर्जेंसी की वजह से इस सदन में मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता जहां गांजे का कल्टिवेशन होता है और जहां से यू० पी० और बिहार के बार्डर वाले जिलों में तस्कर व्यापारियों के जरिये गांजा आता है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)--

अभी माननीय मादक कर मंत्री ने समस्या बतायी कि सरकार का ध्यान इस ओर गया है, तो क्या मंत्री जी को मालूम है कि गांजे के तस्कर व्यापार में पुलिस का भी हिस्सा और हाथ रहता है और क्या इस विषय पर माननीय मंत्री महोदय ने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है और कोई कार्यवाही की जैसे कि कल ही आजमगढ़ का एक प्रश्न उठा था और व्यवहारिक दृष्टि से सब जगह ऐसा होता रहता है, तो उसके विरुद्ध मंत्री जी ने क्या कदम उठाया ?

डाक्टर सीताराम--

माननीय दुबे जी मुझ से अधिक इस सम्बन्ध में जानते हैं लेकिन जो तस्कर व्यापारी होते है और जो ऐसे कार्य करते है उन के खिलाफ जिलाधीश कार्यवाही करते हैं । इस विषय में केन्द्रीय सरकार और उस विदेशी सरकार से ३ साल से लिखापढ़ी हो रही है लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई सफलता नहीं मिली है, उस देश का नाम एमर्जेन्सी के कारण मैं लेना नहीं चाहता।

श्री उग्रसेन--

इस बात को देखते हुये कि केन्द्रीय सरकार की नीति के यह बिल्कुल विपरीत है और बापू की आत्मा के लिये यह बहुत ही तकलीफदेह बात है कि इस प्रदेश में बन्द जिलों में फिर मद्यनिषेध योजना को समाप्त किया गया जब कि तामिलनाद और महाराष्ट्र में वह अब भी लागू है, तो मंत्री जी और सरकार के सामने ऐसी कौनसी जरूरत आ गई कि इस योजना को समाप्त किया गया ?

डाक्टर सीताराम--

मद्य-निषेध की योजना खत्म नहीं की गई है बल्कि उसको पुनः संगठित किया गया है जिससे कि इस प्रदेश के प्रत्येक जिले के हर नागरिक को लाभ पहंचे ।

श्री बलवान सिंह--

शराब और गांजे के संबंध में जो क्राइम्स बढ़े हैं उनके अपराधियों के दंडित होने के संबंध में पिछले साल से इस साल की रेशियो कितनी अधिक बढ़ी हैं ?

डाक्टर सीताराम--

वह बढ़ी नहीं है बल्कि मोर एफैक्टिव कट्रोल हुआ है और अधिकारियों ने अधिक सतर्कता से काम किया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार इस तरह के व्यापार को कि जैसे सहारनपुर में रेलवे स्टेशन पर ९ सेर ६ छटांक अफीम पकड़ी गई और पुलिस अधिकारी ने उसमें ६ सेर का तो चलान कर दिया और बाकी ३ सेर ६ छटाक को अलग से बेच लिया, बन्द करेगी ?

डाक्टर सीताराम--

पुलिस अधिकारी ने पकड़ा, इसकी इत्तिला मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य लिखकर देगें तो इसकी ठीक से जांच करा ली जायगी ।

श्री ऊदल--

क्या गांजे और अफीम के मामलों में अधिकतर झांसी और कानपुर में ही लोग दंडित हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम--

अफीम के बारे में तो प्रश्न नहीं पूछा गया है लेकिन गांजे का जहां तक प्रश्न है, इसका अधिकतर स्मगलिंग कानपुर में हुआ है, यह सत्य ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या मत्री जी को इस बातकी जानकारी है कि फैजाबाद जिले में जलालपुर थाने के अन्तर्गत एक्साइज इंसपेक्टर और थानेदार की साजिश से खुले आम गांजे का व्यापार होता है इस सबंध में सरकारक्या कार्यवाही करेगी और अगर सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो इसको सूचना मानकर क्या वह इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रयत्न करेगी ?

डाक्टर सीताराम---

माननीय सदस्य ने एक्साइज इन्सपेक्टर और थानेदार दोनों के विरुद्ध आरोप लगाया है, अगर वह इसको लिखकर दें तो मैं अपने विभाग से कार्यवाही न करके दूसरे विभाग से कार्यवाही और जांच कराऊंगा ।

श्री मैनेजर सिंह---

मंत्री जी ने कहा कि इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुविधा देने के लिये यह व्यवस्था की गई है, तो क्या इस सुविधा से मंत्री जी स्वयं लाभ उठा रहे हैं या मंत्रि परिषद् के कितने फी सदी सदस्य इससे लाभ उठा रहे हैं, कृपा कर बतायेंगे ?

डाक्टर सीताराम---

यह तो आपको अनुभव होगा ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---

क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है, जैसा अभी ऊदल जी ने कहा है, कि कानपुर और आसपास के जिलों में तस्कर व्यापार ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका कारण यह भी है कि लखनऊ के एक होटल में जिसका नाम रिपब्लिक होटल है उसमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो यहां के कुछ खास मंत्रियों और अफसरों से अपना संबंध रखते हैं और उनके द्वारा शराब की दुकान का ठेका दिया जाता है तथा गांजे का व्यापार कराया जाता है, क्या इसकी जांच करायेंगे जिससे गांजे का तस्कर व्यापार रुक सके ?

डाक्टर सीताराम---

इसके लिये मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है अगर माननीय सदस्य जानकारी करायेंगे तो मैं जांच कराऊंगा ।

श्री बलवान सिंह---

मंत्री जी बतायेंगे कि जब से सरकार ने नशाबन्दी को तोड़ा है तब से कोई ऐसा डैटा आपके पास है जिससे बता सकें कि नशे की तरफ लोगों की कितनी प्रवृत्ति हुई है ?

डाक्टर सीताराम---

इसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

प्रतापगढ़ सड़क पर सई नदी का पुल

*४०---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रायबरेली जिले में प्रतापगढ़ रोड पर बन रहे सई नदी के पुल पर सरकार का कितना रुपया व्यय होगा और उपरोक्त पुल कितने समय के भीतर बनकर आवागमन के लायक तैयार हो जायेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---

नए पुल का निर्माण ७ लाख रुपये की लागत पर स्वीकृत किया गया है और उसका निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है । पुल के तैयार होने में लगभग ३ वर्ष का समय लगेगा ।

*४१---श्री माताप्रसाद---

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

मथुरा जिले में चकबन्दी

*४२---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छाता तहसील की चकबन्दी सर्किल बरवा में ए० सी० ओ० ने अनियमितता की है जिससे वहां १४ जनवरी, १९६३ को किसानों ने प्रदर्शन किया ?

नोट : तारांकित प्रश्न ३९ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

१४ जनवरी, १९६३ को श्री वीरपाल सिंह ने श्री लेखराज, निवासी बुलरारी, के चक से असन्तुष्ट होने के कारण लगभग १० स्कूल के बच्चों एवं कुछ काश्तकारों को लेकर ए० सी० ओ०, बरका के कार्यालय पर दिन के दो बजे प्रदर्शन किया। इस चक का एतराज संबंधित चकबन्दी अधिकारी के न्यायलय में विचाराधीन है, अतः इस विषय में कि ए० सी० ओ० ने अनिमितता की है या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता।

*४३--श्री लखीसिंह--

क्या राजस्व मंत्री जिला चकबन्दी अधिकारी को ऐसे आदेश प्रदान करेंगे कि वे मथुरा खास में अपीलों की सुनवाई न करके हर थाने के मुख्य स्थान पर अपील के फैसले दें जिससे किसानों को उचित और सस्ता न्याय मिल सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

केवल धारा ११ (१) (कागजों की दुरूस्ती संबंधी) व १२ (सी०) (बटवारे सम्बन्धी) की अपीलें ही बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) मथुरा के मुख्य कार्यालय पर सुनी जाती हैं। शेष मालियत सिद्धान्तों एवं चकों की अपीलें यथा संभव गांव में ही चकबन्दी कमेटी के सदस्यों व गांव के अन्य काश्तकारों की उपस्थिति में सुनी जाती है। थानों के मुख्यास्थान प्रायः दूर पड़ते हैं जिससे वहां अपीलें सुनने में काश्तकारों को अधिक असुविधा होगी।

गंगा के कटाव से महादेवा घाट पर दुर्घटना

*४४--श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर) तथा श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में १६ अक्तूबर, १९६२ को सुबह को गोरा बाजार के पास महादेवा घाट पर गंगा नदी के भारी कटाव से २१ व्यक्ति दब गये और उनमें से ७ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो मृत व्यक्तियों में कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं ?

श्री गिरधारीलाल--

इस दुर्घटना में स्नानार्थियों में से १९ व्यक्तियों के घाट से नदी में गिर पड़ने का समाचार मिला है, जिनमें से ६ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मृत व्यक्तियों में १ पुरुष और ५ स्त्रियां हैं।

*४५--श्री रघुवीर तथा श्री कृष्णानन्द राय--

क्या लार्ड कार्नवालिस के कब्र से ले कर कोयला घाट तक तेजी से गंगा का किनारा कट रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने कटाव को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

नदी की बाईं ओर का किनारा कट रहा है। गाजीपुर शहर के पास गंगा नदी कभी शहर की ओर और कभी शहर की दूसरी ओर कुछ न कुछ भूमि काटती रहती है। इस कटाव से शहर को तुरन्त कोई खतरा नहीं है, अतः इस कटाव को रोकने के लिये अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

गाजीपुर को गंगा के कटाव से खतरा

*४६--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या सरकार को यह सूचना है कि गंगा के बहाव की दिशा अभी हाल में बदल गयी है और गाजीपुर शहर का पुराना किनारा असुरक्षित हो उठा ह तथा वह कट कर गिर रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--

नदी का कटाव दोनों किनारों पर है। कभी नदी इस पार की मिट्टी काटती है तो कभी उस पार की। आजकल गंगा नदी का बहाव शहर से लगभग ४०० फीट पर ह।

*४७—श्री कृष्णानन्द राय—

यदि हां, तो क्या सरकार गाजीपुर का तट कट कर गिरने से बचाने की व्यवस्था के लिये कोई योजना बनाने के लिये सोच रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

गंगा के कटाव से शहर को तुरन्त कोई खतरा नहीं है और इस संबंध में कोई योजना भी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

रजा डिग्री कालेज, रामपुर में बी० काम० कक्षा

*४८—बेगम किश्वर आरा (जिला रामपुर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि रजा डिग्री कालेज, रामपुर, में बी० काम० की कक्षा खोलने की मंजूरी आने पर भी अभी तक नहीं खोली गयी, इसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां । आगरा विश्वविद्यालय द्वारा लगाई गई शर्तें समय से पूरी न हो सकने के कारण कक्षाएं खोली नहीं जा सकीं ।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले में भूसा की खरीद

१—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१–६२ में बाढ़ के समय (Scarcity Budget) से गोरखपुर जिले में कुल कितने रुपये लागत का भूसा खरीदा गया ? (१) उपरोक्त भूसा कहां से खरीदा गया ? (२) उपरोक्त भूसा किन-किन सेन्टरों पर भेजा गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गोरखपुर जिले में सन् १९६१–६२ में कुल ४,९०२ रु० ८० नये पैसे का भूसा सरकार द्वारा नियुक्त ठेकेदार, मेसर्स गिरोलाल त्रिलोक चन्द, दिल्ली, के यहां से खरीदा गया । यह भूसा गोरखपुर, कुसम्ही, सिसवा-बाजार, पीपीगंज और आनन्दनगर को भेजा गया ।

२—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री यह भी जांच कर सदन की मेज पर एक रपट रखने की कृपा करेंगे कि सहजनवां नामक सेंटर पर जो सदर तहसील में है कितना मन भूसा भेजा गया तथा उनके विरुद्ध कितना पेमेंट किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त सेंटर पर ठेकेदार द्वारा ७०० मन भूसा भेजा गया और १,९६० रु० का भुगतान किया गया ।

२—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

सीमा विवाद सम्बन्धी जिले

४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के वे कौन-कौन से सरहदी जिले हैं जिनसे दूसरे प्रदेशों से सीमा विवाद चल रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

देहरादून व बलिया उत्तर प्रदेश के दो ऐसे सरहदी जिले हैं जिनसे दूसरे प्रदेशों से सीमा विवाद चल रहा है ।

५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस संबंध में अब क्या प्रगति चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

देहरादून और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती कुछ गांवों में सीमा के चिन्ह मिट गये हैं, उन्हें पुनः निर्धारित करने के विषय में दोनों सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि वे सर्वे आफ इन्डिया के स्टाफ द्वारा उन स्थानों पर १८७४–७६ के सर्वे आफ इन्डिया के नक्शे के आधार पर सीमा निर्धारित करवा दें।

बलिया और बिहार प्रदेश के बीच स्थायी सीमा निर्धारित किये जाने के प्रश्न को प्रधान मंत्री ने (Arbitrator) को सौंप दिया है। श्री सी० एम० त्रिवेदी को मध्यस्थ (Arbitrator) नियुक्त कर दिया है और उनको इस सरकार की ओर से एक ज्ञापिका (Memorandum) भेज दी गयी है।

उरई–कोंच सड़क

६—श्री विजयसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले में उरई–कौंच रोड जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (जिला परिषद्) की थी उसे पी० डब्लू० डी० ने कब अपने अधिकार में लिया है और उसके बनवाये जाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सड़क पी० डब्लू० डी० ने अपने अधिकार में नहीं ली है और यह अभी भी जिला परिषद् के अधिकार में है। इस सड़क के बनाने की जिम्मेदारी जिला परिषद् की ही है।

७–९—कुंवर रुकुमसिंह राठौर (जिला बदायूं)—

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

मथुरा जिले में अरहर

१०—श्री लखीसिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में दिसम्बर की २५–२६ तारीख को पाला पड़ने से अरहर की फसल बिलकुल खत्म हो गई ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कितने एकड़ जमीन में यह फसल थी और होने वाली पैदावार में किसानों को कितनी क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मथुरा जिले में कथित तिथियों को अरहर की फसल को पाले से कोई क्षति नहीं हुई।

११–१२—श्री रियासत हुसैन—

[१ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

झांसी जिले में अतिवृष्टि से क्षति

१३—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया यह बतावेगी कि सन् १९६०–६१ में झांसी जिले की किन-किन तहसीलों में अतिवृष्टि से क्षति पहुंची थी और वहां की पीड़ित जनता के सहायतार्थ उसने वहां की जिला कांग्रेस कमेटी को कितना रुपया कब भेजा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सन् १९६०–६१ में झांसी जिले की तहसील सदर मऊरानीपुर, मोठ एवं गरोठा में अतिवृष्टि से क्षति पहुंची थी। इस संबंध में वहां की पीड़ित जनता के सहायतार्थ शासन द्वारा वहां की जिला कांग्रेस कमेटी को कोई धन नहीं भेजा गया था।

१४---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उस रकम में कितना-कितना रुपया किस-किस तहसील में बांटा गया व कितना रुपया बचा और जो रुपया बचा वह क्या उसको वापस मिल गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा वह कहां जमा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं बारबार खड़ा हुआ लेकिन आपने मुझे समय नहीं दिया, अतः हम ५ मिनट के लिये वाक आउट करते हैं ।

(श्री श्यामलाल ने सदन का परित्याग किया ।)

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं । मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, सारे प्रदेश का सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप बैठ जायं, प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, ३५ नम्बर के प्रश्न के बारे में आपने कहा था बाद में लेंगे । जो आपने कहा था वही याद दिला रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समय निकल गया, अगर समय होता तो मैं जरूर ले लेता । आप अब बैठें ।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा---

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी २० सितम्बर, १९६२ की बैठक में पारित किया तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा बिना किसी सिफारिश के ४ अक्तूबर, १९६२ को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ५ फरवरी, १९६३ को प्राप्त हो गई और वह १९६३ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

मुख्य मन्त्री द्वारा असत्य कथन के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष---

एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना मुझे श्री राधेश्याम जी से मिली है माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ, जिसमें वे कहते हैं कि उन्होंने जो जवाब दिया था वह गलत था । मैं एक बात सूचना के तौर पर बतला देना चाहता हूं कि मैंने कल भी बताया था कि जिन माननीय सदस्यों ने नकद रुपया दिया था उनको रसीदें दे दी गयी हैं और उसमें कोई रसीद बाकी नहीं है । और जो रुपया उनके सैलरी बिल्स से काटा गया है उसका उनको स्वयं ही ज्ञान है । उस सम्बन्ध में अभी तक हमारे पास ट्रेजरी से कोई सूचना नहीं आयी है । जो मुख्य मंत्री जी ने कहा था वह तो यही कहा था कि जिन्होंने कैश दिया था उनको रसीद दे दी गयी है । तो इसमें मैं नहीं समझता कि क्या विशेषाधिकार की अवहेलना हुई ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, प्रश्न यह था कि देहात के लोगों को रसीदें नहीं दी गयी हैं । यह आम शिकायत है, मेरे पास पचासों तार और चिट्ठियां आयी हैं । प्रसंगवश यह बात चली कि सदन में चिराग

तले अन्धेरा है और मैंने उनसे कहा था कि आपने खुद रसीद नहीं दी है । तो यह जो आपने कहा कि रुपया काटा गया यह सही नहीं है क्योंकि रुपया तो स्वेच्छा से दिया गया और जब स्वेच्छा से दिया गया तो उसकी रसीद तो मिलनी ही चाहिये परन्तु रसीद नहीं मिली और मुख्य मंत्री ने बिना जानकारी के कह दिया कि रसीद दे दी गयी है । इन बातों में बड़ा विरोधाभास है । यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है और मुख्य मंत्री को सदन के समक्ष क्षमा याचना करनी चाहिये ।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

आप विशेषाधिकार के प्रश्न को अस्वीकार करने के पहले दूसरे सदस्य जो कहना चाहें उनको सुनिये तो ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत तीन सूचनायें आयी हैं । उनमें से एक लखीसिंह जी की है । मैंने गवर्नमेंट के पास उसको उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है ।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)---

पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा, पढ़े बेता हूं । वह यह है :---

"महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग करता हूं । प्रश्न यह है कि हम सभी विधायक जब दारुलशफा से विधान भवन को आते जाते हैं तो सड़क पर निकलने में भारी परेशानी हो जाती है । परेशानी ही नहीं, मुझ जैसे वृद्ध और कमजोर विधायक भी कभी-कभी अत्यावश्यक कार्य होने पर भी एक-एक घंटे खड़े रहते हैं । कल ता० १४-२-६३ को तो मैं कार की टक्कर लगने से बाल बाल बचा हूं । यदि कार वाले ने थोड़ी सी सावधानी न बरती होती तो मैं जान से मर जाता । और निकट भविष्य में इस सड़क से गुजरने का सही प्रबन्ध न हुआ तो मुझ से भी कमजोर कोई विधायक अवश्य जान दे बैठेगा ।"

मैंने इसको सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

इसमें आप मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें वक्तव्य की क्या बात है ?

श्री राधेश्याम शर्मा---

सरकार को लिखिये कि इस पर आवश्यक कार्यवाही जल्दी से जल्दी होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजा है ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

इसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह किसने कहा कि जांच के लिये भेजी है ?

(व्यवधान)

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

उपाध्यक्ष महोदय, श्री लखीसिंह जी की तरफ से जो नियम ५२ का नोटिस मिला, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को ज़ो आने जाने में कठिनाई है उस पर अवश्य विचार किया जायगा और सरकार की ओर से इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी कि जिस वक्त सदन का समय हो तो उनको आने जाने में असुविधा न हो ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, एक और स्पष्टीकरण हो जाय कि कितने दिनों में यह व्यवस्था हो जायगी क्योंकि यह तो रोज की परेशानी है । कल लखीसिंह जी मर गये होते ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, मंत्री जी ने एश्योरेंस दे दिया है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

श्रीमन्, यह स्पष्टीकरण हो जाय कि यह व्यवस्था कब तक हो जायगी । आज शाम को ही परेशानी होगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराज जाइये ।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं अपने सोशलिस्ट दोस्त को यह आश्वासन देता हूं कि वे यकीन रखें कि उनकी जान बहुत कीमती है और सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और जल्दी ही व्यवस्था होगी । यद्यपि सदन बहुत दिनों से चल रहा है और इस तरह की आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन विशेष रूप से समाजवादी दल ने ध्यान दिलाया है तो जल्दी ही व्यवस्था होगी ।

श्री लखीसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक मिनट दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जी नहीं, अब आप कृपा करके बैठ जाइये । दो सूचनायें और हैं । एक माननीय जगन्नाथराव की है और दूसरी चन्द्रबलीसिंह जी की है । ये दोनों ऐसी हैं कि इनके ऊपर प्रश्न किये जा सकते हैं । इसलिये प्रश्न कर लें ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ बयान दिला दीजिये । प्रश्न करने की जरूरत नहीं है । रैदास जयन्ती पर काफी तनातनी बढ़ गई है और रैदास मूर्ति का इसी लखनऊ के एक मुहल्ले में अपमान किया गया है । इसलिये बयान दिलवा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, ज्यादती न कीजिये । मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है ।

संयुक्त समाजवादी दल को मुख्य विरोधी दल की मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमान् . . .

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक निवेदन है । अगर आपकी इजाजत हो तो मैं निवेदन कर दूं ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उग्रसेन जी, कहिये ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमान्, मैंने आपको लिखकर दिया है कि समाजवादी संयुक्त दल ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में आलोचनात्मक अंश को निकाल कर सोशलिस्ट पार्टी का वर्तमान चुनाव घोषणा-पत्र सन् १९६२ को माना है। यह दल सोशलिस्ट पार्टी के विधान तथा अनुशासन में रहकर काम करेगा। अतः समाजवादी संयुक्त दल को प्रमुख विरोधी दल की मान्यता दी जाय। अभी तक मान्यता आपने प्रदान नहीं की है। उसके लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात है कि दुखद घटना होगई कि हमारे स्पीकर साहब बीमार हो गये हैं। उन्होंने इस प्रश्न को ले लिया है और वही फैसला देंगे। मुझे कोई अधिकार नहीं है जब उनके पास यह प्रश्न है। मैं उनसे आपकी बात कह दूंगा।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

श्रीमन्, अभी समाजवादी दल के नेता ने जो प्रश्न उठाया उस संबंध में मैं यह जानना चाहूंगा कि यहां समाजवादी और प्रजा समाजवादी दो दल हैं लेकिन बाहर जो पार्टी हैं वे इससे भिन्न हैं क्या, क्योंकि उनका अभी मर्जर नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

इन सभी बातों पर वे विचार करेंगे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी के रेल से कट जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रार्थना

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सरकार का ध्यान एक प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं। अभी आपने समाचार पत्र में देखा होगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय का एक लड़का रेल से कटकर मर गया। लोगों को हत्या का संदेह है। इसको लेकर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में मीटिंग हुई और स्ट्राईक भी हुई, तो मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी उपस्थित हैं आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करके कोई वक्तव्य इस विषय पर दिलवा दें तो उस प्रश्न का स्पष्टीकरण हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

नोटिस तो है नहीं, लेकिन यदि गृह मंत्री जी के पास कोई ऐसी सूचना हो तो दे दें।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी। हमने कल ही इस केस को सी० आई० डी० को दे दिया है। जब उनकी इन्क्वायरी की रिपोर्ट आयेगी तब उसके अनुसार जो आवश्यक और उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक स्पष्टीकरण कर लूं। जो सी० आई० डी० की रिपोर्ट आयेगी और उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी, क्या उसकी सूचना माननीय गृह मंत्री जी इस सदन को भी देंगे ?

श्री नवलकिशोर—

यह तो आम तौर पर एक जाब्ते की कार्यवाही होती है। आम तौर से यह सिविल पुलिस का केस था लेकिन चूंकि यह मिस्टीरियस है इसलिये इसको सी० आई० डी० को दे दिया गया है; उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

आप सदन को भी बतलायेंगे या नहीं उसके बारे में ?

श्री नवलकिशोर--

जो सवाल आप पूछेंगे, उसका जवाब दे दिया जायगा।

'स्वतन्त्र भारत' द्वारा सदन की कार्यवाही के गलत ढंग से छापने पर आपत्ति

श्री रामसुंदर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान जो आज का "स्वतंत्र भारत" समाचार-पत्र है उसके मुखपृष्ठ की ओर ले जाना चाहता हूं। उसमें मोटे कालम में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि "प्रजा सोशलिस्ट संशोधन का संयुक्त समाजवादी दल द्वारा विरोध" इसमें आगे चलकर यह लिखा हुआ है कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा में संयुक्त समाजवादी दल की आपसी फूट उस समय खुल पड़ी जब भूमि तथा जल संरक्षण विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव पर जो संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य श्री कल्पनार्थासिंह का था उसको प्रसोपा सदस्यों ने तो स्वीकार कर लिया था श्री चरणसिंह जी के संशोधन के साथ कि उसकी 'परिधि न बढ़ायी जाय' और १५ दिन के स्थान पर '३० दिन रख दिया जाय' परन्तु सोशलिस्ट उग्रसेन, जो संयुक्त समाजवादी दल के नेता हैं, ने इस शर्त को मानने से इन्कार कर दिया और संशोधित प्रस्ताव का विरोध करते हुये इस पर विभाजन की मांग कर दी। अनुशासन के कोड़े के भय से बहुसंख्यक प्रजा सोशलिस्ट सदस्य भी अपने ही प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने को बाध्य हुये।"

श्रीमन्, तथ्य इसके बिलकुल विपरीत था। आपको जानकारी होगी कि कल्पनार्थासिंह जी संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य हैं। उनका संशोधन था कि भूमि तथा जल-संरक्षण विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाय जिसको परिधि बढ़ाने का अधिकार हो और १५ दिन के अन्दर वह अपना प्रतिवेदन भेजे। श्री चरणसिंह, कृषि मंत्री, ने उस संशोधन को परिधि बढ़ाने वाली बात को हटा कर तथा १५ दिन के बजाय ३० दिन करके स्वीकार करने की बात कही थी। उस पर हमारे नेता श्री उग्रसेन ने उसका विरोध किया और कहा कि नहीं परिधि शब्द रहेगा तभी काम चलेगा। अनुशासनहीनता के भय का इसमें कोई प्रश्न नहीं था कि बोटिंग में लोगों ने उस भय से वोट किया। लेकिन अखबार वाले ने इस तरह से इसको प्रकाशित किया है जिससे हमारे दल की प्रतिष्ठा को ठेस लगती है। आप इस अखबार को और देखेंगे, मैंने आपके सचिव को भी दिखाया, इसके आखिरी पृष्ठ पर लिखा हुआ है "राज्य पर सुरक्षा की जिम्मेदारी के कारण जनता पर कर बढ़ेगा" और मुख्य मंत्री का मंत्रिमंडल का आकार छोटा करने का इरादा नहीं। उसके आगे चलते चलते-उसने लिखा है।

एक सदस्य--

आप बैठिये। इसका इस वक्त कोई मौका नहीं है। (व्यवधान)

श्री राम सुदर पांडेय--

आप कौन होते हैं? श्रीमन्, इनको मना कीजिये, ये अपना घर नहीं देखते हैं। ये बैठने के लिये कौन होते हैं कहने वाले?

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहिये।

श्री राम सुन्दर पांडेय--

इस अखबार में, जो कल सवाल हुआ था उसके संबंध में जो सप्लीमेंटरीज हुये हैं उसमें श्री बलवार्नासिंह जी जो हमारे दल के उपनेता हैं उनको लिखा गया है प्रसोपा सदस्य। प्रसोपा नाम की कोई पार्टी विधान सभा में इस वक्त नहीं है। आगे चल कर राधेश्याम जी को लिखा है सोशलिस्ट, काशीनाथ मिश्र को सोशलिस्ट, मुझको प्रसोपा। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप इस अखबारवाले को ताकीद कीजिये कि इस तरह की खबरें जो अवैधानिक हैं छापने से एक दल विशेष की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और इस तरह का प्रकाशन अखबारों में नहीं होना चाहिये अन्यथा मजबूर हो कर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न हम ऐसे सदस्य को ऐसे पत्र के विरुद्ध पेश करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

इसे आप इस वक्त रहने दीजिये, फिर मैं आपसे और उनसे बात करके तथा इसको पढ़ कर बता दूंगा कि इसमें क्या होगा ।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, हमारी बदकिस्मती यह है कि जब भी इधर से कोई बोलने खड़ा होता है उधर (कांग्रेस) से हल्ला मचने लगता है, इसको आप रोकिये....

श्री उपाध्यक्ष---

हल्ला इधर से ज्यादा होता है, उधर से जब होगा मैं रोकूंगा ।

संयुक्त समाजवादी दल को मुख्य विरोधी दल की मान्यता देने के सम्बन्ध में जानकारी---(क्रमागत)

श्री राधेश्याम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं विरोधी दल की मान्यता के बारे में इस समय कुछ नहीं कहूंगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो गलत धारणा बन गयी है वह इस कारण बन गयी है कि हमें एक साथ बैठने का मौका नहीं दिया गया है । मैं आपसे यह चाहता हूं कि आप कम से कम ऐसी व्यवस्था तो कर दें जिससे कि हम सब एक साथ बैठ सकें । यह तो आप कर ही सकते हैं । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

पीसमील कोई काम नहीं होगा, यह सब विचाराधीन है । (व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

दल को मान्यता तो दे दी गयी है । आप कृपया यहां एक साथ बिठाने की व्यवस्था करें, आप अपने सचिव से बात कर लें...

श्री उपाध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, पीस-मील कोई चीज नहीं होगी, आपके नेता जी से बातें हो गयी हैं, वे मान भी गये हैं ।

* * * * *

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, १३ और १४ तारीख को इस यू० एस० पी० को यहां स्पीकर महोदय द्वारा रिकग्नीशन मिल गया था, केवल डिक्लेरेशन अब अपोजीशन लीडरशिप का रुक गया था । मेरी समझ में नहीं आता कि जब इस पार्टी को रिकग्नीशन मिल गया तो आप हमको एक सीट देने के लिये तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है ? लीडरशिप देने में भी आखिर क्या दिक्कत है ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो कई बार कहा गया है, माननीय उग्रसेन जी से बात हो गयी है, उन्होंने मान भी लिया है, माननीय अध्यक्ष की तबियत अब ठीक हो रही है, २-४ दिन में इसका फैसला हो जायेगा ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---

माननीय बलवान सिंह जी ने कहा कि संयुक्त समाजवादी दल को मान्यता दे दी गयी है १३ तारीख को । जहां तक मुझे याद है, इस नाम से अभी कोई मान्यता माननीय अध्यक्ष ने नहीं दी है... (व्यवधान)

[**] माननीय उपाध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--
यह सारा प्रश्न अभी माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन है।

कुंवर श्रीपाल सिंह--
इस तरह से तो यहां धीरे-धीरे कहते-कहते यह कह देंगे कि उनको मान्यता मिल गयी

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ की प्रवर समिति पर कार्य करने के लिये सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति के लिये निम्न सदस्य निर्वाचित किये जायं--

१--श्री विजय कुमार
२--श्री बैजनाथ सिंह वैद्य
३--श्री जगन प्रसाद रावत
४--श्री जगन्नाथ सिंह
५--श्री नियाज हसन
६--श्री विश्वनाथ प्रणव
७--श्री शिवराज सिंह, उप-मंत्री
८--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
९--श्री जे० पी० मिश्र
१०--श्री शिवसम्पति शर्मा
११--श्री भानुप्रताप सिंह
१२--श्री बलवान सिंह
१३--श्री कमलासिंह यादव
१४--श्री भीखालाल
१५--श्री बाबूलाल
१६--श्री राधेश्याम शर्मा
१७--श्री जगन्नाथ राव
१८--श्री चन्दन सिंह

श्री उपाध्यक्ष--
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण विधेयक, १९६३, पर नियुक्त प्रवर समिति के लिए निम्न सदस्य निर्वाचित किये जायं :--

१--श्री विजय कुमार
२--श्री बैजनाथ सिंह वैद्य
३--श्री जगन प्रसाद रावन
४--श्री जगन्नाथ सिंह
५--श्री नियाज हसन
६--श्री विश्वनाथ प्रणव
७--श्री शिवराजसिंह, उपमंत्री
८--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
९--श्री जे० पी० मिश्र
१०--श्री शिव सम्पति शर्मा
११--श्री भानु प्रताप सिंह
१२--श्री बलवान सिंह
१३--श्री कमला सिंह यादव
१४--श्री भीखालाल
१५--श्री बाबूलाल
१६--श्री राधेश्याम शर्मा
१७--श्री जगन्नाथ राव
१८--श्री चन्दन सिंह ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन का कार्य-क्रम

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--
उपाध्यक्ष महोदय, कल के निश्चय के अनुसार कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समिति के सदस्यों को कि उन्होंने इस प्रार्थना को मान लिया क्योंकि सदन के सामने आज कार्य नहीं था।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, एक निवेदन है, क्लेरिफिकेशन है। हमने यह कहा है कि यह सदन में रख या जाय। बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी ने अपना कोई रेजोल्यूशन नहीं लिया है। हाउस जैसा चाहेगा करेगा। यह कन्वेंशन का सवाल है। माननीय मंत्री इसको सही कर दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री बनारसी दास---

मैंने कोई प्रस्ताव के रूप में रखा नहीं। मैंने यह कहा कि जो प्रार्थना थी उसको मान लिया कि आज इन दोनों विधेयकों पर विचार किया जाय। मैंने वहां पर भी आश्वासन दिया था कि न हम इस प्रकार की परम्परा बनाना चाहते हैं, विशेष परिस्थिति की वजह से क्योंकि कल प्रवर समिति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, और आज कार्य नहीं था, इसीलिए चाहता हूं कि इन दोनों विधेयकों पर विचार कर लिया जाय। आगे इस बात का ध्यान रखा जायगा कि नियम के अनुसार पहले लिया जाय। धन्यवाद इसलिए दिया कि माननीय नरसिंह नारायण और सब लोगों ने मेरी प्रार्थना को मान लिया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा तो कम से कम विरोध करने का अधिकार तो है ही। हमारा निवेदन सुन लें। आपने माननीय सूचना मंत्री का निवेदन सुना है तो हमारा भी सुन लीजिए। निवेदन यह है कि कल भी मैंने इसका विरोध किया था कि सरकार इस तरह से जो चाहती है मनमाना करती है, सारे नियमों को भंग करती ह, तो सरकार को फिर वही अधिकार नहीं देना चाहिए। इसलिए मैंने इसका विरोध किया था और फिर विरोध कर रहा हूं। अगर आप को इसे आज लेना था तो आप पहले से लाकर के इसे सदन की मेज पर रख देते। माननीय सदस्यों को पूरा वक्त मिलता, वह उसे पढ़ते, उसमें संशोधन देते.....

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, मैं आपसे अर्ज करूं, जहां तक आप के राइट्स का ताल्लुक है, मैंने कल आपके राइट्स को अपहोल्ड किया और मैंने यह कहा था कि अगर अपोजीशन के लीडर्स की राय नहीं होगी या कार्य मंत्रणा समिति के माननीय सदस्यों की राय नहीं होगी तो मैं हरगिज इन विधेयकों पर विचार करने की इजाजत नहीं दूंगा। तो अब आप का राइट तो पूरा हो गया। अब सवाल यह है कि कार्य मंत्रणा समिति में यह रखा गया। यह सही बात है कि मंत्रणा समिति ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया लेकिन साथ ही साथ यह बात भी है कि मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों ने इसको मान लिया कि यह हो जायगा तो कोई बात नहीं है .....

श्री उग्रसेन---

माना नहीं है। कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने तो कहा कि निर्णय बाकायदा नहीं लिया। लेकिन इन्फार्मली....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

बाकायदा निर्णय नहीं लिया तो क्या बेकायदा कोई निर्णय हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइए। मैं आपसे यह अर्ज करूं कि अब आपके सामने सवाल यह है कि कोई दूसरा काम इस समय नहीं है और यह दो छोटे-छोटे विधेयक हैं, उनमें कोई बहस तलब बात ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं यह समझते हुए कि हाउस का सेंस भी इसके माफिक ही है प्रार्थना करूंगा माननीय उग्रसेन जी से....

श्री उग्रसेन---

आप नेता विरोधी दलों से पूछ लीजिए...

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

आप सबका सेंस लेकर तब कुछ निर्णय दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उग्रसेन—

आप माननीय सूचना मंत्री जी से कह दें कि हम इसका विरोध करते हैं और इस हाउस में उनकी मनमानी नहीं चलने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सूचना मंत्री जी की नहीं चलेगी, आप की चलेगी ।

श्री यादवेन्द्र दत्त—

आप जरा हाउस का सेंस तो लीजिए, फिर अपना निर्णय दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिए, वहां सभी पार्टियों के रिप्रजेंटेटिव थे...

श्री यादवेन्द्र दत्त—

तो क्या मैं यह समझूं कि सूचना मंत्री जी के तर्कों को चेयर भी मजबूत कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने जो वहां सेंस था और लोगों का जो समझा, वह पेश कर दिया, आप कहिए....

श्री यादवेन्द्र दत्त—

आप हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं हैं, हमें सुनकर आप निर्णय देते तो चेयर की शोभा अधिक होती ।

श्री उपाध्यक्ष—

तो मैंने निर्णय कहां दिया ? आप कहिए न, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि सरकार इस प्रकार का लेजिस्लेशन का प्रोग्राम ठीक से नहीं बना पाती । यह दुख की बात है और यह इनकी अदूरदर्शिता और अकर्मण्यत, का नतीजा है । मैं समझता हं कि इनका सारा प्रोग्राम ठीक से स्पेस आउट करना चाहिए । किसी चीज को यह सेलेक्ट कमेटी में स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे इसका निर्णय पहले से होना चाहिए और उसके बाद अगर सेलेक्ट कमेटी में यह जाता है तो क्या बिल इसके बाद आयेंगे इनका निश्चय पहले से होना चाहिए । परन्तु ऐसा जो नहीं किया गया यह इनकी अपात्रता का प्रत्यक्ष और ज्वलंत प्रमाण है । लेकिन आज इस इमर्जेंसी के अवसर पर मैं नहीं चाहता हूं कि पब्लिक मनी का वेस्ट हो और अपोजीशन की यह जिम्मेदारी होती है कि अगर सरकार अकर्मण्य और अपात्र हो जाती है तो अपोजीशन को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए कि सरकार की अकर्मण्यता और अपात्रता के कारण पब्लिक मनी का वेस्ट न हो पाये । इसीलिए और इसी कारण यों मैं स्वयं इमर्जेंसी या और कोई बात न होती तो इसका विरोध करता कि यह परिपाटी गलत है लेकिन इनकी अपात्रता के कारण जनता का पैसा नष्ट हो और पब्लिक मनी का सदुपयोग न हो सके, यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा और इसलिए मैं.....

श्री उग्रसेन—

वह माफी मांगें इसके लिए ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

अब उन्होंने खेद प्रकाश कर ही दिया । तो इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं—माननीय उग्रसेन जी की बात भी अपने स्थान पर सही है और स्थिति भी आज अपने स्थान पर सही है, इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, सदन के सभी माननीय नेताओं से और सदस्यों से कि हम लोगों ने अपना विरोध प्रकट कर दिया और उस विरोध के प्रकट करने के बाद टैक्सपेयर् का

पैसा नष्ट न हो, इस खयाल से हम इन दोनों बिलों को स्वीकार कर लें, उस पर सदन विचार कर ले और आप भी यह नियम वेव कर दें कि जो बन्धन है ३६ घंटे के अन्दर आया हुआ संशोधन जिसके अनुसार स्वीकार नहीं होता, उसको आप वेव कर दें जिससे कि सदन का कार्य चल सके और सरकार की गलती की वजह से सदन का कार्य ठप न हो।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो विरोधी दल के नेता ने कहा है वह सही है कि इस समय क्योंकि इमर्जेन्सी है इसलिये इन दोनों बिलों को पास कर देना चाहिये और बैठना चाहिये लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार की भर्त्सना जरूर कर दें कि इस तरह से जो उनको पहले से प्रोग्राम बनाना चाहिये था और समय देना चाहिये था यह सरकार नहीं कर पाती है। आपको रोज रूल को वेव करना पड़ता है। कम से कम आज यह कार्यवाही में आ जाय और आप सरकार की भर्त्सना जरूर कर दें कि भविष्य में इस तरह की कोई कार्यवाही का अवसर इस सरकार को नहीं दिया जायगा और सरकार पहले से अपना प्रोग्राम बना लें।

*श्री बनारसी दास—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दुबे जी को और माननीय नेकराम जी को धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का पूरी तरह से कार्यक्रम था लेकिन हां इतनी भूल मानता हूं कि जब विरोधी पक्ष का ऐसा कोई प्रस्ताव हो और उनको एकोमोडेट करने के लिये वह मान लिया जाय तो यह भी क्या हमारी अपात्रता है। मैं इस अभियोग को मानता हूं क्योंकि स्वायल कंजर्वेशन बिल पर हमारा निश्चय था कि वह सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजना है। किन्तु माननीय विरोधी दल के सदस्यों का इस प्रकार का आग्रह था तो हमने उसको मान लिया। अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो अपात्रता का कोई प्रश्न नहीं है। हमारा कार्यक्रम था। उनके आग्रह को मानने की वजह से संशोधन करने की आवश्यकता इसमें हुई। यह जो नियम रखा गया है इसमें इसी कारण से यह प्राविजन किया गया है कि विशेष परिस्थिति में इस नियम को वेव किया जा सके। इसमें सदन के नियमों की अवहेलना का प्रश्न नहीं है। अगर यह नियम के अन्दर मैन्डेटरी होता तब तो यह था कि यहां किसी विधेयक को विचारार्थ न लिया जाय लेकिन यह प्राविजन इसीलिये रखा गया है कि ऐसे समय पर उसका उपयोग हो सके। आज यह प्रश्न है और आज अगर इस प्रश्न को लेकर यह बात कही जा रही है तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि वह ऐसे अवसर पर नियम को वेव कर दें। मैं यही विवेदन करना चाहता था कि इस प्रकार से नियम को हमेशा वेव किया जाय यह सरकार नहीं चाहती है और न इसकी कोई परम्परा बनाना चाहती है।

श्री उग्रसेन—

आपने माननीय मंत्री जी की बात सुन ली। वह बहुत असन्तोषजनक बात है कि उनकी यह भूल है। वह तो रोज भूल करते हैं। हम तो इस पर तभी सहमत होंगे जब हमारी यह शर्त मान ली जाय कि आज सदन का जो खर्चा होगा वह मंत्रिमंडल के सदस्यों के वेतन से काटा जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

जहां तक आपके राइट का प्रश्न है, वह तो अपहोल्ड हो गया और जहां तक बनारसीदास जी की प्रार्थना का प्रश्न है, वह एक प्रार्थना करते हैं और उसको सदा के लिये कोई परम्परा नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि इस नियम को वेव कर दिया जाय और इसको मैं वेव करता हूं।

श्री उग्रसेन—

आप इस पर राय ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने इस पर हाउस का सेन्स ले लिया है ।

श्री मैनेजर सिंह---

आप इस पर कोई व्यवस्था देने की कृपा करें। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

नियम १६५ के अन्तर्गत जो मुझे अधिकार है, उसके अनुसार मैंने हाउस का सेन्स देख कर इस नियम को वेव कर दिया है ।

ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय । उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संक्षिप्त और मासूम विधेयक है जो यहां प्रस्तुत किया गया है ।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)---

श्रीमन्, व्यवस्था तो आपने दे दी लेकिन हाउस की परमीशन लेने के लिये अगर वोटिंग हो जाती तो अच्छा होता ।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें वोटिंग का कोई सवाल नहीं है । यह कोई प्रीसीडेंट नहीं बनेगा, इसको वह स्वयं भी कह चुके हैं ।

डाक्टर सीताराम---

आबकारी विभाग के कर्मचारी केसेज पकड़ते हैं । भारत सरकार का ओपियम ऐक्ट, १८७८ में बना था और उसका डेंजरस ड्रग्स ऐक्ट भी है । इस समय अफीम का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है । उसके लिये पुलिस कर्मचारियों को तो सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत पावर्स हैं वे उन केसेज को पकड़ कर चालान कर सकते हैं, लेकिन आबकारी विभाग के अधिकारिय और कर्मचारियों को अफीम के बारे में केसेज पकड़ने और चालान करने का अधिकार नहीं है यद्यपि आबकारी विभाग के कर्मचारी यह काम करते आये हैं । अभी तक किसी कोर्ट ने उनको इसके लिये चैलेन्ज नहीं किया । अभी हाल ही में कुछ केसेज आये हैं, पकड़े गये हैं जिनका पुलिस विभाग ने इंवेस्टीगेशन किया है । अतः इस विधेयक में यह अधिकार लिया जा रहा है कि एक्साइज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सी० आर० पी० सी० के १४ वें अध्याय के अन्तर्गत उन केसेज को पकड़ने और चालान करने का अधिकार मिल जाय । यही इस बिल का मंशा है और आशा है कि सदन इस पर विचार करके इसे पारित करेगा ।

श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे ।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने विधेयक पेश करते समय इसको मासूम की परिभाषा दी है । जिन मुश्किलात का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया है, वह बात अपनी जगह पर सही है और अपना एक स्थान रखती है, परन्तु आबकारी विभाग में जो एक अनाचार और भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । स्थिति यह है कि जहां आप एक्साइज अफसरों को अधिकार देने की बात सोचते हैं और यह अधिकार देना चाहते हैं कि वे केसेज पकड़

---

*१४ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।

कर उनका प्रासीक्यूशन भी कर सकें, उसके साथ सवाल यह है कि वे अधिकारी स्वयं उस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दें तो क्या स्थिति प्रदेश में होंगी। आज अभी एक प्रश्न के संबंध में मैंने कहा था कि पश्चिमी जिलों में, कानपुर और दिल्ली में, बम्बई में जो अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह बने हुए हैं, ऐसा ही गिरोह लखनऊ में कार्य करता है, होटलों में रहता है और उसका एक्साइज कमिश्नर और बड़े-बड़े अधिकारियों से संबंध रहता है। जब लाइसेंसेज देने की बात आती है तो वे अधिकारी येन-केन-प्रकारेण अपना दबाव इस्तेमाल करके उनको लाइसेंस दिया करते हैं और प्रोत्साहन दिया करते हैं। गोरखपुर का एक गिरोह है, वह वहीं तक सीमित नहीं है, उसका असर लखनऊ तक है और यहां होटलों में रहता है और वह लोग कहते हैं कि हमारा संबंध एक माननीय मंत्री से है जिसके जरिये से एक रोजगार और धंधा फैलाये हुये हैं। वह चोर-बाजारी करता है और अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाता है। सरकार जब ऐसा संशोधन लाती है तो उसको यह भी मालूम होना चाहिए कि आखिर वह कौन लोग हैं। अभी सरकार ने इमर्जेन्सी के नाम पर प्रदेश में शराब पिलाना शुरु कर दिया। आज शहर में चर्चा है, किसी होटल में बैठ जाइये। कहा जाता है कि अमुक मंत्री ने ५० लाख रुपये इसलिये लिये कि लाइसेंस देकर अंग्रेजी शराब की दूकानें खुलवाई जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

वास्तविकता पर आइये, जल्दी कीजिये, इसमें केवल यह है कि एक्साइज अफसरों को भी वही पावर दी जायं.....

डाक्टर सीताराम—

५० लाख रुपये वाली बात आक्षेप है। इसको साबित करें या वापस लें।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

यह तो चर्चा का विषय है, यह आक्षेप कैसे है? सारे लखनऊ शहर में चर्चा है। चर्चा के मतलब आक्षेप नहीं होते। चर्चा है और मंत्री जी उसको जानना चाहते हैं तो मैं उनको साथ ले जाकर सुनवा सकता हूं कि ५० लाख रुपये लिये गये हैं प्रदेश में शराब की दूकानें खुलवाने के लिए। माननीय मंत्री जी जांच करायें, यह उनका काम है। मुझे डर है कि आज जो पावर्स एक्साइज आफिसर्स को दी जा रही हैं कहीं उनका दुरुपयोग न हो। आप तो वकील हैं, आप जानते होंगे कि पुलिस बड़ी छान-बीन के बाद किसी मामले पर आती है और गवाह और सबूत इकट्ठा करती है, एवीडेंस लिये जाते हैं, लेकिन एक्साइज अफसरान को सभी अधिकार दिये जा रहे हैं। अगर अफसर ही भ्रष्टाचारी हो जाय तो उस समय क्या स्थिति होगी? प्रदेश में कैआस हो जायगा। तो आज तो खुली चर्चा है कि मद्य निषेध की जगह आज सरकार खुले आम प्रदेश में शराब पिलवा रही है और दूकानें अंग्रेजी शराब की खुलवा रही है। ऐसी चीज होती है तो मुझे दुख होता है। जो संशोधन पेश किया गया है, मुमकिन है कि उनके कार्यक्रम के लिए ठीक हो जो कि और एक्साइज के केसेज में सजाएं दिलाने में कामयाब हो, लेकिन जो मुख्य चीज है और चर्चा का विषय है उसकी ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

जनता में आज यह बड़ा शोर है कि शराब की बहुत सी दूकानें खोली जा रही हैं। इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने का संशोधन प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे सुझाव पर अमल करने की कृपा करेंगे।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विधेयक हमारे सामने है उससे माननीय पाण्डेय जी ने जो प्रवर समिति का संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरी जानकारी तो यह है कि एक्साइज वाले लोगों की व्यक्तिगत जिन्दगी में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ऐसी हालत में अगर उनको पुलिस के अधिकार दे दिये जायेंगे तो वह उचित न होगा। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

फिर भी अगर इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाता है और विचार करने के बाद कुछ प्रतिबन्धों के साथ वह अगर यह महसूस करती है कि इससे लोगों का फायदा हो सकता है तब यह हाउस उस पर विचार कर सकता है।

मैं कुछ मिसालें माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन जो पंजाब के बाद पहला ही रेलवे स्टेशन पड़ता है वहां पर हर समय एक्साइज के तीन चार सिपाही रहते हैं और किसी आदमी के पास यह मालूम हुआ कि उसकी जेब में १००–२०० रुपया है तो जैसे ही वह गाड़ी में जाकर बैठता है कि तीन चार आदमी उसको घेर कर झट से उसकी जेब में हाथ डाल देते हैं और उनके हाथ में जो पुड़िया होती है उसको रख देते हैं और उसका हाथ पकड़ कर जेलखाने ले जाते हैं। इसी प्रकार की एक घटना २६ जनवरी को वहां हुई और उससे रुपया लेकर उसको जगाधरी तक छोड़ने के लिये सिपाही गये। जब धारा ३९२ में उसकी रिपोर्ट लिखायी गयी तो नहीं लिखी गयी। जब वह मेरे पास आया तो मैंने जाकर रिपोर्ट दर्ज करायी। उसमें १०४ रुपया तीन सिपाहियों ने ले लिया था और उसको प्रदेश के बाहर भेजकर ही माने। थानेदार के सामने वह सिपाही मौजूद था और पांव पकड़ रहा था और थानेदार ने कहा कि कुछ ज्यादा रुपया ही लेकर किसी प्रकार से फैसला कर लो।

इसी प्रकार सहारनपुर के बाद हरद्वार का स्टेशन है। वहां पर बहुत से तीर्थ यात्री आते हैं और जवान लड़कियों को छेड़ते हैं। अगर कोई लड़की कहीं पेशाब करने के लिये जाती है तो उसको घेर लिया जाता है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार आपके सामने स्टाफ की बुराई रखने के साथ मैं यह चीज रखना चाहता हूं कि अब तक जब कि उनके हाथ में एक ही अधिकार था तब तो जनता को वे ऐसा परेशान करते थे लेकिन जब गिरफ्तार करके अपनी तहवील में रखने के अधिकार हो जायेंगे तो वे क्या न करेंगे।

कौन सा ऐसा पनवाड़ी है जहां शराब नहीं मिलती? मैंने सुपरिंटेंडेंट श्री बैजल के साथ जाकर उनको ५० दुकानों से शराब पिलवाई। दो-दो रुपये की शराब लेकर उन्होंने उसे मुंह से चखा। लेकिन वे बेचारे यह कह कर कि किस-किस का चालान करें, चुप रह गये। इस तरह की बुराइयां इक्साइज स्टाफ में कोई छिपी हुई चीज नहीं है। कोई होटल ऐसा नहीं है जहां शराब न मिल पाती हो, कोई पनवाड़ी की दूकान ऐसी नहीं है जहां यह व्यापार न होता हो। तो क्या इस प्रकार पुलिस के अधिकार उनको देकर पब्लिक को उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिये? आज जब वे कोई केस पकड़ कर पुलिस को देते हैं तो पुलिस उस पर उचित कार्यवाही करती है, दोनों विभाग अलाहदा-अलाहदा हैं। उनके होते हुये भी इतना भ्रष्टाचार है। अगर ऐक्शन लेने की या कार्यवाही करने की जो ताकत है उसी स्टाफ को दे दिया जायगा तो उसका नतीजा बुरा होगा, अच्छा नहीं होगा। आपका खयाल यह है कि वह स्टाफ केस जल्दी तैयार कर लेगा, उसमें देरी नहीं होगी और अच्छी तरह से छानबीन हो सकेगी। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं तो यह बेहतर समझता हूं कि अगर कोई केस हो इक्साइज स्टाफ के सामने तो वह उसे पकड़ कर पुलिस के सुपुर्द करे और पुलिस वाले उसकी अच्छी तरह से जांच करें। यह तो मैं मानता हूं कि अब तक जो रुपया वसूल होता है वह दो हिस्सों में बंटने के बजाय एक के ही हिस्से में आ जायगा और हो सकता है कि जहां एक व्यक्ति को १०० रुपया खर्च करना पड़ता था वहां उसका काम ५० रुपये में ही निकल जायगा, लेकिन एक चीज बड़ी गड़बड़ हो जायगी कि इक्साइज स्टाफ पुलिस के पावर को लेते हुये पब्लिक पर हावी हो जायगा और किसी इज्जतदार आदमी को अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जायगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो।

इस संबंध में मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं। पंजाब के जालंधर जिले से ७० वर्ष का एक बुड्ढा आदमी अपने लड़के की अस्थियां लेकर हरिद्वार आया था। इक्साइज स्टाफ वालों ने उसकी जेब में हाथ डाल कर झट उसे पकड़ लिया और जो कुछ उसके पास था उसे निकाल लिया। वह रोता पीटता परेशानी की हालत में किसी तरह से मेरे पास आया।

मैंने उसकी जमानत करवायी और उसका कस भी लड़वाया, लेकिन यह सही है कि उसके पास कुछ नहीं था। उसके पल्ले इतना भी पैसा नहीं था कि वह किराया देकर अपने घर लौट जाय। फिर अपने पल्ले से मैंने पैसे देकर उसे पंजाब भिजवाया और मैजिस्ट्रेट ने भी इस बात को मान कर ही उसे अदालत के बरखास्त होने तक की सजा देकर छोड़ दिया। लेकिन अगर इक्साइज वालों को ही पुलिस के अधिकार दे दिये गये तो फिर यह कहां तक पब्लिक के लिये सुरक्षा की बात होगी? कहां तक यह हमारे लिये फख्र की बात होगी? इस तरफ अगर सरकार ध्यान दे और पुलिस का अधिकार इक्साइज स्टाफ को न देकर उचित कार्यवाही करे, तो वह ज्यादा मुनासिब है।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष एक बहुत छोटा सा विधेयक है कि आबकारी इंस्पेक्टर को चालान करने का अधिकार हो जाय। आज जो पुलिस इंस्पेक्टर को अधिकार है वैसा इसको भी अधिकार हो। हमारे माननीय पांडेय जी और दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं कि इन आबकारी इंस्पेक्टरों को अधिकार मिल जायगा तो वे बहुत बुरी तरह से हावी हो जायेंगे पब्लिक के ऊपर और पुलिस का अधिकार बहुत खतरे में पड़ जायगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की एक छोटी सी बात कि आबकारी इंस्पेक्टर जिसके अधिकार में यह है कि वह, अगर कहीं नाजायज शराब बनती हो, कहीं कोई नाजायज बात होती हो, तो उसको वह पुलिस की मदद लेते हुए पकड़े—क्योंकि पुलिस जब जाती है तो वहां पुलिस के कुछ दलाल बीच में होते हैं जो वहां जाकर खबर कर देते हैं कि हम आबकारी इंस्पेक्टर के साथ आ रहे हैं, इसलिये अपने शराब बनाने के सब सामान गायब कर दो और यहां से हट जाओ—और इसका नतीजा यह होता है कि वह पकड़ में नहीं आ पाता। तो यह ऐसा जरूरी बिल है कि हमारा आबकारी इंस्पेक्टर सीधे वहां जाकर छापा मारे और उसका चालान कर दे। जो अधिकार पुलिस इंस्पेक्टर को है वही अधिकार अगर आबकारी इंस्पेक्टर को दे दिया जाय तो इसमें कौन सी आपत्ति की बात होगी? पांडेय जी ने एक अजीब बात कही और पता नहीं क्यों इतना अनर्गल प्रलाप प्रदान करने का श्रेय उन्हीं को है कि ५० लाख की रिश्वत दी होगी। मुझे बताया जाय....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

हमारा तो यह अनर्गल प्रलाप है लेकिन यह क्या कर रहे हैं? ऐसा कहना निहायत बदतमीजी की बात है, इस को आप वापस कराइये, यह अनपार्लियामेंटरी है....।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं, यह कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री जसराम सिंह—

आप शांति से सुन लें, ५० लाख रुपया जिस ठेके में एक आदमी की आय क्या होगी तो...

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि आदरणीय सदस्य एक गम्भीर सदस्य हैं। अगर मैं कुछ इसमें झूठ कह रहा हूं तो एक ट्रिब्युनल अप्वाइंट कर दिया जाय और अगर ५० लाख से कम जनता को शराब के पिलाने में शिकायतें आयें तो मुझे हाई कोर्ट से सजा दिलाई जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ने अपनी बात कह दी और अब वह कह रहे हैं। उन को भी कहने का अधिकार है, आप उनको गैग करने की कोशिश नहीं कर सकते, उन्हें भी अपनी बात कहने दें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष—

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री राधेश्याम शर्मा —

पहले आप सुन तो लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि "क्या अनर्गल प्रलाप" कर रहे है, ऐसा कहना पार्लियामेटरी पद्धति के अनुकूल है ? यह भाषा क्या संसदीय है ? है तो बतायें. वर्ना उनसे वापस करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके माने तो इर्रेलेवेन्ट के हैं। किसी की बात को इर्रेलेवेन्ट कहने में कोई बुराई नहीं हैं और यह इस तरह से यह अनपार्लियामेटरी नहीं है। उन्होंने माननीय सदस्य के लिये नहीं कहा है, उस बात के लिये कहा है जो उन्होंने कही है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

तब तो आपने हमारा रास्ता साफ कर दिया है। ठीक है।

श्री जसराम सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि उधर की बेंच के कुछ माननीय सदस्य यह अधिकार समझते हैं कि अनर्गल प्रलाप करने के लिये ५० लाख रुपया रिश्वत का लेकर कोई लाइसेंस दिया जाय तो उससे कई करोड़ रुपये की आय होगी। यह इतनी असत्य बात है कि इसे जनता का कोई आदमी या अधिकारी मानने को तैयार नहीं हो सकता। हमारा कांग्रेस का हमेशा यह ध्येय रहा है कि मद्यनिषेध किया जाय और यह हमारी नीति है, लेकिन इसके लिये जनमत तैयार किया जाना चाहिये। जनता शराब न पिये, इसके लिये अगर माननीय सदस्य जो हमारे सामने बैठते हैं वह जनमत तैयार करें और इस बात में हमारा सहयोग दें कि शराब जनता न पिये या उसका प्रयोग न करे तो मैं उसको अधिक अच्छा समझता हूं। उससे न ठेका देने की नौबत आयेगी और न इंस्पेक्टर और पुलिस को चालान करने की बात पैदा होगी। लेकिन नतीजा यह हुआ है कि जहां भी हमने मद्यनिषेध किया वहीं पर अधिक भट्ठियां देशी शराब बनाने की खुलीं और नाजायज शराब बिकी, लोगों ने नाजायज आय की। जहां भी नशाबन्दी की वहीं पर गांवों में शराब बनाने की भट्ठियां चलीं और पुलिस की दलाली शुरू हुई। तो ऐसी जगह पर मैंने पहले निवेदन किया कि अगर हमारा इंस्पेक्टर पुलिस की सहायता से जाता है तो पुलिस भी वहां कुछ कमीशन तय करती है, इंस्पेक्टर उनको पकड़ नहीं पाता है। अगर यह अधिकार चालान करने का अधिकार उसको दे दिया तो शराबबन्दी में बहुत बड़ी सहायता होगी और नाजायज शराब बनना बन्द हो जायेगी। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आबकारी इंस्पेक्टर बड़ा हावी हो जायगा। तो हावी हो जायगा इसलिये नाजायज शराब बनाने वाले भी उससे घबड़ायेंगे। आज लोकल पुलिस उस पर हावी नहीं है, कुछ कमीशन तय है इसलिये यह अधिकार इंस्पेक्टर को देते हैं तो उपयुक्त बात है।

श्री उपाध्यक्ष—

पुलिस का राइट तो छीन नहीं रहे हैं।

श्री जसराम सिंह—

वह तो कायम है। लेकिन आबकारी इंस्पेक्टर को जब अधिकार दे रहे हैं तो इससे नाजायज शराब की रोक की व्यवस्था कर रहे हैं। माननीय पांडेय जी ने कहा कि शराब बन्दी का ध्येय था, वह नहीं चला पाये और यह ठेके शराब के दिये जा रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अगर इसको रोक दें तो हमारी आर्थिक हानि होगी और अगर नाजायज शराब बनना न बन्द करें तो यह दूकान नहीं बिकेंगी। इसलिये यह अधिकार देना जायज है और इस बिल को सभी को स्वीकार करना चाहिये जिससे नाजायज काम रुक सके।

*कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, बिल बहुत छोटा सा है, बात बहुत छोटी सी है मगर असर उसका बहुत विकट है, जैसे छोटी बिच्छी होती है लेकिन जब डंक मारती है तब उसका असर मालूम होता है। कहने के लिये ठीक है कि आबकारी के इंस्पेक्टर को थोड़ी सी ताकत दी जा रही है मगर समझ नहीं पा रहा हूं ताकत देने की जरूरत क्यों पड़ी। आबकारी के इंस्पक्टर जब कभी किसी जगह पकड़ने जायंगे तो उनको पुलिस ले जानी ही पड़ेगी अपनी रक्षा के लिये। बगैर उसके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ५० आदमी द्वारा जहां कच्ची शराब चुआयी जा रही होगी वहां वह बिना पुलिस की मदद के उनका कुछ नहीं कर सकते। तो उनको यह अधिकार देने के माने केवल इतने हैं कि, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, पुलिस के दलाल अभी तक शामिल हो जाते थे यानी पुलिस की रिश्वत लेना आपने मान लिया। तो अभी दो आदमी शरीक होते थे। जब दोनों की राय हो जाती थी तब जा कर किसी मामले को छोड़ सकते थे अन्यथा नहीं। अगर आबकारी इंस्पेक्टर अकेले खाना चाहे और दरोगा को कुछ न दे तो वह किसी इन्नोसेन्ट आदमी को फंसा नहीं सकते थे। जैसा माननीय मायर जी ने किस्सा बताया, किसी आदमी का चालान करने के पहले दोनों आदमियों को मिलना पड़ता है। मगर अब जब अकेले इन्हीं के हाथ में पावर होगी तो पुलिस की जरूरत नहीं और खुद जिसको चाहें पकड़ लें। जब दो आदमियों में बटवारा है तब आबकारी के इंस्पेक्टर की आमदनी ४,००० रु० माहवार की है। लोग आबकारी इंस्पेक्टर होने के लिये पता नहीं कितनी कितनी रिश्वत दे कर कोशिश करते हैं। अभी जब उनको इतनी पावर नहीं है तब इतना ज्यादा आमदनी उनको है। और जब पूरी पावर उनके हाथ में आ जायगी तो आप यह बिलकुल सत्य समझिये कि जैसे माननीय उग्रसेन जी हैं या माननीय पांडेय जी हैं, इनके लिये फिर पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो आबकारी इंस्पेक्टर से कह दिया और जैसे ही ये बाहर निकले कि इनके थैले में एक पुड़िया गांजे की रख दी और चालान कर दिया। तो मंत्री जी जब तक मंत्री हैं तब तक तो ठीक है लेकिन कल को अगर भगवान की इच्छा कुछ दूसरी हुई, तख्ता पलटा और मंत्री जी इस तरफ आ गये तो यही आबकारी के इंस्पेक्टर उनके थैले में भी गांजे की पुड़िया डाल देंगे, क्योंकि वह तो तलवार की धार है, जो भी उसके सामने पड़ेगा उसको वह काटेगी। इसलिये जो भी कानून बनाया जाय यह सोच समझ कर बनाया जाय कि लोमस की आयु लेकर न कोई उधर बैठा है और न कोई इधर बैठा है। जरा विषयान्तर हूं वरना मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि इस समय मंत्रिमंडल में ही वह हालत है जो इंस्पेक्टर साहब की होने जा रही है। कहने के लिये पोर्टफोलियो सब मंत्रियों के पास अलग अलग हैं, मगर मजाल नहीं है कि कोई मंत्री एक बात भी अपनी तबियत से कर ले। जब तक उस पर बड़ी मुहर नहीं लगती है वह फाइल कहीं नहीं जाती है चाहे कोई भी मंत्री हो। तो एक आदमी के हाथ में इस प्रकार के अधिकार दे देना ठीक नहीं है। अगर इसमें पुलिस शरीक थी, था तो वह भी बुरा, हम मानते हैं कि पुलिस बुरी है, वह रिश्वत लेती है, मगर कम से कम दूसरे रिश्वत लेने वाले साहब को कुछ थोड़ा सा डर तो था क्योंकि उन्हें पुलिस को भी मिलाना पड़ता था और अगर उसे मिलाने में कहीं गड़बड़ी हो गयी तो झगड़ा फंस सकता था। इसी पार्टी की सरकार ने मिलिटरी तक में एक ही आदमी के हाथ में सारे अधिकार नहीं जाने दिये, कमांडर-इन-चीफ तीन तीन कर दिये क्योंकि एक आदमी के रहने से कहीं कुछ वैसी गड़बड़ न हो जाय जैसी आस पड़ोस के दूसरे मुल्कों में होती रहती है। तो वहां तो यह नीति लगायी गयी मगर यहां यह नीति लगायी जा रही है कि इंस्पेक्टर के हाथ में ही सारे अधिकार दे दिये जायं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जरा आगे की भी सोचें, बहुत नजदीक की ही न सोचें। इंस्पेक्टर को इतना अधिकार न दे दें कि उनकी ४ हजार की जगह १० हजार रुपये माहवार की आमदनी हो जाय। हम तो कहेंगे कि उसमें किसी और को, जैसे मैजिस्ट्रेट वगैरह, असोसियेट कर सकें तो ज्यादा अच्छा हो वरना कम से कम इतना तो रहे ही। वरना खास खास जगहों पर, जैसा कि आपने कहा कि इमरजेंसी की वजह से उस राज्य का नाम नहीं ले सकता, उस राज्य के पड़ोस वाले जिलों में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

अगर दस-दस हजार रुपये माहवार इंस्पेक्टर की आमदनी न हो जाय इस बिल के पास होने के बाद तो आप जो चाहें सो कहियेगा। तो इस प्रकार की चीज जो है उसको खाली ऊपर से नहीं सोचना चाहिये बल्कि थोड़ा उसके अन्दर घुसकर सोचना चाहिये। मैं निवेदन कर दूं कि वे केवल फाइल ही न देखें। वैसे तो फाइल पर तो खाली एग्रीड ही लिखते हैं, लेकिन जब वे दौरा करें तो पता लगाने का प्रयास करें। दौरे में मोटर छोड़ दें और एक फटी मिर्जई वगैरह अपने पास रखें और भेष बदलकर असलियत मालूम करने का प्रयास करें। यहां तो चीज बीसों छननों से छनकर मंत्री जी के पास आती है और वे चाहें तो भी असलियत पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसके लिये तो उनको नीचे जाना पड़ेगा। अगर इस ढंग से देखकर कोई चीज ले आयें तो वाकई लाभ होगा अन्यथा जो इस समय चीज आ रही है उससे कोई लाभ नहीं होगा। बिना पुलिस की मदद के इंस्पेक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। जो शराब चुआता है वह अकेले नहीं चुआता है। उसके बेचने वाले कई एजेंट होते हैं और काम करने वाले होते हैं। अगर अकेले इंस्पेक्टर साहब जायेंगे तो मार खायेंगे। लिहाजा उनको पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी और जब लेनी पड़ेगी तो इसके रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इसको वापस ले लें तो अच्छा है।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---

श्रीमन्, जो प्रस्तुत विधेयक सदन के सामने है, उस पर जो संशोधन रखे गये हैं उनकी भावना सही हो सकती है ; लेकिन माननीय श्रीपाल सिंह जी को छोड़ कर जो भाषण हुये वे पोलिटिकल और अतिरंजित हुये। माननीय जसराम सिंह जी का भाषण भी उसी कोटि का है। एक विभाग की निन्दा करके दूसरे विभाग की प्रशंसा करना कहां तक ठीक है जब कि दोनों ही विभाग एक ही मर्ज में मुब्तिला हैं। पुलिस को बदनाम करके एक्साइज को ऊपर उठाने की जो दलील उन्होंने दी वह मेरी समझ में नहीं आई। जिस विभाग पर प्रदेश की ला एन्ड आर्डर की स्थिति निर्भर करती है यदि वह करप्ट है तो उसी का लियेजों जो दूसरा है उसको वे शुद्ध बतायें तो मेरा खयाल यह है कि या तो उनको मतिभ्रम है या क्या कहूं ? मेरी दृष्टि में एक्साइज विभाग फेल हो चुका है। गांव गांव में गांजा, शराब और भांग के ठेके खुले हुये हैं और आटा, दाल, चावल की तरह से ये चीजें खुले आम बिकती हैं। इस स्थिति को देखते हुये अगर यह चीज सम्पूर्णतया पुलिस के हाथ में होती तो ज्यादा नियंत्रण हुआ होता। इसकी अपेक्षा एक सेमी अर्द्ध अधिकार प्राप्त विभाग के अन्तर्गत इसको किया। यह विभाग तो सचमुच परेशान करने के लिये है, उस प्रश्न को यह कहकर मंत्रालय से वापस कर दिया गया कि यह लम्बा सवाल है और उसका जवाब नहीं दिया गया। कानपुर में गंगा ब्रिज पर बसों को रोककर तलाशी ली जाती है। मैंने उसके लिये पूछा था कि पिछले तीन सालों के दौरान में कितने केसेज पकड़े गये। तो उसका जवाब कुछ नहीं था इसलिये नहीं दिया गया। परेशान करने के लिये वहां बसें रोक दी जाती हैं। बसें भी टाइम से नहीं पहुंचतीं और यात्री भी परेशान होते हैं। तो इस नजरिये से अगर हम सचमुच चाहते हैं कि इस कार्य पर सम्पूर्ण नियंत्रण लावें तो इस मुहकमे को तोड़कर पुलिस के जिम्मे इस काम को दीजिये जिसमें कम से कम एक चीज के २ हिस्सेदार न हों और चूंकि पुलिस के हाथ में ला ऐंड आर्डर और सभी चीजें होती हैं तो फिर यह एक्साइज डिपार्टमेंट बेकार का भार स्टेट के ऊपर है। वैसे कस्टम की तरह से नदियों पर रखने की बात है, वह हो तो हो, लेकिन शहरों और देहातों के लिये एक्साइज पुलिस की कुछ उपयोगिता नहीं है सिवाय इसके कि उनके अपने कार्य की सिद्धि हो। हमारा जो मिशन है कि हम शराब, गांजा या अफीम वगैरह इसकी नाजायज स्मगलिंग और नाजायज व्यापार को बन्द करेंगे तो उसमें यह एक्साइज पुलिस आपकी बिलकुल असमर्थ है। इसलिये मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कार्य को वे पुलिस के द्वारा करावें और इस एक्साइज डिपार्टमेंट को विदा कर दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजर सिंह---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अफीम संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकारी पक्ष के सदस्यों ने सिर्फ एक ही बात की चर्चा की कि यह विधेयक छोटा-सा है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अफीम की छोटी गोली या बड़ी गोली हजम करने की क्षमता सरकारी पक्ष में हो, लेकिन छोटी गोली भी विरोधी पक्ष पर जहर का काम करती है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

आप गांजा पीते हैं या नहीं?

श्री मैनेजरसिंह---

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटा सा विधेयक नहीं है।

श्री जसराम सिंह---

कृष्णानन्द राय जी गांजे की बात आपसे जानना चाहते हैं, बता दें।

श्री मैनेजर सिंह---

फिर उसके लिये आपने जो कह दिया था वही काफी है। मैं यह कह रहा था कि यह कानून अगर बन जाय तो उसका बहुत व्यापक असर होने वाला है। यह बुनियादी उसूलों पर आघात करने वाला है। इस विधेयक के आने के बाद तो मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि दुर्भाग्य से हमारे प्रदेश के आबकारी मंत्री पर एक्साइज अधिकारियों का पूर्णरूपेण प्रभाव है। आदरणीय पांडेय जी ने कहा कि आज होटलों और चौराहों पर इस बात की चर्चा होती है कि लाइसेंस देने में भ्रष्टाचार फैला हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष---

मैनेजर सिंह जी, यह बाहर की बात है।

डाक्टर सीताराम---

यह गलत बात है। कायदे कानून को पढ़कर आइये, तब यहां लेक्चर दीजिये।

श्री मैनेजर सिंह---

कायदा कानून तो मैं पढ़ा हुआ हूं लेकिन आप की तरह से मेरे पास फारेन डिग्री नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप विषय पर आ जाइये।

श्री मैनेजर सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और उनसे सफाई चाहता हूं कि वे बतायें कि उन्होंने लाइसेंस देने में किसी की सिफारिश की या नहीं? लाइसेंस देने में जो पक्षपात होता है उसे देख कर बड़ा कष्ट होता है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप तो यह बतायें कि एक्साइज आफिसर को जो राइट दिया जा रहा है वह दिया जाय या नहीं। अकेले इसी प्वाइंट पर आप कहें, दूसरी बात नहीं।

श्री मैनेजर सिंह---

जब इस बिल को प्रवर समिति में भेजने की बात है और उसकी परिधि बढ़ाने की बात है, तो उसमें यह कहा जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---

स्कोप के बाहर नहीं।

अब समय हो गया है, हम उठते हैं, २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीश शरण अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, दो बज कर पांच मिनट हो गये हैं। पांच मिनट तक घंटी बजती रही।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण कर।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। कल प्रश्नों के घंटों में उग्रसेन जी के सवाल पर जब मैंने एक प्रश्न पूछा तो मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया कि इस प्रश्न का जवाब मैं १२ बजे के बाद दूंगा। जब मैंने आज प्रोसीडिंग देखी तो उसको पढ़ कर चकित रह गया। यह सारी सिक्ख कम्युनिटी पर आक्षेप है। वैसे मैं एक पत्र प्रतापसिंह करो को लिख रहा हूं। मैं आपकी इस पर व्यवस्था चाहता हूं। इस हाउस में अगर कोई सिक्ख होता तो न जाने कितना बिगाड़ हो जाता। कल मेरी समझ में नहीं आया। आज देखा तो बड़ा आश्चर्य चकित रहा। तो आप उसको निकलवा दें या जैसी आप की आज्ञा हो शिरोधार्य है। वैसे मैं प्रताप सिंह कैरों क नाम एक पत्र लिख रहा हूं कि एक मुख्य मंत्री दूसरे मुख्य मंत्री के लिए ऐसी बात कहता है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं पहली बात तो यह कहना चाहता हूं जिसकी ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, कि इस हाउस का यह नियम सा बनता जा रहा है कि कोरम दस मिनट, पांच मिनट बाद कम्प्लीट होता है, मैं समझता हूं कि सभी पक्ष के लोग भरसक प्रयत्न करेंगे कि जो रोज सदन का दस पांच मिनट समय नष्ट होता है, उसको बचाया जाय।

दूसरी बात, जो माननीय राधेश्याम शर्मा जी ने कही उसके बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर इस सदन में हम बिलकुल एक सीरियसनेस के वातावरण में रहने की आदत डालेंगे, तो फिर इस सदन में जीवन ही नहीं रहेगा। उसके जो मंशा माननीय राधेश्याम जी ने लगाने की कोशिश की, कभी ऐसी मंशा नहीं होती है। हास्य में अगर कोई बात कह दी जाय तो उस पर आपत्ति करना उचित नहीं मालूम पड़ता।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

जो राधेश्याम जी ने रखा है गलत तरीके से रखा है। पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल को कम कर दिया परन्तु यहां पर ऐसा नहीं किया गया।

श्री अधिष्ठाता—

उसमें विवाद का कोई स्कोप है नहीं।

श्री रक्षपाल सिंह—

मैं केवल प्रार्थना करना चाहता हूं। जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने रखा है वह ग़लत है।

श्री अधिष्ठाता—

न यह प्रार्थना का समय है न प्रश्नों का। एक व्यवस्था का प्रश्न था उसका समाधान कर दिया। आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जगह जगह जब यह चर्चा सुनने को मिलती है कि अमुक सरकारी पदाधिकारी ने अमुक विभाग में ऐसा गोलमाल किया, ऐसी बातें जब सार्वजनिक कार्यकर्ता के कानों में आती हैं, तो उसे सुन कर कष्ट और ग्लानि भी होती है। यह कोई शोभा की बात नहीं और कोई यह कहने में हम गौरव अनुभव नहीं करते। माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने कहा कि लाइसेंस देने में ऐसी चर्चा है कि पचासों लाख रुपये का गोलमाल हुआ है और घूसखोरी हुई है। यह कोई गौरव की बात नहीं है मेरे लिए या हमारे साथियों के लिए, बल्कि हमारे लिए भी अपमान की चीज है, जिस प्रकार से इसकी चर्चा होती है। मैं चाहता हूं कि ऐसी चर्चा को बन्द करने का उपाय ढूंढ़ना चाहिए। अपने दृष्टिकोण से यह

छोटा सा विधेयक आप प्रस्तुत किये हैं इसका कोई व्यापक असर नहीं होगा। बार बार आप कहते हैं कि बहुत छोटा सा मामला है। मैं आप से कहता हूं कि इसका बहुत व्यापक असर होगा। जैसे मैंनेपहले कहा था, इस संशोधन विधेयक को देखने के बाद मैं स्वयं ऐसे दृढ़ विचार का हो गया हूं कि माननीय आबकारी मन्त्री पर उनके विभागीय अधिकारियों का पूरा असर हो गया है। इसीलिए यह वियेयक आया है। इसका इतना व्यापक असर प्रदेश में होगा कि आप का सारा विभाग, आप की सरकार बदनाम होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप प्रवर समिति में जाने दें जहां इस पर खुलकर विचार हो और उस प्रवर समिति को परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो ताकि और भी कोई आवश्यक और उचित संशोधन जो पुराने ओपियम ऐक्ट में हो सकें, वह किये जायं। हमारे माननीय साथी जसराम सिंह जी बहुत परेशान हैं गांजे के लिये (व्यवधान) आप जब अफीम हजम कर सकते हैं तो गांजे की क्या बात है? आप जैसे आदरणीय सदन के सदस्यों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अभी आप खड़े थे तो देखा कि आपकी लम्बी शेरवानी का बटन भी इस उम्र में टाइट हो गया है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जब उम्र ढलने की बात है तो पुराने कपड़े ढीले पड़ने चाहिए...

श्री अधिष्ठाता—

अब तो आप बिल के ढलने की बात कीजिए।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह हाल इस उमर में हो रहा है वह इसीलिए हो रहा है कि नये नये संशोधन आ रहे हैं, अधिकारियों के अधिकार बढ़ते जा रहे हैं, अधिकारियों की खुशामद करने वालों और उनकी स्तुति करने वालों के पेट बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे साथी सरकारी पक्ष के माननीय देवदत्त मिश्र जी ने जो कुछ कहा, उनकी एक-एक अक्षर बात से मैं सहमत हूं। आप कहते हैं पुलिस में भ्रष्टाचार है, एक्साइज विभाग बिलकुल पाक और साफ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप यदि अपने को साफ प्रमाणित करना चाहते हैं तो कृपा करके उस बात की जांच करें कि गोरखपुर का एक एक्साइज इंस-पेक्टर जिसका नाम बहुत ही खूबसूरत है गुलाब सिंह, उसका स्थानान्तरण हुआ और रुक गया, लोगों के दिमाग में यह भ्रम हो रहा है, और यह चर्चा भी है कि १२ हजार रुपया घूस देकर उसने स्थानान्तरण रुकवा लिया।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मैनेजर सिंह जी, कई बार इस सदन में यह बात आ चुकी है कि जो अधिकारी यहां मौजूद न हों, उनका विशेष रूप में कोई जिक्र नहीं होना चाहिए।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह कहना चाहता था कि आप देखें कि जब इस प्रकार की शिकायतें आप के पास आती हैं तो वह कौन सी विशेषता है कि जिस कारण एक अधिकारी इतने दिनों से वहां पड़ा हुआ है। इसमें लोगों को सन्देह की गुंजाइश होती है, उस सन्देह को आप साफ करें। आप इसमें विभागीय अधिकारियों को अधिकार दे रहे हैं। अभी पिछले महीने में सुरेमनपुर स्टेशन पर मौजूद था। वहां स्टेशन पर आप के एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर और सिपाही लगभग १२ की तादाद में बिना टिकट रेलवे ट्रेन से अपनी साइकिलों के साथ बलिया से सुरेमनपुर गये और हमारे सामने उतर कर पुराने स्टेशन पर वे चल दिए। मैंने कहा वहां के स्टेशन स्टाफ से कि जरा पूछिए, इन साहबान के पास टिकट है कि नहीं। जो गेटमैन पश्चिमी प्लेटफार्म पर खड़ा ड्यूटी दे रहा था, गया उसको डांटा गया। सारे आपके कर्मचारी सुरेमनपुर पुराने स्टेशन पर गये। मैं भी देखने के लिए गया कि आखिर इनका पदार्पण कैसे हुआ। क्या कोई केस पकड़ने के लिये है? वहां करीब जाने पर मालूम हुआ कि शिकार नदी के किनारे पर खेलना है। वे बिना टिकट गये। ऐसे गैरजिम्मेदार आदमियों को आप अधिकार देने जा रहे हैं। आखिर आप किसको देंगे ये अधिकार? ज्यादा से ज्यादा एक्साइज इन्स्पेक्टर को देंगे। हमारे ये एक्साइज इन्स्पेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे शुबहा है। मुझे स्वयं

[श्री मैनेजर सिंह]
शुबहा है। हमारे जिले के एक्साइज इन्स्पेक्टर हमारे पड़ोसी मुल्क के एजेन्ट हैं और एजेन्ट का काम करते हैं। क्या आप इसकी जांच करेंगे? बलिया जिले में जो लीगी एक्साइज इन्स्पेक्टर हैं क्या आप उनकी गतिविधि की जांच करेंगे? मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे गैरजिम्मेदार व्यक्ति जिनकी श्रद्धा और निष्ठा इस देश में नहीं हैं उनको आप अधिकार देने जा रहे हैं। यह देश के हित में नहीं होगा। बड़ी तथ्य की बातें हमारे आदरणीय सदन के सदस्य कुंवर साहब ने बतलाईं कि पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट का एक मामला पकड़ा था तो पुलिस महकमें की तरफ से मुकदमा चलाया गया था। ऐसे महकमें को आप अधिकार देने जा रहे हैं। यह अधिकार दे कर आप इस प्रदेश में फ़र्ज़ी मुकदमों की बाढ़ पैदा कर रहे हैं। इसी कारण मैं यह कहता हूं कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दीजिये ताकि वहां पर जाकर इसमें संशोधन हो। इस प्रकार के अधिकार आप अपने एक्साइज विभाग को न दें। यदि इसको प्रवर समिति में भेजने के लिये कोई संकोच हो तो कृपा कर इसको वापस लीजिये। इस इमरजेन्सी के समय में इस प्रकार के ग़लत विधेयक लाना उचित बात नहीं है। मंत्री जी ने फरमाया कि इमरजेन्सी के लिये यह विधेयक लाया गया है। आखिर इस इमरजेन्सी के नाम पर कौन कौन से कुकर्म होंगे? इमरजेन्सी के नाम पर रोज़ महात्मा गांधी की भावना को ठोकर लगती है। आप महात्मा गांधी की भावना को ठेस पहुंचाते हैं। यदि आप महात्मा गांधी के भक्त हैं तो मद्यनिषेध क्यों समाप्त किया जा रहा है? आपने कहा था कि प्रदेश में प्रत्येक नागरिक की सुविधा के लिये आप शराब की दूकान खोल रहे हैं और अंग्रेजी शराब की दूकान खोल रहे हैं। यह प्रत्येक नागरिक के लिये होगा या बड़े-बड़े लोगों के लिये होगा? यहां पर रिपब्लिक होटल को बार का लाइसेन्स मिल गया है। यहां पर जितने भी शहर में होटल हैं उन सब को आप बार का लाइसेन्स देना चाहते हैं। यह सब आप की कारगुजारी का नमूना है। बस, यही मुझे निवेदन करना था।

(श्री गंगाप्रसाद को बुलाने पर)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह यह है कि मैं एक हफ्ते से यह देख रहा हूं कि जब जब भी रिपब्लिकन दल का कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा हुआ तो अक्सर आप की तरफ से उसकी उपेक्षा की जाती रही है। मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जब आप सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं तो हमारे दल के सदस्यों को भी बोलने का अवसर दिया जाय और जब आप सभी दलों के सदस्यों को टाइम देते हैं तो नम्बरवार हमारे आदमियों को भी, जितना आप उचित समझें, टाइम दिया करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप जब कांग्रेस के साथ वोट देते हैं तो बोलना क्यों चाहते हैं? आप की बात तो वे ही कह देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय भगवानदास जी ने जो प्रश्न उठाया है वह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर आप असंतुष्ट थे तो अच्छा होता कि मुझ से विचार-विमर्श कर लेते। जहां तक बिलों पर विवाद का प्रश्न है, उसमें दल के हिसाब से नहीं देखा जाता कि किस दल के कितने लोग बोले और यह भी ठीक है कि आपकी पार्टी की उपेक्षा नहीं हुई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के रिमार्क्स और आब्जर्वेशन्स इस सदन की मर्यादा बढ़ाते नहीं हैं। अच्छा हो कि आप भविष्य के लिये अधिक जागरूक रहें।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने जो मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं। जो यह छोटा संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है उससे प्रदेश का बड़ा कल्याण होगा। हमारे साथियों ने यह छींटा कसा कि यह

विधेयक कल्याणकारी नहीं है। अभी-अभी हमारे मित्र मैनेजरसिंह साहब ने रिपब्लिक होटल की बात कही। यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की बात है और उसके नेता और महातम सिंह जी का, दो नेताओं का झगड़ा है। उसे यहां लाना ठीक नहीं है...

श्री अधिष्ठाता---

माननीय गंगाप्रसाद जी, जिस बात का आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, उसका आप स्वयं अनुसरण तो करें।

श्री गंगा प्रसाद---

मेरा निवेदन है कि अभी तक पुलिस और एक्साइज अधिकारियों को सारे पावर्स हैं शराब, गांजा, भांग आदि के बारे में, लेकिन अफीम के लिए वे पावर्स नहीं हैं और अफीम ऐसी चीज है कि जिसकी खेती होती है और बड़े बड़े लोग उसका व्यापार करते हैं। बड़े बड़े पूंजीपति उसे खरीद कर कलकत्ता, बंबई और बाहर भी भेजते हैं। उस व्यापार को रोकने के लिये यह विधेयक लाया गया है और उसके लिये यह हाय तोबा मची हुई है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस छोटे से विधेयक द्वारा बहुत से लोगों का बिजनेस समाप्त हो जायगा कैसे। इस विधेयक में एक्साइज इंस्पेक्टर को भी पावर्स दी जा रही हैं कि वे इन केसेज को पकड़ कर चालान कर सकें। जहां अफीम पैदा होती है वहां के काश्तकार थोड़ी अफीम एक्साइज इंस्पेक्टर को दे देते हैं और बाकी अफीम को ये व्यापारी लोग ज्यादा दाम दे कर खरीद लाते हैं। इसकी देख रेख और कंट्रोल करने के लिये ही यह पावर दी जा रही है। अभी कुंवर साहब ने बतलाया कि १०, १५ हजार रुपया दे कर लोग अपने लड़कों को एक्साइज अफसर बनाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वे किन लोगों के लड़के हैं। क्या उनमें हरिजन हैं? हरिजन एक भी नहीं होगा। उस के लिये तो पब्लिक सर्विस कमीशन है, तमाम मुसीबतें हैं। उसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि जो वह घूस दे सके। वह गरीब इतना रुपया कहां से लायेगा? मुझे यह भी कहना है कि.....

श्री अधिष्ठाता---

अगर आप माइक इस्तेमाल करें तो इतना जोर न लगाना पड़े।

श्री गंगा प्रसाद---

असल बात यह है कि बलिया में अफीम बहुत कम होती है लेकिन गोंडा में होती है। अफीम का इतना बड़ा बिजनेस आज हो रहा है। इसी के सम्बन्ध में मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस को रोकने के लिए माननीय मन्त्री जी ने एक्साइज स्टाफ को पावर देने के लिये संशोधन पेश किया है। अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जमाने से यह मुहकमा कायम है। अन्य मुहकमों में बहुत से कर्मचारी बढ़े, सब कुछ हुआ, लेकिन इस मुहकमें में एक चपरासी नहीं बढ़ा है। पहले इस पर १६ लाख रुपया खर्च होता था और ५ करोड़ की आमदनी थी परन्तु कांग्रेस सरकार के जमाने में धन बढ़ कर साढ़े बारह करोड़ हो गया है। इतनी आमदनी बढ़ा देने के बाद आज एक भी कर्मचारी विभाग में नहीं बढ़ा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस विभाग को विस्तृत करें। वह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बन्द हो तो उसके लिए कर्मचारी बढ़ाना आवश्यक है। आज भ्रष्टाचार की बातें कही जाती हैं और इस चीज का विरोध करते हैं। सरकार पता लगाये कि १५-१५ और २०-२० हजार रुपया लड़के लड़कियों की शादी में जो खर्च किया जाता है वह कहां से आता है। भ्रष्टाचार काफी बढ़ रहा है, इसलिए इस विभाग को और ज्यादा पावर दीजिये। दो ही विभाग पैसे देने वाले हैं---एक रेवेन्यू और दूसरा आबकारी। इससे ज्यादा पैसा कोई नहीं देने वाला है।

अभी हाल ही में सहारनपुर और झांसी में आप ने पढ़ा होगा कि कई मन अफीम पकड़ी गयी। एक्साइज अफसर वहां खड़े थे, वह नहीं पकड़ पाये, उन्होंने पुलिस से कहा। वह भी देर से पहुंची और किसी तरह से गिरफ्तारी हुई। अगर उनको पावर होती तो वह स्वयं पकड़

[श्री गंगा प्रसाद]
सकते थे। इसलिये मुझे आशा है कि इस विभाग को सुधारने के लिए और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्री जी तैयार होंगे और सरकार इस को विकसित करके अच्छा विभाग बनायेगी, जिससे समाज और प्रान्त का भला हो।

श्री अधिष्ठाता—
श्री बलवान सिंह।

कारागार मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—
मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—
मैं माननीय बलवान सिंह को पुकार चुका हूं। बलवान सिंह जी, आप जल्दी समाप्त करने की कोशिश करें।

*श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)—
श्रीमन्, अभी मेरे साथी ने कुछ शब्द कहे, जिनको सुनकर मुझे दुःख हुआ और आपने उनको रोक दिया जहां उन्होंने प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया।

जहां तक कि जनता का सवाल है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रासीक्यूशन बजाय पुलिस के आप एक्साइज विभाग को देने जा रहे हैं, इस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन खास तौर से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर वह विश्वास चाहते हैं तो जनता में विश्वास नहीं है कि जिनको पावर्स दे रहे हैं उनसे इन्साफ होगा। कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार है? ताज्जुब यह है कि अगर कोई आदमी रिश्वत के अन्दर गिरफ्तार होता है तो वह रिश्वत दे कर ही छूट जाता है। रिश्वत का बाजार कितना गर्म है? उसका इल्जाम पुलिस पर भी है और एक्साइज पर भी है। तो क्या यह सरकार कोई ऐसी चीज करने जा रही है कि जिससे यह रिश्वत कम हो? रिश्वत की बहुत जबरदस्त बीमारी है जिससे जनता का मनोबल गिर रहा है। इस सरकार के पास इतनी बड़ी ताक़त है कि हजारों साल से, मुसलमानों के जमाने में या अंग्रेजों के जमाने में भी हिन्दुओं में डाइवोर्स का सिस्टम नहीं आया, लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उसे पास भी करा लिया। तो क्या इस सरकार में रिश्वत को रोकने की ताक़त नहीं है? मेरे साथी ने कहा कि बड़ी बड़ी कौमों के लोग ही होते हैं वहां पर जो यह करते हैं। मुझे स्वयं अनुभव है कि मैंने कानपुर स्टेशन पर देखा कि एक पार्टी के जिला सेक्रेटरी को सिपाही घेरे हुए खड़े थे और कह रहे थे कि इनके पास अफ़ीम है, दिखलाओ अपना झोला। उन्होंने मुझे देख कर कहा कि बलवानसिंह, हमें बचाओ। मैंने सिपाहियों से कहा कि क्या बात है। उन्होंने उत्तर दिया कि इनकी शकल अफीमची जैसी मालूम होती है। तो शुबहे पर आप के लोग इस प्रकार के काम करते हैं। सवेरे पुलिस और एक्साइज वाले घर से खाली जेब निकलते हैं और जिस दिन जेब भर कर घर शाम को लौटते हैं तो उसे बड़ा शुभ दिन मानते हैं। मैं आपकी इस एजेंसी के ऊपर कंट्रोल के लिये एक सुझाव देना चाहता हूं। बनारसी दास जी कहते हैं कि कोई सुझाव भी दिया करो। पुलिस और एक्साइज से जनता का सम्पर्क है। यह जनता को कानून के द्वारा इंसाफ़ दिलवाने वाले हैं। उनके लिये आप हार्ट या दिल के टेस्ट रखें जिससे मालूम हो कि यह शख्श ईमानदार है या नहीं, वह रिश्वत तो नहीं लेता है। और जो रिश्वत लेता है, चाहे वह मिनिस्टर का ही रिश्तेदार हो, उसे वहां से हटा दीजिये। आप एक्साइजवालों को ताक़त दीजिये। जनता के ऊपर कोई फ़र्क़ पड़ने वाला नहीं है। वह तो हर जगह पिसेगी। लेकिन अगर बेईमानी पर, जो आज कल ९० परसेंट है, कुछ सख्ती हो जाय तो वह देश की सब से बड़ी खिदमत होगी। मनोवैज्ञानिक जांच के बाद आप सच्चे और ईमानदार आदमी रखें। बी० ए० और एम० ए० की डिग्रियां तो हमेशा चलती रहेंगी। जब आप ईमानदार आदमी रखेंगे तभी जनता को इंसाफ़ की आशा होगी। मेरा खयाल है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय बनारसी दास जी को १५ साल से जेल जाने का मौक़ा नहीं हुआ है। लेकिन हम को तो ५, ६ बार ऐसा मौक़ा आया है, बड़ी खुशी की बात है, आप के राज्य में। जो आदमी जेल में अफ़ीम के जुर्म में सजा पाकर आता है उसे वहां भी रोज़ शाम को अफ़ीम मिल जाती है, यह हमने देखा है। इसका कुछ हल होना चाहिये।

नरसिंह नारायण जी ने और मैनेजर सिंह जी ने एक बात कही। आप छानबीन करें कि कौन लोग इस जुर्म को करते हैं। डी० एम० के पास आर्डर होना चाहिये कि ऐसे लोगों की लिस्ट रखें। अगर वे किसी राजनैतिक पार्टी के हैं तो पार्टियों का फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को निकाल बाहर करें। कानपुर में बड़े दिग्गज लोग इसे करते हैं। ऐसे लोगों की राजनैतिक पार्टी के पास सी० आई० डी० से यह काम करने की खबर आनी चाहिए।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

हमें भी कुछ समय मिलना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

इस बिल में केवल एक धारा है कि इनवैस्टीगेशन के अधिकार एक्साइज स्टाफ को भी दिये जावें। समय का संतुलन करना होगा।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अब वाद-विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नरसिंह नारायणजी, जो बातें कही गई हैं उनका ही जवाब दें, नयी बात न कहें।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

यही करूंगा। मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस संशोधन विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। यह बात बहुत स्पष्ट है और वक्ताओं ने भी इस पर ज़ोर दिया है कि जो पावर हम इस विधेयक से देने जा रहे हैं उसका मिसयूज़ हो सकता है। अगर मंत्री जी सही तरीके से चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेन्ट की इंटीग्रीटी बनी रहे और जनता का विश्वास उसमें पैदा हो सके तो यह ज़रूरी है कि आप विरोधी लोगों की बातों की ओर तवज्जह करें। मुझे एक किस्सा याद आ गया। किस्सा क्या है, यह एक वास्तविकता है। मैं शहर की बात कहता हूं और माननीय मंत्री जी जो हमारे बगल के जिले के रहने वाले हैं उनके कान में भी यह बात पड़ी होगी। गोरखपुर में एक दिन रात को ११ बजे, हमारा जिला सरहद से लगा हुआ है, एक मोटर आई और स्टेशन के पास गोलघर में जा रही है, ऐसा मालूम हुआ एक पुलिस अधिकारी को। यह मालूम हुआ कि उस पर गांजा लादकर ले जाया जा रहा है और उसने उस जीप को जिसमें गांजा आ रहा था गोलघर चौराहे पर पकड़ा। उसी समय एक्साइज का आफीसर जो उसी शहर का रहने वाला है वह भी आ गया। जब पुलिस आफीसर ने उस जीप में रखे हुये सन्दूक की तलाशी लेनी चाही तो जीप में बठे हुये साहब ने कहा कि आप जानते हैं कि हम एक सभ्रांत समाज-सेवी हैं, मेरे स्टेटस को आप नहीं जानते। आप अपनी नौकरी रखना चाहते हैं या नहीं? लेकिन पुलिस आफीसर ने कहा कि मैं इसको बढ़ने नहीं दूंगा। यह भी आपको मालूम होगा कि जो एक्साइज कमेटी का सेक्रेटरी होता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सिटी मजिस्ट्रेट होता है। बगल में ही उनका बंगला था। एक्साइज इन्स्पेक्टर ने उनसे जाकर कहा कि एक सभ्रांत समाज सेवी को पकड़ा जा रहा है, उनके बक्से की तलाशी ली जा रही है, वे फलां जगह से आ रहे हैं, बड़ा जुल्म हो रहा है, जिम्मेदार पद पर हैं, जिम्मेदार राजनैतिक पार्टी के जिले के कार्यकर्त्ता हैं। फौरन ही सिटी मजिस्ट्रेट साहब अपने बंगले से निकल कर आये और उन्होंने उस पुलिस इंस्पेक्टर से

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

कहा कि आप अपनी नौकरी रखना चाहते हैं या नहीं। वह तुरन्त ही पुलिस कप्तान के पास गया, जो वहां पास के बंगले में रहता था और सब बातें बतायीं कि जीप में किसी संदूक में गांजा रखा हुआ है और सिटी मजिस्ट्रेट साहब उसको खुलवाने नहीं देते हैं और कहते हैं कि नौकरी चली जायगी। यह सुनकर सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस भी शान्त हो गया। इस प्रकार इंस्पेक्टर पुलिस पकड़ना चाहता था लेकिन एक्साइज के इंस्पेक्टर ने और सिटी मजिस्ट्रेट ने न पकड़ने दिया।

इसलिये जब एक्साइज इंसपेक्टर को और भी ज्यादा पावर्स देने की बात कही जाती है तो मुझे शंका होने लगती है कि कहीं आगे जाकर वह अपने पद का और भी ज्यादा तो दुरुपयोग नहीं करेगा। इसलिये जैसा कि कुंवर श्रीपाल सिंह जी ने कहा कि एक्साइज इंस्पेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर दोनों मिल कर प्रासीक्यूशन करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसीलिये यह जो पुराना ऐक्ट, है उसमें इस बात की व्यवस्था थी कि जो प्रासीक्यूशन आफिसर एक्साइज आफिसर है उसको हक है कि वह पुलिस को रिपोर्ट करे और पुलिस क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड के मातहत काम करे। अगर सरकार अपने किसी नोटिफिकेशन से किसी आफिसर को इस कानून के जरिये या मासूम अमेंडमेंट के जरिये अधिकार देती है तो इसमें मुझे शुबहा होता है। यह बात बिलकुल साफ है, जैसा कि माननीय बलवान सिंह व और दूसरे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा....

श्री अधिष्ठाता—

क्या मैं यह समझूं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं? यह अधिकार एक्साइज स्टाफ को नहीं दिया जाना चाहिये, आप यह चाहते हैं?

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

जी हां।

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन जब आप एक सेलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत कर चुके, तो इसका मतलब यह है कि आपने इसके सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

जो सिद्धान्त है उसको मैंने स्वीकार किया, यह तो मैं खुद कहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

लेकिन इस समय तो आप सिद्धान्त के विरोध में कहे जा रहे हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

मैं उस सिद्धान्त के विरोध में नहीं कह रहा हूं। आप मेरी बात सुनें तो। मैं यह कह रहा था कि हमारे विभाग में यह बात हमेशा आती है कि माननीय मंत्री जी स्वयं अपने डिपार्टमेंट की इंटेग्रिटी को अच्छी तरह से समझते हैं। जहां तक होटलों की बात है, लखनऊ के किसी चौराहे पर चले जाइये, आपको मालूम हो जायगा कि इस डिपार्टमेंट के बारे में किस तरह की बातें लोग करते हैं। कहा जाता है कि कोई भी ऐसी फाइल नहीं है, या छोटा सा एप्वांइटमेंट नीचे का भी जो किया जाता है तो उसमें किसी न किसी विशेष आदमी की जरूरत पड़ जाती है। फिर किस तरह से आप भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं? इसीलिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय, जहां अच्छी तरह से इस पर विचार किया जाय और विचार करने के बाद अगर मुनासिब समझें तो यह संशोधन जरूर किया जाय और न मुनासिब समझें तो प्रवर समिति के मुताबिक कार्यवाही की जाय।

डाक्टर सीताराम—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मैंने इधर के और उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों के विचारों को अच्छी तरह से सुना। जहां तक इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न है, उसका मैं विरोध करता हूं। यह इतना साधारण विधेयक है कि इसमें ज्यादा विचार-

धारायें नहीं हो सकतीं कि इसको पारित न किया जाय या इस पर विचार न किया जाय। हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें यहां पर रखीं। किसी भी जनतंत्र या जम्हूरियत में सब को अपने स्वतंत्र विचार व्यक्त करने का अधिकार है और जिसने जो भी बातें कहीं, उनके संबंध में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो श्री नरसिंह नारायण पांडेय जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने यहां पर बहुत सी ऐसी बातें बतलायीं जिनके बारे में मैं अनभिज्ञ था। जहां तक उन्होंने रिपब्लिक होटल की चर्चा की, उसके बारे में मैंने पता लगाया और कई माननीय सदस्य जानते हैं और शायद वे भी जानते हैं, शायद नहीं, लेकिन फैक्ट यह है कि विरोधी पक्ष के ही वे सदस्य हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे हैं भी नहीं बेचारे (आवाजें—छोड़ दीजिये) मैंने छोड़ दिया। आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो यह गोरखपुर जिले की आपस की पालिटिक्स है और इसमें दूसरे लोगों को उछालना, यह कोई शोभा की बात नहीं है। यह गोरखपुर जिले की एस० पी०, पी० एस० पी० और कांग्रेस तीनों दल की पालिटिक्स है, और इस पर पूर्णरूपेण बहस करना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन संक्षेप में इस पर एक विहंगम दृष्टि डालना मैं उचित समझता हूं।

जहां तक इस विधेयक की बात है, इसमें बिलकुल एक साधारण बात है। पुलिस को तो यह अधिकार हैं ही, वह तो यह सब करते ही हैं। बाकी एक्साइज डिपार्टमेंट वालों को भी यह अधिकार दिया जा रहा है। इसके उद्देश्य और कारणों में साफ लिखा है कि बड़े बड़े संगीन केसेज आये जिन में इन्वेस्टिगेशन के लिये मामले को पुलिस को सौंपना पड़ा लेकिन हाई कोर्ट में अगर इक्साइज विभाग के खिलाफ मामला जाता है तो उसकी बड़ी भद्द हो जाती है। यह इसी स्टेट में नहीं किया जा रहा है बल्कि बंगाल और मध्य प्रदेश में भी ऐसी पावर्स एक्साइज विभाग के लिये ली गई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी सिद्धान्तों के अनुसार अफीम का प्राहिबिशन सब जगह कर दिया गया है, भारत में भी इसको बन्द कर दिया गया है। यह स्टेप लेने के बाद हमें आशा है कि जो लोग तस्कर व्यापार अफीम का करते हैं वह छूट नहीं सकेंगे। ऐसा करने से हर प्रकार का इन चीजों का तस्कर व्यापार कब्जे में लाया जा सकता है। इसलिये एक्साइज विभाग को यह पावर देना जरूरी हो गयी। पुलिस वालों के पास दूसरे प्रशासन के काम भी हैं और इसलिये एक्साइज डिपार्टमेंट के नियमों और उपबन्धों में भी इस तरह के अधिकारों की व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है। जहां तक गोरखपुर के इंस्पेक्टर के ट्रांसफर के बारे में कहा गया, इससे अधिक मैं नहीं कहना चाहता कि यह भी गोरखपुर की राजनीति की ही बात है। वह वहां पर केवल डेढ़ साल से हैं जबकि नियमों के अन्तर्गत वह कम से कम तीन साल रह सकते हैं, उनका कार्य अच्छा है और इसलिये उनके वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन और जो बातें कहीं, भ्रष्टाचार के बारे में कहा, तो हो सकता है कि किसी मामले में यह बात सही हो....।

श्री मैनेजर सिंह—

क्या वह इंस्पेक्टर....

डाक्टर सीताराम—

जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

श्री मैनेजर सिंह, जी आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि इस तरह से आप सीधे प्रश्न नहीं कर सकते....।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, वह कह रहे हैं कि....

डाक्टर सीताराम—

मैंने कहा कि यह भी गोरखपुर की पालिटिक्स है।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट के लिये मंत्री जी भी स्थान ग्रहण करें।

श्री उग्रसेन--
श्रीमन्, किस कानून के अन्तर्गत.....

श्री अधिष्ठाता--
मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब कोई वक्ता बोलते हों, चाहे वह मंत्री हों या कोई माननीय सदस्य हों, जब तक वह.....

श्री उग्रसेन--
पहले, श्रीमन्, एक मेरा निवेदन सुन लिया जाय.....

श्री अधिष्ठाता--
माननीय उग्रसेन जी, आप जैसे जिम्मेदार, एक दल के नेता के लिये यह अनुचित है कि जब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो बीच में इस तरह से टोकें। मैं यह कह रहा था कि जब कोई माननीय सदस्य या मंत्री जी बोलते हों, तो जब तक वह न बैठ जांय मैं समझता हूं कि संसदीय परम्परा म इन्टरप्शन तो हो सकता है, सवालात भी बीच में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर वह सदस्य जो बोल रहे हैं बैठना स्वीकार नहीं करते, तब फिर इन्टरप्ट करने वाले व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं रहता।

श्री उग्रसेन--
श्रीमन्, हमारी जानकारी है कि गोरखपुर के इंस्पेक्टर उसी जिले के रहने वाले हैं और दस साल से बराबर हैं और हर तरह का भ्रष्टाचार वहां होता है। मैं लिख कर देने को तैयार हूं वह जब से पैदा हुये मैं उनको जानता हूं।

श्री अधिष्ठाता--
ठीक है। आप बैठ जायं।

डाक्टर सीताराम--
मैंने जो माननीय मैनेजर सिंह को कहा कि वह बैठ जांय, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। जहां तक इंस्पेक्टर की बात है, वह डेढ़ साल से ज्यादा वहां नहीं हैं। अगर ऐसी कोई शिकायत है तो माननीय सदस्य.....

श्री उग्रसेन--
हम लोग लिख कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता--
सदन में शांति रहे, सीधे बातचीत न हो।

डाक्टर सीताराम--
ठीक है, आप लिख कर दें। यह बिल बहुत सीधा है। माननीय सदस्यों ने बताया, जो स्टाफ अंग्रेजों के समय में था वही आज भी है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि १९५७ में साढ़े पांच करोड़ की आमदनी थी वह आज १९६२ में साढ़े १२ करोड़ इसी स्टाफ ने कर दी है।

श्री अधिष्ठाता--
जो संबंधित बातें हैं केवल उन्हीं का उत्तर दें।

डाक्टर सीताराम--
ओपियम ऐक्ट, १८७८ का है। उसकी २१(ए) धारा में यह होगा कि पुलिस स्टेशन का जो पुलिस अफसर होगा, यानी दरोगा है, वैसी ही पावर्स इस विभाग के अफसरों को दी जायंगी जो सरकार के नोटिफिकेशन में होगा, और मेन ऐक्ट में यह है कि ४८ घंटे के अन्तर्गत अपने इमीडियेट अफसर को रिपोर्ट करेगा। तो एक्साइज डिपार्टमेंट का इमीडियेट अफसर जिलाधीश होता है, ऐक्साइज का कोई कर्मचारी नहीं होता है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर उतने समय के अन्दर सीजर की या अरेस्ट की रिपोर्ट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को देगा। इसलिये माननीय सदस्यों का डर ठीक नहीं है कि इस विभाग के कर्मचारियों को जब अधिकार दे दिया जायगा तो वह लोगों पर

जुल्म करेंगे। ऐसी बात नहीं है, कलेक्टर उनके ऊपर है। और पुलिस डिपार्टमेंट को तो अधिकार रहेगा ही, चूंकि काउन्सिल से यह विधेयक पारित हो चुका है, इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह सदन इस पर विचार करे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

(सदस्यों के नाम बाद को दिये जायेंगे)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

** ** ** **

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १ व २

ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ० प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

ओपियम ऐक्ट, १८७८ को, उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधित करने के लिये, ऐक्ट संख्या १, १८७८।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

ऐक्ट संख्या १, १८७८ में धारा २१-ए का बढ़ाया जाना।

२—ओपियम ऐक्ट, १८७८ में धारा २१ के पश्चात् धारा २१-ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाये :—

Power of certain officers of the Excise Department to investigate into offences punishable under this Act.

"21-A. Any officer of the Excise Department of the State Government, not below such rank as that Government may by notification in the *Gazette* specify, may investigate into any offence punishable under this Act if committed within the area of his jurisdiction, and shall, in respect of such investigation, have all the powers exercisable by an officer incharge of a police station in this behalf under Chapter XIV of the Code of Criminal Procedure, 1898."

श्री अधिष्ठाता—

मेरे पास दो संशोधन आये हैं खंडों में, जो माननीय काशीनाथ मिश्र के हैं। इसके विषय में मुझको एक बात उनको और सदन को बतानी है। कल की व्यवस्था के बाद भी ये संशोधन हिन्दी में हैं। हिन्दी हमारे सदन की भाषा है, राज्य की भाषा है, यह ठीक है, लेकिन जो मूल अधिनियम

**श्री अधिष्ठाता की आज्ञा से हटाया गया।

[श्री अधिष्ठाता]

है, जिसमें ये संशोधन किये जाने हैं, वह अंग्रेजी में है । जब मूल अधिनियम अंग्रेजी में है तो यह किसी प्रकार व्यावहारिक हो सकता कि उसके संशोधन हिन्दी में हों ? इस विषय में कल भी व्यवस्था हो चुकी है । इसके अतिरिक्त मैंने आज इस प्रश्न का अध्ययन किया । लोक सभा में, दूसरी विधान सभाओं में और हमारी विधान सभा में भी यही प्रणाली रही है और इस विषय में माननीय खेर साहब की भी कई रूलिंग्स हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र---

जरा एक पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता---

हां, सुनाये देता हूं । यह है 'उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों का संकलन' । इसके पृष्ठ १०७ पर १४ दिसम्बर, १९५३ को आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५३ पर विचार के समय एक वैधानिक आपत्ति उपस्थित करते हुये श्री रामनारायण त्रिपाठी ने कहा---

"मैं आपका ध्यान भारतीय संविधान की धारा ३४८ की उपधारा (३) की तरफ दिलाता हूं, जिसके मातहत इस प्रदेश की विधान सभा ने अपनी भाषा हिन्दी मानी है और आगरा यूनिवर्सिटी बिल का इंट्रोडक्शन क्लाज तो अवश्य हिन्दी में है लेकिन आगे के संशोधन जो सरकार की ओर से उपस्थित हो रहे हैं वे सब अंग्रेजी में हैं और क्योंकि हमारी भाषा हिन्दी है इसलिये इस बिल पर तब तक विचार नहीं हो सकता जब तक कि हिन्दी में संशोधन उपस्थित न हों । जब तक हिन्दी भाषा में संशोधन उपस्थित न हो जायं तब तक इसकी आज्ञा न दी जाय ।"

यह माननीय रामनारायण त्रिपाठी ने, जो कि हमारे उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, आपत्ति उठायी थी । इस पर माननीय अध्यक्ष का यह निर्णय था :---

"मैं समझता हूं कि इस पर पहले निर्णय हो चुका है कि जो अधिनियम अंग्रेजी में बन चुके हैं, उनके जब संशोधन होंगे तो संशोधनों की भाषा के संबंध में जो धारा का सुधार होने वाला है वह सब उसी भाषा में होंगे जिसमें कि अधिनियम है । इसलिये मैं समझता हूं कि आपका एतराज निराधार है ।"

और इसी का विस्तार दिया है तो यह तो हमारे माननीय सदन की रूलिंग्स हैं । दूसरे एक व्यावहारिक कठिनाई है । जब मूल अधिनियम अंग्रेजी में है तो उसमें अगर कोई संशोधन हिन्दी में होगा तो वह बैठेगा कैसे । इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं, यह अवैधानिक है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मेरी बात जरा सुन लें फिर रूलिंग दें । मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री अधिष्ठाता---

प्वाइंट आफ आर्डर रूलिंग्स पर नहीं होता है । अगर आपको कोई स्पष्टीकरण करना हो तो करें लेकिन मेरी व्यवस्था के ऊपर अगर कोई बात कहना चाहें, तो मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

अभी कल ही माननीय चरणसिंह ने कहा था कि इस सदन में कोई भी परम्परा विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध नहीं बन सकती है और मैं समझता हूं कि बहुत सही बात कही थी.....

श्री अधिष्ठाता---

मैं इसकी इजाजत इसलिये नहीं दे सकता कि जो व्यवस्था मैंने अभी दी.....

श्री काशीनाथ मिश्र--

आपकी व्यवस्था पर मैं कतई कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अगर आप प्रक्रिया नियमावली के नियम १३९, संशोधन की ग्राह्यता की शर्तों के देखें। उसके अन्दर जितनी शर्तें हैं अगर उनके विरुद्ध हो मेरा संशोधन तो आपको पूरा अधिकार है उसको खारिज कर दें, लेकिन अगर उसके अन्तर्गत हमारा संशोधन श्रीमन् के सम्मुख पेश है तो मैं श्रीमन् से निहायत अदब के साथ प्रार्थना करूंगा कि उस संशोधन को आप ले लें और मुझको बोलने दें। और हिन्दी और अंग्रेजी के काननों का हवाला दे कर अगर आप इस सदन को चलाते रहेंगे मैं समझता हूं कि अंग्रेजी भाषा का जो कूड़ा वर्षों से इकट्ठा है वह कभी दूर नहीं हो सकता और जो सदस्य अंग्रेजी भाषा नहीं जानते उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा और संविधान का हनन होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसे माननीय सदस्य के उस कुर्सी पर रहते हुये इस तरह की कोई व्यवस्था न हो जिससे संविधान की मर्यादा भंग हो और इस सदन के अधिकारों की अवहेलना हो। मैं आप से अनुरोध करूंगा कि किसी भी व्यवस्था द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का उल्लंघन न हो। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता यह क्षमता रखते हैं कि प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध कोई व्यवस्था दें। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, जैसा आपने फरमाया कि जो मूल अधिनियम अंग्रेजी में हैं उनमें संशोधन हमेशा अंग्रेजी में ही होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी भी उनमें कोई अमेंडमेंट होगा, आज से २० साल बाद, २५ साल बाद, तो वह अंग्रेजी में ही होगा। दूसरा यह कि जब हम किसी विधेयक को हिन्दी में पास करते हैं तो उसका निफाज अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक अंग्रेजी में होता है। हमारी अदालतें हिन्दी के कानूनों को अंग्रेजी में एप्लाई करती हैं। क्या मैं आपसे स्पष्टीकरण ले सकता हूं कि जब यहां की भाषा के हिसाब से पास किये हुये हिन्दी के कानूनों को अदालत अंग्रेजी में एप्लाई कर सकती हैं तो वे अधिनियम जो अंग्रेजी में हैं उनका ट्रांसलेशन हिन्दी में करके हिन्दी में अमेंडमेंट लें तो इसमें क्या हर्ज है ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं एक बात कहना चाहता हूं सदन से और माननीय सदस्यों से कि यह प्रथा सी पड़ती जा रही है कि एक सदस्य आश्वासन देकर खड़े होते हैं कि वे अमुक बात कहने नहीं जा रहे हैं लेकिन अन्त में यह देखा जाता है कि जिस बात को न कहने का वे आश्वासन देते हैं वही बात कह देते हैं। मैंने काशीनाथ जी से अनुरोध किया था कि वे मेरी व्यवस्था पर चर्चा न करें। यदि वे उससे असंतुष्ट हैं तो जो नियम दिये हुये हैं उनके अनुसार आगे कार्य करें। उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन फिर भी उसी बात पर आ गये। मैं कहता हूं कि आपकी कठिनाई है और माननीय भगवान सहाय जी ने अधिक व्यापक रूप में उसको रख दिया है; लेकिन उसके लिये हल है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो जितने पुराने कानून अंग्रेजी में हैं उनका अनुवाद हिन्दी में हो और वह सदन द्वारा स्वीकृत होना चाहिये। इसके बाद ही यह सम्भव है पुराने मूल अधिनियमों में जो अंग्रेजी में हैं, उस अधिकृत अनुवाद के आधार पर संशोधन हिन्दी में आ सकते हैं। इसलिये आपके संकट का केवल यह समाधान है। मैं चाहूंगा कि अब इस विषय पर चर्चा न हो। अगर आप लोग और कोई विचार रखते हों तो हम लोग बैठें और इसको सोचें। सदन की परम्पराओं का सृजन सभी को करना चाहिये और सभी को अपना सहयोग देना चाहिये। मैं सारे नेताओं को आमंत्रित करता हूं और यदि उनके पास इस विषय में कोई विशेष सम्मति हो तो वे उसको दें और उसके प्रकाश में किसी परम्परा के सृजन करने का यत्न हो सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, इसका क्या हुआ कि क्या कोई अधिष्ठाता, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध अपनी व्यवस्था दे सकता है।

श्री अधिष्ठाता---

मुझे खेद है कि मेरी बात स्पष्ट न हो सकी । आपके कहने के स्पष्ट माने यह हैं कि जो व्यवस्था मैंने दी वह नियमों से असंगत है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष लोक सभा या विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के विरुद्ध व्वयस्था दे सकता है ?

श्री अधिष्ठाता---

पहली बात तो यह है कि जब इस पीठ पर आसीन व्यक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या अधिष्ठाता बोलता हो उस वक्त किसी माननीय सदस्य को नहीं बोलना चाहिये ।

दूसरी बात यह कि जो आपका सवाल है वह हाइपाथेटिकल है और मैं किसी हाइपाथेटिकल क्वेश्चन पर रूलिंग नहीं दूंगा और न कभी रूलिंग ऐसे हाईपाथेटिकल प्रश्न पर दी जा सकती है । किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर कोई प्रश्न किया जाय तो उस पर व्यवस्था दी जा सकती है ।

श्री मैनेजर सिंह---

मैंने भी श्रीमन्, संशोधन दिया है वह आपके पास होगा । हमको संशोधन अंग्रेजी में प्रस्तुत करने में कठिनाई है तो आप उसका अंग्रेजी में अनुवाद करा दें ।

श्री अधिष्ठाता---

आपके भी संशोधन का वही परिणाम होगा जो माननीय काशीनाथ जी के संशोधन का है ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उनको इस विधेयक को अंग्रेजी में लाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ?

श्री अधिष्ठाता---

मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बोल रहा था उस समय या तो आप यहां पर नहीं थे या थे तो बातें कर रहे थे ।

श्री राधेश्याम शर्मा---

मैं बाद में आया ।

श्री अधिष्ठाता---

ठीक है, तो मैंने यह कहा था कि मूल अधिनियम चूंकि अंग्रेजी में है इसलिये इसमें संशोधन अंग्रेजी में ही आ सकते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह---

मेरी अनुवाद वाली बात के लिये आपने क्या आज्ञा दी ?

श्री अधिष्ठाता---

श्री मैनेजर सिंह, मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि यह कुप्रथा यहां पर कैसे बन्द होगी ? कैसे जब माननीय सदस्य इस तरह से खड़े होंगे तो उनको रोका जायगा । मैंने बताया था कि जब तक मूल अधिनियम अंग्रेजी में है और जब तक उसका अनुवाद हिन्दी में न हो जाय और वह अनुवाद जब तक सदन द्वारा पोषित न हो जाय तब तक वह हिन्दी का अनुवाद नहीं माना जा सकता और जब तक मूल अधिनियम का अनुवाद हिन्दी में न हो जाय और वह अंग्रेजी में हो, तब तक उस अधिनियम में संशोधन अंग्रेजी में ही आयेंगे, हिन्दी में नहीं हो सकते ।

श्री मैनेजर सिंह---

मैंने तो यह प्रार्थना की कि मेरे संशोधनों का अंग्रेजी अनुवाद करा दें ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं इस तरह से बार-बार उठकर एक ही बात कहने की इजाजत नहीं दे सकता ।

श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, जो माननीय सदस्य अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं उनको एक कठिनाई है और करीब ढाई सौ ऐसे सदस्य दोनों पक्षों में हैं और जो अंग्रेजी नहीं समझते। हमारी प्रक्रिया नियमावली के नियम २८१ में यह साफ दिया हुआ है कि इस सदन की भाषा हिन्दी है तो वे किस तरह इसमें अपनी भाषा में संशोधन दे पायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय उग्रसेन जी, मैंने काफी विस्तार से सारी बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है लेकिन अगर मैं अपने स्पष्टीकरण को आप लोगों तक नहीं पहुंचा सका तो मैं असमर्थ हूं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि जब तक वह व्यवस्था न हो जाय तब तक वे आपकी या दूसरे माननीय सदस्यों की सहायता लें।

श्री उग्रसेन—

लेकिन अगर आपने इस समय इस बात पर संशोधनों को खारिज कर दिया तो हमारा यहां रहना बेकार है। जब हम बोल ही नहीं पायेंगे तो यहां बैठ कर ही क्या करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपको बता दूं कि आप कोई इसमें सरप्राइज में तो लिये नहीं गये। कल भी व्यवस्था हो चुकी है और इस व्यवस्था के बाद यदि सहायता करने की बात होती तो आप सहायता प्रदान कर सकते थे या जिन माननीय सदस्यों को आवश्यकता थी वे कृपा करके विभाग की सहायता ले सकते थे। मैं इस बात की व्यवस्था करा सकता हूं कि अगर माननीय सदस्य कोई संशोधन हिन्दी में लावें तो विभाग द्वारा उनको अनुवाद कराने में उनकी सहायता हो सकती है।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे जैसा आदमी तो एक हरफ भी अंग्रेजी नहीं जानता।

श्री अधिष्ठाता—

एक ही बात को कई बार कहने से तो कोई अंतर नहीं हो जाता। प्रश्न यह है—

श्री उग्रसेन—

बोलने का मौका तो दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने का तो पूरा अधिकार था, जिस समय जनरल डिबेट चल रही थी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उस पर तो आपने प्रश्न उपस्थित करा दिया।

श्री अधिष्ठाता—

वह तो मैंने नहीं, सदन ने कराया।

(कुछ ठहर कर)

यह प्रश्न है कि खंड २, खंड १ और प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८८,

विपक्ष में—४४।)

श्री प्रेमसिंह ने चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ हाथ उठाया था अतः दोनों में से एक-एक मत कम कर दिया गया है। अतः पक्ष में ८७ और विपक्ष में ४३ की संख्या रहेगी।

डाक्टर सीताराम---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप दो मिनट में इसका विरोध कर लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि इस तरह के नियम इस सदन में वह बनवायें, और वह संविधान की मर्यादा के अनुकूल भी होगा कि, जो भी पुराने कानून हैं जो अंग्रेजी में हैं, या तो अपनी सरकार द्वारा उसका अनुवाद करायें, और बहुत सी कानून की किताबों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है, तो उन्हीं किताबों को वह अधिकृत मान लें और उसी की बुनियाद पर, हिन्दी भाषा जो इस सदन की भाषा है उसके अन्दर वह संशोधन लायें जिससे सभी सदस्यों को सोचने समझने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिले, यह मैं उनसे निहायत अदब के साथ प्रार्थना करूंगा और जो उधर सरकारी पक्ष के लोग हैं जो इस सरकार को चलाने की क्षमता रखते हैं, उन तमाम लोगों से मैं यह बात कहना चाहूंगा और अगर यह चीज नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि यह संविधान की मर्यादा के प्रतिकूल होगा ।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है एक क्लाज इसमें जरूर है और माननीय मंत्री जी ने प्रार्थना की कि इसको सदन पास करे । मैं निहायत अदब से उनसे कहना चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से आप इसको पास करना चाहते हैं कि आपको अधिकार मिले ताकि जो लोग इस तरह के दंडनीय अपराध कर रहे हैं उनको सजा दी जाय, और इंसपेक्टर से लेकर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग सबको यह अधिकार रहे, इससे मैं सहमत हूं । लेकिन मैं साथ-साथ कहना चाहता हूं कि इसमें जो आपने यह दिया है कि अधिकार हम उसको देंगे जिसकी कि हम गजट में विज्ञप्ति करायेंगे और किस रैंक का वह अफसर होगा।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय काशीनाथ जी, इस समय जो आप बोल रहे हैं, उसकी परिधि बहुत सीमित है, प्रक्रिया नियमावली की धारा १४८ आप देख लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

उसी के अन्तर्गत मैं बोल रहा हूं, श्रीमन् । मैं चाहता था कि अगर आप यह रखते कि जितने कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के या आबकारी विभाग के उन सब को यह अधिकार रहेगा, कोई रैंक आप निश्चित न करते कि इंस्पेक्टर को ही अधिकार होगा या डी० एस० पी० को ही यह हक होगा, तो ज्यादा अच्छा होता । एक सिपाही से लेकर सुपरिटेंडेंट तक सबको आप अधिकार देते कि जहां कहीं भी वह अपराध को पकड़े, जिस किसी को भी कपड़े, चाहे कितना ही ऊंचा आदमी वह क्यों न हो, कांग्रेस का भी कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, या किसी अन्य पार्टी का कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो, अगर कोई सिपाही उसको पकड़ता है तो सिपाही को भी अधिकार है कि वह उसको पकड़ कर उसका चालान करे। इस तरह की व्यवस्था इस विधेयक में आप करते तो ज्यादा अच्छा होता ।

साथ-साथ एक दूसरा संशोधन जो मैंने दिया था वह इसलिए दिया था कि यह विधेयक अब भी अपूर्ण रह जाता है क्योंकि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग में बहुत से ऐसे भ्रष्ट और बदमाश किस्म के अफसर हैं जो स्वतः स्मार्गलिंग किया करते हैं तो उनको कौन पकड़ेगा, श्रीमन् । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी भी व्यवस्था करते इस विधेयक के

अन्दर कि दो तीन आदमियों की हर जिले में एक कमेटी बना देते, बहुत से सामाजिक कार्यकर्त्ता जिलों में मद्यनिषेध का अन्दोलन करते रहते हैं, उनमें से दो तीन आदमियों को लेकर एक कमेटी हर जिले में बना देते और वह इस काम को करती तो यह बुराई दूर हो सकती थी। अब उस कमेटी की घोषणा मन्त्री जी कर देते, राज्य सरकार की तरफ से वह मनोनीत हो जाते या जिलाधीश की तरफ से मनोनीत हो जाते, लेकिन इस तरह के व्यक्तियों की एक कमेटी बन जाती, इस विधेयक में इस बात की भी गुंजायश करते और उसको यह अधिकार देते कि बड़े-बड़े अफसर हों, सरकार के मंत्री हों या सब इंस्पेक्टर हों, कोई भी स्मगलिंग करता हो तो उसको पकड़ने का अधिकार उस कमेटी के लोगों को हो, तब तो मैं समझता कि आपकी मंशा ठीक है और आप सही मानों में इस विभाग के अन्दर जो दंडनीय अपराध हो रहे हैं उनको दबाना चाहते हैं। जो संशोधन मंत्री जी लाये हैं उससे उनकी मंशा सिद्ध नहीं होती। इसलिए वह बिलकुल अपूर्ण है। इस बुनियाद पर मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इसका विरोध करें और इसको पास न होने दें क्योंकि यह विधेयक माननीय मंत्री जी की जो मंशा है उसको पूरा नहीं करता। जब वह मंशा के अनुकूल विधेयक रखें और इस सदन से उसको पास करने की अपील करें तो सदन उसे पास करे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, ओपियम संशोधन विधेयक जो इस वक्त इस सदन के अन्दर पेश है मैं उसका विरोध करता हूं। इस वजह से नहीं कि यह बिल एक खास नीयत के साथ पेश किया गया है बल्कि जिसमकसद से यह बिल यहां पेश किया गया है, उस हद तक यह पास होने के बाद उन मकासिद को पूरा नहीं कर सकेगा। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और कर्मचारियों को पुलिस की पावर दे दी जाय तो इसका नतीजा यह होगा कि उनमें ऐसी शक्ति पैदा हो जायगी जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ जायगा। आज यह महकमा बहुत बदनाम हो चुका है और हर शख्स इस सदन के अन्दर यह समझता है और यह महसूस करता है कि इस मुहकमे में जरूर कोई न कोई खोट है। यह बातें यहां पर दूसरे मेम्बर साहबान बता चुके हैं। ऐसी सूरत में जब यह शक्ति उनको हासिल हो जायगी तो भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। जिस तरह से आज वह अपनी ताकत को नाजायज इस्तेमाल करते हैं और किसी को नाजायज तरीके से पकड़ लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं तो आगे वह और भी ज्यादा करेंगे और किसी को भी नाजायज तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है और किसी से रिश्वत ली जा सकती है। किसी के ऊपर यह इल्जाम लगाकर कि तुम्हारे पास ओपियम है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस का इसके अन्दर हाथ होता तो अच्छा होता, जैसा कि पहले था।

इसके इगराजओ मकासिद में यह कहा गया है कि, सालों से एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसर इस पावर को तफतीश करने में इस्तेमाल कर रहे थे। मैं समझता हूं वह ताकत उनको किसी कानून के अन्दर हासिल नहीं थी। वह किस तरह से इस पावर का इस्तेमाल कर रहे थे यह मन्त्री जी ने नहीं बतलाया। जब कानून के मुताबिक उनको कोई पावर नहीं थी तो वे किस कानून के मुताबिक इस पावर का इस्तेमाल कर रहे थे और कई साल से इस पावर का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? उन लोगों ने अक्सर ऐसे लोगों की भी तलाशी ली होगी तो बेगुनाह होंगे। तो उनके साथ यह हकतलफी की गई या नहीं? अगर हकतलफी हुई तो क्यों हुई? जब उनको अधिकार नहीं था तो यह गलत काम क्यों कर रहे थे? आप यह गलती कई साल से करते चले आ रहे थे। उसी गलती का एतराफ अब किया जा रहा है। यह सारा मुहकमा ही गलती पर कायम है। जब कई साल से वह लोग गलती करते चले आ रहे थे तो कई साल के बाद इस गलती को दूर करने के लिये यह संशोधन बिल क्यों लाये? इस वजह से इसको अगर सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता तो बेहतर होता। इसके ऊपर नजरसानी की जा सकती, इसके बहुत से खोट मालम किये जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि अगर इस

[श्री मुमताज अहमद खां]

महकमे के सब अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया जाय तो अच्छा होगा बजाय गजट में शाया करने के, और उनको पुलिस के अधिकार देना ही ठीक रहता। यह अधिकार कांस्टेबिल से लेकर ऊपर तक सभी को होना चाहिये। और अगर वे अपने इस अधिकार को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपके मुहकमे में एफीशियेन्सी आ सकती है, हालांकि इस बात में मुझे बड़ा शक है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैनेजर सिंह जी, १४८ की परिधि बहुत सीमित है। आपको यह बतलाने की आवश्यकता, मैं समझता हूं, नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा। मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं और अभी भी आशा करता हूं कि माननीय आबकारी मंत्री जी इस विधेयक को वापस लेने की अनुज्ञा इस आदरणीय सदन से मांगेंगे। इस विधेयक के पास होने के बाद एक्साइज विभाग के अधिकारी—मनमानी-घरजानी करेंगे और मंत्री जी का मुहकमा और ज्यादा बदनाम होगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इसको वापस लें, नहीं तो अतिरिक्त मुख्य मंत्री बनारसीदास जी पास में बैठे हैं उनसे इस मुहकमे की अदलाबदली कर लें।

श्री अधिष्ठाता—

अतिरिक्त मुख्य मंत्री का पद अब तक तो सुना नहीं।

श्री मैनेजर सिंह—

वह हैं, और अगर आपको उसकी जानकारी होती तो आप उस कुर्सी को सुशोभित करते। मैं अंत में इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं।

डाक्टर सीताराम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पिछली बार कतिपय शब्दों में सारे तर्कों का पूर्णरूपेण जवाब देने का प्रयत्न कर चुका हूं। तृतीय वाचन में किसी माननीय सदस्य ने ऐसे सुझाव नहीं दिये कि जिनको माना जाय। यह तो केवल विरोध के लिये विरोध किया जा रहा है और उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं उनका विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि ओपियम (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३†

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन की जरूरत यूं पड़ी कि सन् १९५४ में सरकार ने सदन में एक कानून पास किया जिसके जरिये से बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट्स ऐक्ट में कुछ तरमीमें की गयी थीं और एक तरमीम जुमला और तरमीमों के यह थी कि डिस्ट्रिक्ट जजेज को यह

---

†१४ फरवरी, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकार दिया गया कि बजाय इसके कि ५ हजार तक की अपीलें सुनें, १० हजार तक की अपीलें भी सुन सकते थे। इस तरमीम की खास गरज यह थी कि हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा अपीलों का इज्तमाअ हो गया था तो वह अपीलें मुन्तकिल कर सकेंगे डिस्ट्रिक्ट जजेज को। यह चीज दफा २४, सिविल प्रोसीजर कोड में पहले से मौजूद थी। उसमें लिखा था कि हाई कोर्ट को अधिकार है कि चाहे खुद से या किसी के दरखवास्त देने पर जो मुकदमे पेंडिंग हों वह ऐसी अदालतों को मुन्तकिल कर सकें जिनको उनके सुनने का अधिकार पहले से हो। तो सोचा गया था कि ५ हजार से ऊपर और १० हजार तक की अपीलों को सुनने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को देने के बाद मुन्तकिल कर सकें। चुनांचे इसी के मातहत बहुत सारी अपीलें एक हुक्म से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के यहां मुन्तकिल कीं। जब मुन्तकिल हुई तो हाई-कोर्ट में एतराज हुआ कि जो अपीलें पहले से पेंडिंग हैं उन पर यह ऐक्ट लागू नहीं होगा। हाई-कोर्ट ने कहा कि इस किस्म की कोई बात नहीं है, दफा २४ पहले से मौजूद है, वह अधिकार हमको हासिल है और अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट जज को १० हजार तक की अपीलें सुनने का अधिकार मिल गया है इसलिए हम मुन्तकिल कर सकेंगे। जब वह जज के यहां पेश हुईं तो फिर एतराज किया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज ने उस एतराज को सही माना नहीं और कहा कि हाईकोर्ट का हुक्म होते हुए हम इसको नहीं मान सकते। लिहाजा हम फैसला करेंगे। चुनांचे वह फैसला हुआ। उसकी अपील हाई कोर्ट में हुई तो फिर हाई कोर्ट की बेंच बैठी और उसने कहा कि यह जो एतराज किया गया है वह निराधार है और हमको अधिकार है कि दफा २४ के होते हुए कि हम इस अपील को डिस्ट्रिक्ट जज को मुन्तकिल कर दें। उसकी अपील सुप्रीमकोर्ट में की गयी। सुप्रीमकोर्ट ने अभी थोड़े दिन हुए यह फैसला किया कि यह ठीक है कि अधिकार दे दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जज को, लेकिन यह अधिकार सहज इस हद तक लागू होगा कि जो अपीलें सन् १९५४ के बाद की दायर हुई होंगी, लेकिन पहले की अपीलें जो पेंडिंग हैं उनमें उनको राइट पैदा हो गया है फरीकैन को कि हाईकोर्ट में वह सुनी जायं तो वह मुन्तकिल नहीं की जा सकतीं। तो जरूरत महसूस हुई कि अगर बाद की अपीलें मुन्तकिल नहीं होंगी तो हाई कोर्ट का काम हल्का होने का मकसद पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी हुआ कि इसको रिट्रास्पेक्टिव ऐफेक्ट दिया जाय और उसी के लिए यह मौजूदा तरमीम लायी गयी है। इसमें ये लफ्ज जोड़े गये हैं—

"(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the High Court may transfer to any District Judge or Additional District Judge subordinate to it, any appeal from an original decree or order in a case the valuation whereof does not exceed ten thousand rupees."

उसके आगे दूसरा सेक्शन यह है—

"Any act or thing done before the date of publication of this Act in the *Gazette*, which would have been valid'y and legally done if the amendment made in the principal Act by this Act had been in force on all material dates, shall be deemed to have been legally done."

तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से जो कठिनाई हो गयी है वह दूर हो जायगी।

जहां तक इसके एम्स और आब्जेक्ट्स का सवाल है तो जब पहले बिल आया था वह सब पास हो चुका है और माना जा चुका है, उसी की कमी को दूर करने के लिए और एक वैधानिक शक्ल देने के लिए यह तरमीम पेश की गयी है। मेरे खयाल में माननीय सदस्य इसको मंजूर करेंगे।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, वैसे तो माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन पेश किया है.....

श्री अधिष्ठाता—

पहले आप अपना संशोधन पेश कीजिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।

श्रीमन्, जहां तक इस विधयक के उद्देश्य और कारणों का सवाल है वह अपनी जगह मुनासिब ही हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात की चर्चा नहीं की कि आखिर हाईकोर्ट में जो केसेज आज लगे हुये हैं और लोग खर्चा करके वहां गये हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि गरीब किसान किस प्रकार से उस नये खर्चे को बरदाश्त कर पायेगा। यह बात सही है कि हाईकोर्ट में काम बहुत अधिक हो गया है और इतनी संख्या में अपीलें पड़ी हुई हैं कि वह काम निपट नहीं सकता। इसके लिये यह जरूरी है, कि जिला जज को पावर्स दिये जायं। इसलिये सरकार ने कहा है वह तो ठीक ही है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या बेंच से कोई फैसला होता है उसके बाद ही सरकार को इलहाम होता है कि संशोधन की आवश्यकता है और सरकार संशोधन लाती हैं। इसीलिये तो हम कहते हैं कि बिल को पहले प्रवर समिति में लेकर जाइये और वहां पर विचार विमर्श कर लिया जाय, लेकिन उसका भी उधर से विरोध होने लगता है। अगर बिना विचार किये ही इसको पास कर दिया गया तो उसका भी वही हाल हो सकता है जो पहले का हुआ था और कोई न कोई कानूनी अड़चन निकल सकती है। इसलिये यद्यपि इसके उद्देश्य और कारण अच्छे हैं लेकिन इसको और विचार विमर्श करने के लिये प्रवर समिति के सामने भेजा जाय।

*श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो न्याय मंत्री जी संशोधन विधेयक लाये हैं, जहां तक मैं समझ सका हूं कि वह यह है चूंकि हाईकोर्ट में केसेज बहुत ज्यादा एरियर्स में पड़े हुये हैं उनके निबटाने की नौबत नहीं आ रही है और न नजदीक में आती दिखायी देती है। उनको निबटाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। एक तो नया काम हाईकोर्ट में १० हजार के ऊपर का ही जाय और दूसरा यह है कि ५ हजार से १० हजार तक के केसेज जो आजकल भी एरियर्स में हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट लेविल पर वापस कर दिया जाय। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मुकदमें हाईकोर्ट में चल रहे हैं उनमें वकीलों का मेहनताना दिया जा चुका है, कोर्ट फीस लग चुकी है। ऐसे मुकदमे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वापस किये जाते हैं तो वे लोग जिनके वे मुकदमें हैं, परेशानी में पड़ जायेंगे। माननीय मंत्री जी इस पहलू पर विचार कर लें और यह बात तय कर दें कि वे पुराने मुकदमें वापस जायं जिसमें फरीकैन राजी हों या न जायं। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को इसमें कोई विरोध न होगा।

दूसरी बात यह है कि यह कानून १८८७ का है। इसमें पहले यह था कि ५ हजार तक की पावर्स डिस्ट्रिक्ट जजेज को थीं उसके आगे फिर हाईकोर्ट में जाता था। अब आप उसको ५ से बढ़ा कर दस हजार कर रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आया कि यह किस उसूल से किया। इसको १५ या २० हजार क्यों नहीं किया। श्रीमन्, आप खयाल करें कि अगर आप ५ हजार से १० हजार की बात टेम्पोरेरी मेजर पर करने जा रहे हैं तब तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसको परमानेंटली करने जा रहे हैं तो मेरी समझ में नहीं आया कि कि आप किस उसूल पर करने जा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज १० हजार तक के केस की अपील सुनें। उसे आपने ५ हजार के बजाय १० हजार ही क्यों रखा, उसे आपने २० हजार या १४ हजार तक की लिमिट क्यों नहीं रखी ? जो भी चीज की जाय उसका एक उसूल होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, यह जो विधेयक है, इसको देखने से मालूम होता है कि यह सन् १९५४ से लागू माना जायगा, जैसा कि सेक्शन (२) में दिया हुआ है। तब अब आप विचार करें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस पर निर्णय कर दिया तो इस विधेयक के द्वारा सरकार ने उस फैसले को भी— जिसे हाई कोर्ट ने गलत कानून के अन्दर जिला जज को भेजा था, गलत निर्णय हो चुके, उनको भी वैधानिक बना देने का इसमें प्रावजन है।

श्री अधिष्ठाता—

जो निर्णय हो चुके उनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो पेंडिग केसेज के लिये है।

श्री रक्षपाल सिंह—

सन् १९५४ से लागू होगा तो क्या होगा ? ऐसे बहुत से केसेज होंगे जिनको हाईकोर्ट ने कानून के पास होने के पश्चात् ट्रांसफर कर दिया ।

दूसरी बात जो केसेज के फाइनल करने वाली है, इसमें व्यावहारिक कठिनाई है। सिविल केस में ऐसा होता है कि कोर्ट फीस आदि के रूप में सभी पैसा पहले ही जमा कर देना पड़ता है और फिर अगर वहां से केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर हुआ तो लिटीगेंट पब्लिक को बड़ी परेशानी हो जायगी। तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत इसके ऊपर फैसला दे, अच्छा यही है कि गलती जो ठीक करने के लिये हम आपस में बैठ कर पहले ही विधेयक पर विचार कर लें कि किस प्रकार का संशोधन किया जाय। इस विचार से मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी का जो संशोधन है वह तो सही मालूम पड़ता है। मैं इसका विरोध तो नहीं करता, परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि जो अपीलें हाई कोर्ट में अभी भी पेंडिग हैं, उनको माननीय मंत्री जी हाईकोर्ट में ही क्यों नहीं तय हो जाने देते ? आगे की अपीलों के लिये जिला जज जो दे दें तो निहायत अच्छा रहेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आगे के लिये कानून है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने जो प्रवर समिति में भेजने का संशोधन रखा है वह उचित ही है। पेंडिंग पर खर्च जो होगा उससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री सैयद अली जहीर—

अधिष्ठाता महोदय, जिन अल्फाज की वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने जहमत हुई वे अल्फाज इस प्रकार से हैं—

"and any proceeding instituted or commenced in any Court prior to commencement of this Act shall, notwithstanding any amendment herein made, continue to be heard and decided by such Court."

क्योंकि उस वक्त खयाल था कि अपीलें जो पड़ी हैं वे मुन्तलिक नहीं होंगी और जिनका फैसला हो गया है अपनी जगह पर वह सही रहेगा। लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा कि जिस तारीख को कोई दावा दायर हुआ और अपील फाइल हुई, उसी तारीख को वेस्टेड इंटरेस्ट ने उसी अदालत में सुनवाई के सम्बन्ध में भी दावा दायर किया है तो इसीलिये इसकी जरूरत पड़ी। अब जहां तक इसका ताल्लुक है कि हमने पहले से क्यों नहीं सोचा। तो यह तो इससे ही जाहिर है कि हाईकोर्ट में पहले एक जज बैठा, फिर मामला बेंच में गया, फिर उसने फैसला किया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

कि उनको अधिकार होगा? एक जज ने इंकार किया फिर उसकी अपील हुई और दूसरी हाईकोर्ट की बेंच ने उसको सुना और उस बेंच ने फैसला किया कि जो कानून बन गया है उसके मुताबिक दफा २४ चूंकि हमेशा से लागू थी लिहाजा उसमें हाईकोर्ट को ट्रांसफर का अधिकार है। यह इसका जवाब है कि हमने क्यों नहीं सोचा। और इसीलिये यह जो मैंने अभी पढ़ा यह बढ़ाया जा रहा है।

जहां तक खर्च का ताल्लुक है जिसका कि माननीय सदस्य ने हवाला दिया, उसमें किसी खर्चे के होने का सवाल नहीं है। कोर्टफीस तो पहले जो लग चुकी वही लगी और कोई मजीद कोर्टफीस नहीं लगेगी, केवल अपील वापस आ जायगी। जहां तक वकील की फीस का ताल्लुक है उसके बारे में भी मैं बता दूं कि वह भी जो मुकदमें जायेंगे वह उन जजों के यहां जायेंगे जिनको हमने केवल इलाहाबाद और लखनऊ में ही एडीशनल जजों के रूप में मुकर्रर किया है। वे ही वकील जो हाईकोर्ट में जाकर बहस करते वे ही इन जजों के यहां इलाहाबाद या लखनऊ में बहस कर लेंगे। इसलिये कोई एडीशनल फीस वकील को देने का सवाल भी नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

तो जब यह जिले के जज के पास जायगा तो क्या हम यह समझें कि केवल इतनी ही तब्दीली है कि मुकदमे हाईकोर्ट भवन में न हो कर जजों के यहां होंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

जी हां, वही होगा। इसके अनुसार हमने दो सीनियर एडीशनल जजेज जो करीब हाईकोर्ट के जज की काबलियत रखते हैं उनको ही लखनऊ व इलाहाबाद में मुकर्रर किया है और जिन मुकदमों की इन्हीं जगहों में हाईकोर्ट में सुनवाई होती वह इन्हीं दोनों शहरों में जिला जजों के यहां होगी और अगर वकील की बिलमुख्ता फीस अदा की गई है तो वह उसी में यहां जाकर बहस कर देंगे बजाय हाईकोर्ट में जाकर बहस करने के। बस इतनी सी बात ही इसमें है।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

अधिष्ठाता महोदय, अगर आप इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखें तो ऐसा मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी ने उनके विपरीत बहस की। उद्देश्य और कारणों में लिखा है कि "किन्तु भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में यह निर्णय दिया है कि उक्त संशोधन के बावजूद, उपर्युक्त धन राशियों के बीच के मूल्यांकन की अपीलों को जो उक्त अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व उच्च न्यायालय में दायर की गयी हों, निस्तारण के लिये जिला जजों को संक्रमित नहीं किया जा सकता है। अतएव इस विधेयक का अभिप्राय यह है कि उच्च न्यायालय की ऐसी अपीलों को जिला जजों तथा अपर जिला जजों को संक्रमित करने के लिये प्राधिकृत किया जाय तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पूर्व उच्च न्यायालय की ऐसी अपीलों को इलाहाबाद तथा लखनऊ के अपर जिला जजों को संक्रमित करने की कार्यवाही वैधीकरण किया जाय।" तो वह तो इन उद्देश्य और कारणों के और अपनी मन्शा के खिलाफ ही बोल गये। जज जिला जजों को देना ही है तो इलाहाबाद और लखनऊ में जब मुकर्रर करके क्या करेंगे ?.....

श्री अधिष्ठाता—

आपने कदाचित् मंत्री जी की बात को नहीं सुना। उन्होंने यह बताया कि यह विधेयक इस वास्ते आवश्यक है कि जब तक हाईकोर्ट के लिये यह पावर न हो इस विधेयक के द्वारा, तब तक वह केसेज का ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो कठिनाइयां माननीय सदस्यों ने व्यक्त कीं, वे सब मंत्री जी की निगाह में पहले से थीं और उनको दूर करने के लिये उन्होंने यह कहा कि ऐसा इरादा है उनका जो ट्रांसफर्स करेंगे उनके लिये विशेष डिस्ट्रिक्ट जज, जिनको अपर जज कहा जायगा वह इलाहाबाद और लखनऊ में होंगे।

श्री सैयद अली जहीर—

मालूम नहीं माननीय सदस्य के पास कौन सी कापी है क्योंकि जो कापी मेरे पास है उसमें लिखा है:—

"....and to regularise the action of the High Court in transferring such appeals to Additional District Judges at Allahabad and Lucknow prior to the ruling of the Supreme Court."

तो इलाहाबाद और लखनऊ का हवाला दे दिया है। यह हमारा इरादा है, इन्हीं दोनों शहरों में यह लोग होंगे। लिहाजा कोई मजीद खर्चे का सवाल पैदा नहीं होता। यह भी बताना चाहता हूं इससें मंशा यह नहीं है जो आइन्दा अपील्स हैं लेकिन जिन अपीलों का फैसला इन जजेज ने कर दिया है वह भी वैलिड माने जायेंगे।

श्री भगवान सहाय—

जो आप केसेज को ट्रांसफर करेंगे इलाहाबाद और लखनऊ में वह हाईकोर्ट और बेंच के जुरिडिक्शन के हिसाब से ट्रांसफर होंगे या नजदीक के हिसाब से ट्रांसफर होंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह तो वैसे ही होगा जैसे इस समय हाईकोर्ट में है। जो अपीलें इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं वे इलाहाबाद जायेंगी और जो लखनऊ बेंच में हैं वे यहीं रहेंगी। हम कोई जिलों का तबादला नहीं करने जा रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

तब मंत्री जी किस बात की सुविधा दे रहे हैं जब मुकदमा लड़ने के लिये गोमती और गंगा के किनारे जाना ही पड़ेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

हाईकोर्ट में एरियर्स बहुत हैं, उनको कम करने के लिये ऐसा किया गया है।

श्री उग्रसेन—

आप हाईकोर्ट में जज बढ़ा दें, इसमें क्या एतराज है ?

श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

मुझे तो ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा बिल मंत्री जी पेश कर रहे हैं। लेकिन यह तो वही हुआ खोदा पहाड़ निकली चुहिया। मंत्री जी ने अभी ६ जज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बढ़ाये हैं। आपको याद होगा उस समय भी मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य द्वारा बताया था कि हाईकोर्ट में काम बहुत बढ़ गया है अतः उसके डिस्पोजल के लिये जज नियुक्त कर रहे हैं। तो ६ जजेज नियुक्त कर दिये गये। मालूम होता है २,१ आदमी बच रहे हैं जिनके नियुक्ति की जरूरत है और इलाहाबाद और लखनऊ में दो जज और नियुक्त करना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। इस तरह से जनता का पैसा खर्च किया जाय जिसकी कोई अहमियत न हो और जनता को कोई लाभ न हो, ऐसे विधेयक की क्या जरूरत। अतः मंत्री जी या तो इसे वापस ले लें, नहीं तो इसको संयुक्त प्रवर समिति को भेज दें जिसको परिधि बढ़ाने का अधिकार हो। आशा है मंत्री जी मेरी बात मानेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसके लिये कोई नये जजेज की जरूरत नहीं है। हमारे जजेज और मुन्सिफ का काडर बना हुआ है। एच०जे०एस० सर्विस के जो लोग हैं वही लोग मुकर्रर होंगे। हाई कोर्ट के जजेज का जहां तक ताल्लुक है वह तो अलग सवाल है। हाईकोर्ट में इतना ज्यादा काम है कि उसको कम करने के लिये ही वहां पर जजेज बढ़ाये जा रहे हैं। इसलिये यह बिलकुल दूसरी चीज है और इसमें कोई कनफ्लिक्ट नहीं है।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, सदन के सदस्यों के दिमाग में यह भ्रम है कि चूंकि हाईकोर्ट में ६ नये जजेज बढ़ाये गये हैं लिहाजा अपर जिला जजों को अपील्स ट्रांसफर हो जाने से वहां ६ जजेज की क्या जरूरत रहेगी । इसलिये मंत्री जी बता दें....

श्री अधिष्ठाता--

यह बात बतायी जा चुकी है ।

श्री दीपनारायण सिंह--

मंत्री जी बता दें इस समय हाईकोर्ट में कितनी अपील्स हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्नों का समय नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इसी के सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कहें, अगर माननीय मंत्री जी उचित समझेंगे तो स्पष्टीकरण करेंगे ।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आप दो जजों की नियुक्ति लखनऊ और इलाहाबाद में करेंगे तो क्या इन दो की नियुक्ति हो जाने के बाद जो हजारों की तादाद में अपीलें पड़ी हुई हैं, चार हजार से ऊपर, उनका निर्णय कितने दिनों में हो जायगा, इस पर भी आपने विचार किया है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसका विधेयक से सीधा सम्बन्ध नहीं है । इसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं अगर आप चाहें ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

एक प्रश्न करना चाहता हूं...

श्री अधिष्ठाता--

आपको बोलने का अधिकार था । उस समय आप खड़े नहीं हुये ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, माननीय मंत्री जी मान लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है । लखनऊ और इलाहाबाद दोनों अलीगढ़, मथुरा, आगरा से बहुत दूर पड़ते हैं । जब आप डिस्ट्रिक्ट जजों को इन अपीलों का अधिकार दे रहे हैं तो हमारे पश्चिम में आगरा या मेरठ में ऐसी व्यवस्था कर दें तो बड़ा अच्छा होगा । मैं समझता हूं मंत्री जी इसको मान लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

इसका विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है । जो बात आपने कही माननीय मंत्री जी ने सुन ली । अगर वे चाहें और आपकी बात ठीक समझें तो उसकी व्यवस्था कर सकते हैं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

जरा उनसे पूछ लीजिये ।

श्री सैयद अली जहीर--

जहां तक इलाहाबाद और लखनऊ का ताल्लुक है यह तो जाहिर है कि जब किसी मुवक्किल ने अपील दायर की होगी तो इस खयाल से दायर की होगी कि उसकी सुनवाई इलाहाबाद या लखनऊ में होगी । यह तो वह समझता नहीं होगा कि आगरा या मेरठ में उसकी सुनवाई होगी । तो लखनऊ और इलाहाबाद में हमने इंतजाम कर दिया । लेकिन आपके सवाल का जहां तक ताल्लुक है मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इतने ज्यादा एरियर्स हो गये हैं, तीन साल कब्ल ३६

हजार एरियर्स थे लेकिन अब वे बढ़ कर ५१ हजार हो गये हैं और जो ६ जजों का एप्वाइंटमेंट हुआ हमने यह तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट के कहने के मुताबिक किया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गलत बात है कि अपीलों की तादाद इतनी बढ़ती चली जाय और उनका फैसला न हो। इसके अलावा और कई कार्रवाइयां की हैं जिससे एरियर्स घटें। यह तो उनमें से एक है। तादाद फिर भी बढ़ती चली जा रही है बावजूद सारी कोशिशों के। तो इसमें और उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३ पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ और १ प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३

(जैसा कि उ०प्र० विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ को संशोधित करने के लिये :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५४

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

(२) यह ३० नवम्बर, १९५४ से प्रचलित हुआ समझा जायेगा।

२—उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) अधिनियम, १९५४ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (१) तथा उपधारा (२) के बीच में निम्नलिखित नयी उपधारा (१-क) बढ़ा दी जाये:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५४ की धारा ३ का संशोधन

"(१-क) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद में, जिसका मूल्यांकन दस हजार रुपये से अधिक न हो, दी गयी मूल डिक्री या आज्ञा के विरुद्ध किसी अपील को अपने अधीनस्थ किसी जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश को संक्रमित कर सकता है।"

३—इस अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पूर्व किया गया कोई ऐसा कार्य या की गयी कोई ऐसी बात, जो इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित होने की दशा में मान्य एवं वैध रूप से की गयी होती, मान्य एवं वैध रूप से की गयी समझी जायगी।

कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २, ३, और १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग मान जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सिविल लाज (सुधार तथा संशोधन) संशोधन विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और साढ़े चार बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय ४ बजकर ६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजकर ३० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

१९६३-६४ का आय-व्ययक

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्रीमन्,

मैं वित्तीय वर्ष १९६३–६४ का बजट प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

गत वर्ष के बजट को प्रस्तुत करते समय मैंने प्रदेश के पुनर्निर्माण तथा उसके जनजीवन में एक नवीन सामाजिक व्यवस्था कायम करने की कतिपय आधारभूत नीतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया था । उस समय यह कल्पना की गई थी कि हमारा प्रदेश अपने वांछित लक्ष्य की ओर शांतिपूर्ण वातावरण में प्रगति करता रहेगा और लोकतंत्र के आधार पर एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास में दूर तक सफल होगा जिसमें राजनीतिक स्वाधीनता के साथ-साथ आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की स्थापना सम्भव हो सकेगी । उस समय हममें से कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि निकट भविष्य में हमारे पावन देश की पवित्र सीमा एक ऐसे देश द्वारा आक्रान्त होगी जिससे हमारा सांस्कृतिक मैत्रीपूर्ण संबंध जो सहस्राब्दियों से रहा है और जो अभी कुछ समय पूर्व तक अपनी मित्रता की घोषणा करते हुये भारत के प्रधान मंत्री द्वारा पुनरुज्जीवित पंचशील के मानवीय सिद्धान्तों में अपना विश्वास प्रकट कर रहा था ।

स्मरण रखने की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमारा देश सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में पूर्ण सहयोग देता रहा तथा अपनी नीति को उस दिशा में अग्रसर करता रहा है जहां पहुंचकर विश्व युद्ध की विभीषिका से मुक्ति पाकर जगत शांति और सहअस्तित्व के आधार पर मंगलमय मानव जीवन की रचना में समर्थ हो सके । इसी कारण अस्त्र शस्त्रों की दौड़ में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय गुटों से अलग रह कर उसने अपनी समस्त शक्ति राष्ट्रों में परस्पर सद्भाव और सहानुभूति स्थापित करने में लगाई । फलतः स्वीकार करते हैं कि यह हमारी कल्पना और हमारे अनुमान से परे था कि हमारी मातृ-भूमि का धवल-मुकुट, नगाधिराज वह हिमालय, जो युग-युग से शान्ति और साधन का प्रतीक रहा है विदेशियों से पदाक्रांत होकर, भीषण रण-भूमि में परिवर्तित हो जायगा ।

यह आक्रमण हमारी मातृभूमि की अखंडता और स्वतंत्र देश के रूप में हमारे अस्तित्व के लिये ही नहीं वरन् हमारी जनतांत्रिक जीवन-पद्धति के लिये भी एक चुनौती है । हमने

इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है। गर्व की बात है कि संकट की इस घड़ी में सारा देश एक साथ जाग उठा है और वह मातृभूमि की एक-एक इंच भूमि की रक्षा करने और आक्रमणकारी को खदेड़ भगाने के लिये दृढ़ संकल्प में रत हो गया है। हमारी जनता ने स्वेच्छापूर्वक जो प्रशंसनीय योगदान दिया है, उससे जनतंत्र तथा उन लक्ष्यों के प्रति हमारा विश्वास और भी सुदृढ़ हो जाता है जो हमने आर्थिक तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के लिये अपने समक्ष रखे हैं।

इस राष्ट्रीय संकट ने हमें यह अच्छी तरह बता दिया है कि भारत की स्वतंत्रता और समृद्धि तथा सम्मान की रक्षा के लिये यह आवश्यक है कि हमारा राष्ट्र सबल और सशस्त्र हो तथा शान्ति की स्थापना के लिये किये जाने वाले हमारे प्रयास की सफलता भी उसी समय संभव होगी जब हम सशक्त और प्रबल राष्ट्र के रूप में अवतरित हों। चीनी आक्रमण का खतरा कब तक बना रहेगा, यह निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता, तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि हमें अपनी सुरक्षा को सुव्यवस्थित करने के प्रयत्न में न तो किसी प्रकार की शिथिलता आने देनी है और न आत्मतुष्टि की भावना से असावधान हो जाना है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम तेजी से अपने को, अपने देश की महानता के अनुरूप, शक्तिशाली बनायें और उसके लिये सभी संभव प्रयास करें।

यद्यपि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर इस राष्ट्रीय संकट का प्रबल प्रभाव पड़ा है तथापि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये उसे उपयोग में लाना ही होगा। हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक कहा है कि विकास योजनाओं को अब अधिक तीव्र गति से चलाना होगा। हमें अन्य दिशाओं की ओर अपना ध्यान बंट जाने की प्रवृत्ति पर भी नियंत्रण रखना है। फलस्वरूप हमें अपनी योजना में इस प्रकार के उपयुक्त परिवर्तन करने होंगे जिससे कि हमें शीघ्र ही वह सफलता प्राप्त हो सके जो हमारी सुरक्षा को दृढ़ करने के लिए आवश्यक है। समूचे देश में उस दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं। एक सीमान्त राज्य होने के कारण हमारे प्रदेश का इस सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि देश की सुरक्षा के सभी प्रबन्धों में उत्तर प्रदेश अपने प्रधान मंत्री के हाथ सदैव बटाता रहेगा।

संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होने के तुरन्त ही बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि सुरक्षा के निमित्त आवश्यक संसाधन जुटाने के लिये विकास प्रयत्नों में कदाचित् कमी करनी पड़ेगी। किन्तु शीघ्र ही यह अनुभव हुआ कि देश के आर्थिक आधार को मजबूत बनाने के लिये खाद्यान्न, विद्युत शक्ति, सभी प्रकार के औद्योगिक सामान आदि के क्षेत्रों मे उत्पादन बढ़ाने तथा कुशल कारीगरों की संख्या में वृद्धि करने के लिये, लगातार प्रयास किये बिना राष्ट्र को सदैव तैयार रखने का कार्य पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये जिस कीमत पर भी सभंव हो, योजनाओं को चालू रखना ही होगा। यह दूसरी बात है कि कुछ योजनाओं के क्रम को या तो नये सिरे से निर्धारित किया जाय अथवा उनकी पूर्वता अन्य प्रकार से निश्चित की जाय अथवा उनमें से कुछ की गति को मंद करके अधिक आवश्यक बातों के लिये आवश्यक बल प्रदान किया जाय। इस श्रेणी में वे योजनायें आ सकती हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अधिक महत्त्व नहीं रखतीं। इन सब बातों का आगामी वर्ष के बजट प्रस्तावों पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है।

वित्तीय वर्ष १९६१-६२ की समाप्ति २ करोड़ ८८ लाख रुपये के राजस्व बचत (revenue surplus) के साथ हुई जबकि उस वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में ४ करोड़ ४९ लाख रुपये के घाटे का अनुमान लगाया गया था। इस बचत में २ करोड़ ३० लाख रुपये की वह धनराशि भी सम्मिलित है जो राजस्व सुरक्षित निधि से पुरांकित (written back) की गई थी। यदि यह धनराशि हिसाब में न ली जाय तो बचत कम होकर केवल ५८ लाख रुपये रह जायेगी। सरकार ने ५ करोड़ २१ लाख रुपये का अनुमानित राजस्व प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त कर लगाये थे। इन करों से होने वाली प्राप्तियों और सामान्य प्राप्तियों में कोई भेद करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक या दो उदाहरणों को छोड़कर, यह कर वर्तमान करों की दरें बढ़ा कर या उनके समायोजन के बाद लगाये गये थे। तथापि इसमें सन्देह

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

नहीं किया जा सकता कि ५ करोड़ २१ लाख के अनुमान की तुलना में शुद्ध अतिरिक्त राजस्व की रकम केवल ४ करोड़ १० लाख ही प्राप्त हुई है। इसमें जो कमी हुई है उसका मुख्य कारण यह है कि ठीक समय पर पर्याप्त वर्षा हो जाने से सिंचाई शुल्क से अपेक्षाकृत प्राप्तियां कम हुईं।

जहां तक चालू वित्तीय वर्ष का संबंध है, मूल बजट में १७८ करोड़ ६ लाख रुपये की अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान १८२ करोड़ ३९ लाख रुपये लगाया गया है, जबकि राजस्व व्यय, जिसका अनुमान १९१ करोड़ ४१ लाख रुपये लगाया गया था, पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर बढ़कर सम्भवतः १९३ करोड़ १६ लाख रुपये हो जायगा। प्राप्तियों में जो बृद्धि होने की संभावना है वह व्यय में भी हुई थोड़ी सी वृद्धि से प्रतिसंतुलित हो जाती है और १३ करोड़ ३५ लाख रुपये का मूल राजस्व-घाटा कम हो कर सम्भवतः १० करोड़ ७७ लाख रुपया रह जायेगा। सरकार ने इस वर्ष जो नये कर लगाये हैं उनसे १३ करोड़ ७ लाख रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। किन्तु आवश्यक विधियों (laws) के देर से पारित होने के कारण यह सम्भावना है कि चालू वित्तीय वर्ष में केवल ४ करोड़ ५७ लाख रुपये की धनराशि वसूल होगी। इस प्रकार राजस्व में १० करोड़ ७७ लाख रुपये का घाटा होना अनिवार्य है। यदि हम पिछली बकाया धनराशियां वसूल कर लेते हैं, जिसके लिये बराबर प्रयत्न किये जा रहे हैं, या व्यय में कोई कमी हो जाती है, जिसका कि अभी कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, तो इस घाटे में भी उसी हद तक और कमी हो जायगी। फिर भी इस घाटे को पूरा करने की व्यवस्था कर लेना जरूरी है। इसलिये यह प्रस्ताव है कि इस घाटे को आवश्यकतानुसार राजस्व सुरक्षित निधि से इतनी ही धनराशि निकाल कर पूरा कर लिया जाय।

वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये राजस्व प्राप्ति का अनुमान २०१ करोड़ ८२ लाख तथा राजस्व व्यय का अनुमान २०६ करोड़ ७९ लाख लगाया गया है और इस प्रकार राजस्व में ४ करोड़ ९७ लाख रुपये का घाटा होगा। अनुमानित राजस्व प्राप्तियों की कुल धनराशि में १७ करोड़ की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार से प्रत्याशित अनुदान के रूप में तथा १३ करोड़ १७ लाख रुपये की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में संदन द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त करों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि के रूप में सम्मिलित है। तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं पर अनुमानित राजस्व व्यय ३४ करोड़ ७९ लाख रुपये होगा। संकटकालीन स्थिति के कारण उत्पन्न मदों, जैसे नागरिक सुरक्षा, होम गार्डों, प्रान्तीय रक्षक दल तथा पुलिस दल को बढ़ाने पर होने वाले व्यय के बजट अनुमानों में ७ करोड़ ९ लाख की धनराशि सम्मिलित की गई है। आयोजनागत योजनाओं से संबंधित अनुदान और व्यय दोनों को छोड़कर वर्ष १९६३–६४ में आयोजना के बाहर कुल राजस्व प्राप्तियों और व्यय के अनुमान क्रमशः १८४ करोड़ ८२ लाख रुपये और १७२ करोड़ रुपये होंगे। इस प्रकार राजस्व के सामान्य संसाधनों से १२ करोड़ ८२ लाख रुपये की बचत हो जायगी जो योजनाओं पर होने वाले व्यय को अंशतः पूरा करने के लिये प्राप्य होगी। यह धनराशि केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले अनुदान को मिलाकर २९ करोड़ ८२ लाख रुपये हो जायगी, किन्तु योजनाओं पर ३४ करोड़ ७९ लाख रुपये का राजस्व व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार लगभग ४ करोड़ ९७ लाख रुपये का घाटा होता है।

बजट वर्ष में कुल आयोजनागत व्यय ९० करोड़ ६४ लाख रुपये होगा। इस धनराशि में विद्युत् परिषद् की २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिलाकर प्रदेश का वार्षिक आयोजना व्यय ९२ करोड़ ६४ लाख रुपया हो जायगा। इस धनराशि में से ५७ करोड़ ६० लाख रुपये की धनराशि केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होगी। शेष ३३ करोड़ ४ लाख रुपये की धनराशि की व्यवस्था राज्य स्वयं अपने ही संसाधनों से कर रहा है। पूंजी व्यय तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों और अग्रिम धनराशियों (advances) के वितरण के लिये शुद्ध व्यव-

स्थित धनराशि ६५ करोड़ ३९ लाख रुपये है जिसमें योजनाओं के लिये अपेक्षित ५५ करोड़ ८५ लाख रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है ।

आयोजना सम्बन्धी व्यय

सदन को मालूम है कि चालू वर्ष में आयोजना पर ८५ करोड़ रुपया व्यय करने की स्वीकृति दी गयी थी । योजनाएं सामान्यतः सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रही थीं । किन्तु संकट-कालीन स्थिति की घोषणा होने पर नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था के लिये संसाधन जुटाने पड़े । इसलिये यह जरूरी हो गया कि जहां कहीं संभव हो व्यय में मितव्ययिता की जाय । मैंने तथा मेरे माननीय सहयोगी नियोजन मंत्री जी ने शासन के अपने अन्य सहयोगियों के साथ मितव्ययिता की इन कार्यवाहियों के बारे में परस्पर विचार-विमर्श किया और इस संबंध में कुछ सिफारिशें कीं । आशा की जाती है कि चालू वर्ष की आयोजना के लिये जो धनराशि निर्धारित की गयी है, उसकी तुलना में सम्पूर्ण व्यय लगभग ५ करोड़ रुपये कम होगा । किन्तु मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने यह प्रयास किया है कि कृषि, सिंचाई, विद्युत्, परिवहन, प्राविधिक प्रशिक्षण तथा इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में उत्पादन के कार्यक्रमों को यथा-वत् जारी रखा जाय ।

प्रारम्भ में जब तीसरी आयोजना तैयार की गई थी तो उसमें वर्ष १९६३–६४ में १०३ करोड़ रुपये से अधिक धनराशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया था । किन्तु अब यह स्पष्ट है कि बजट वर्ष में इतनी बड़ी आयोजना के लिये हमारे पास साधन नहीं हैं । बजट वर्ष के लिये मिलने वाली केन्द्रीय सहायता, जिसका अनुमान पहले ६५ करोड़ रुपये लगाया गया था, अब घटकर ५७ करोड़ ६० लाख रुपये ही होगी । राज्य सरकार को व्यय की बहुत सी नयी मदों को भी पूरा करना है । प्लानिंग कमीशन के साथ जो विचार-विमर्श हुआ उसके आधार पर इन बातों पर विचार करने और राज्य के संसाधनों तथा स्थिति की सावधानी से जांच करने के बाद हमने बजट वर्ष में आयोजना के लिये ९० करोड़ ६४ लाख रुपये की व्यवस्था करने का निश्चय किया है ।

कार्यवाहियां

कृषि उत्पादन

विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों की समीक्षा करते समय कृषि पर सबसे पहले ध्यान जाना स्वाभाविक ही है क्योंकि यही हमारी जनता तथा जीवन-पद्धति का मुख्य आधार है । सदन को विदित है कि कुछ समय से सरकार का प्रयास यह रहा है कि उद्योग की ही तरह कृषि का भी आर्थिक आधार सुदृढ़ हो जाय जिससे किसान अपने रहन-सहन का स्तर ऊंचा कर सके । इस प्रयोजन के लिये मूलरूप से जिन तीन चीजों की सप्लाई किसान के लिये सुनिश्चित करनी आवश्यक है, वे हैं बीज, उर्वरक तथा पानी । इस संबंध में मंत्रि-परिषद् की कृषि उत्पादन उस समिति द्वारा हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं । पिछले वर्ष बीज सहायकों की जो प्रणाली चालू की गई थी उसका अब समस्त राज्य पर उपयोगी प्रभाव पड़ने लगा है । इन बीज सहायकों को अब सहकारी समितियों के माध्यम से ३ रुपये प्रति मन की राज सहायता, यानी subsidy, शुद्ध बीजों की सप्लाई के लिये अधिमूल्य अर्थात् premium के रूप में दी जायगी । यह भी निश्चय किया गया है कि हरी खाद के बीजों का उत्पादन करने वाले किसानों को साढ़े बारह प्रति शत अधिमूल्य दिया जाय, जो कि २ रुपये प्रति मन से अधिक न होगा । अब तक अनेक अभिकरणों (agencies) द्वारा पृथक-पृथक रूप से उर्वरकों का वितरण किया जाता था । इनमें समन्वय की विशेष आवश्यकता थी, जिसे अब हाल ही में कायम किया गया 'कृषि सप्लाई संगठन' स्थापित करेगा । उक्त संगठन यह निश्चित करेगा कि ऐसे क्षेत्रों में भी उर्वरक उपलब्ध हो जांय जहां सहकारी समितियां कार्य नहीं करती हैं । आगामी वर्ष में ४ लाख टन उर्वरक वितरित करने का विचार है । खाद्यान्नों के साथ-साथ तिलहन, जूट तथा

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कपास के उत्पादन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इनके लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं और राष्ट्रीय संकट को दृष्टि में रखते हुये सब्जी-उत्पादन कार्यक्रमों को प्रगाढ़ रूप से चलाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

दूसरी आयोजना के अन्त में हमारे राज्य में लगभग १ करोड़ १८ लाख एकड़ भूमि के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। १९६१-६२ के अन्त तक इनमें लगभग ३ लाख एकड़ की वृद्धि हो गयी और चालू वर्ष के अन्त तक इनमें २ लाख ८३ हजार एकड़ की और वृद्धि हो जाने की संभावना है। बजट वर्ष में लगभग ४ लाख ५६ हजार एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई-साधनों की व्यवस्था किये जाने की सम्भावना है। खेद है कि सिंचाई के साधनों का उपयोग, जिस गति से साधनों की वृद्धि होती रही है, उनके अनुरूप नहीं किया गया। इस-लिये सरकार ने सिंचाई की नालियों का निर्माण शीघ्रतापूर्वक कराने के लिए कानून बनाने का निर्णय किया है जिससे कि सिंचाई की सुविधाओं का अविलम्ब उपयोग हो सके। नल-कूपों के सिंचाई-क्षेत्रों का परिमाण (Command area) कम किया जा रहा है और १० एकड़ क्षेत्र की भी सिंचाई करने वाले छोटे निजी नल-कूपों को बिजली दी जायगी। यह निश्चय किया गया है कि मूंग किस्म १ और ४४, चना और मिश्रित जाति का (हैब्रिड) मक्का, सनई और धैनचा यदि १५ जून के पहले बोया जायेगा तो उनकी सिंचाई के लिये ५० प्रतिशत तक की राज-सहायता दी जायगी।

कृषि संबंधी वस्तुओं की सप्लाई का प्रबन्ध करने में सहकारी समितियां अपना योगदान अच्छी तरह दे रही हैं। चालू वर्ष में उनके ७ लाख और सदस्य बन जायेंगे और यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष भी सदस्यों की संख्या में इतनी ही वृद्धि हो जायगी। उक्त समितियां बजट वर्ष में ४८ करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण वितरित करेंगी। भूमि-संरक्षण कार्य को और तेजी से कराने के लिये उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम के बदले एक नया अधिनियम बनाया जा रहा है।

गन्ने की प्रगाढ़ खेती को प्रोत्साहित करने तथा उसमें 'सुक्रोज' की मात्रा बढ़ाने के लिये सरकार ने एक अग्रगामी योजना तैयार की है जो भारत सरकार को भेजी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मिल क्षेत्रों में प्रगाढ़ खेती के लिये २५ इकाइयां स्थापित की जायंगी जिनमें से प्रत्येक इकाई ४,००० एकड़ की होगी, और इस प्रयोजन के लिये इन इकाइयों में सिंचाई, उर्व-रकों, बीजों एवं संचार-साधनों की अतिरिक्त सुविधायें उपलब्ध की जायेंगी।

पशुपालन कार्यक्रम, कृषि संबंधी व्यवस्था का आवश्यक अंग है। यहां यह बताना जरूरी है कि कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन और ऊन के विकास पर पहले से अधिक जोर दिया जा रहा है। कुक्कुट पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य कुक्कुट पालन फार्मों और कुक्कुट प्रसार केन्द्रों का विस्तार करने का विचार है। बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये २८ चुने हुये खंडों (ब्लाकों) में कुक्कुट पालन कार्यक्रमों को तेजी से चलाया जा रहा है। सेन्ट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ में इस वर्ष मक्खन बनाने का ग्रामीण कारखाना (rural creamery) चालू हो जायेगा और उसमें ७ लाख पौंड मक्खन और ३ लाख पौंड घी तैयार होगा। एक दूसरी योजना के अन्तर्गत सुरक्षा सेवाओं को प्रति मास लगभग १०० टन डिब्बा-बन्द मांस उपलब्ध किया जायेगा।

इस प्रकार यह जाहिर होगा कि सरकार भूमि की पैदावार बढ़ाने के लिये हर प्रकार का उपाय करने के लिये उत्सुक है तथा उसकी आवश्यक व्यवस्था में संलग्न है। तथापि, माननीय सदस्यों से मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं की सफलता के लिये यह जरूरी है कि हमारे राज्य के बहुसंख्यक किसानों में यह भावना पैदा की जाय कि खेती के उन्नत तरीकों तथा खेती के लिये उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना उनके लिये कितना आवश्यक है। इस समय प्रदेश में इस प्रयोजन के लिये ८७५ सक्रिय खंडों के रूप में आवश्यक प्रोन्नतिकारी

(promotional) तथा प्रसार अभिकरण उपलब्ध हैं। प्रान्तीय रक्षक दल का भी ग्रामीण स्वयंसेवक दल के रूप में कार्य करने के निमित्त पुनःसंगठन किया गया है। अन्य कार्यों के साथ-साथ इसका एक कार्य उत्पादन बढ़ाना भी है। इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के द्वारा सभी किसान भाइयों से यह अनुरोध करूंगा कि वे उन अवसरों का, जो पहले से उपलब्ध हैं और जिनका दिन-प्रति दिन प्रसार किया जा रहा है, पूरा-पूरा लाभ उठायें। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रदेश के किसान जिनकी शक्ति और परिश्रम पर हमारा भविष्य आश्रित है इस ओर ध्यान देंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे।

विद्युत् तथा उद्योग

रिहन्द विद्युत् परियोजना पूरी होकर चालू हो गयी है। साथ ही ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा करने वाले हरदुआगंज बिजलीघर (प्रथम चरण) से गंगा-शारदा ग्रिड की बिजली की सप्लाई बढ़ गई है। कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन की १५,००० किलोवाट की प्रसार इकाई भी पूरी हो गयी है। हरदुआगंज में ३०,००० किलोवाट की एक दूसरी इकाई स्थापित करने का कार्य जारी है और रिहन्द में छठी मशीन अधिष्ठापित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रकार राज्य की अधिष्ठापित विद्युत् क्षमता चालू वर्ष के अन्त तक काफी बढ़ जायगी।

राज्य विद्युत् परिषद् गांवों में बिजली लगाने के काम में तेजी लाने के लिये कदम उठा रही है और निजी रूप से बिजली सप्लाई करने वाले उपक्रमों को अधिकार में ले लेने की योजनाओं की प्रगति संतोषजनक है। परिषद् ने हरदुआगंज में दो और इकाइयां स्थापित करने की एक परियोजना बनायी है जिनमें से प्रत्येक में ६०,००० किलोवाट बिजली पैदा की जायगी। यह परियोजना संप्रति भारत सरकार के विचाराधीन है।

बिजली तथा औद्योगिक कच्चा माल अधिक परिमाण में उपलब्ध होने के कारण राज्य के औद्योगीकरण में तेजी लाने की आशाएं और भी अधिक बढ़ गयी हैं।

पिपरी के एल्युमिनियम कारखाने में उत्पादन शुरू हो गया है। बरेली के रबर कारखाने (Synthetic Rubber Factory) में भी चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादन आरम्भ हो जायगा। कपूर तथा संबद्ध माल के कारखाने (Camphor and Allied Products Factory) का कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है और अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में ही उत्पादन आरम्भ हो जायगा। ऋषिकेश का भारी विद्युत् संयन्त्र (Heavy Electricals) तथा प्रतिजीवाणु पदार्थ (Anti-Biotics) कारखाना और वाराणसी की डीजिल लोकोमोटिव वर्क्स जैसी केन्द्रीय सरकार की प्रायोजनायें सन्तोषजनक कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, गाजियाबाद, कानपुर, हरिद्वार, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर और मिर्जापुर में बड़े-बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना कर रहा है। चुर्क के राजकीय सीमेन्ट कारखाने की प्रायोजना प्रायः पूरी हो गयी है और कारखाने में शीघ्र ही प्रति दिन १,४०० टन सीमेन्ट का उत्पादन होने लगेगा। इसके अतिरिक्त चुर्क में भी ऊष्मसह कारखाने (Refractory Factory) के भवन का निर्माण-कार्य, सफेद और रंगीन सीमेन्ट के प्लान्ट और हाई एल्युमिना सीमेन्ट प्लान्ट का निर्माण-कार्य अगले वर्ष तक पूरा हो जाने की आशा है। राजकीय सूक्ष्म यंत्र निर्माणशाला (Government Precision Instruments Factory) की क्षमता तिगुनी की जा रही है और वह इससे भी अधिक बढ़ाई जा सकती है। जिला औद्योगिक आस्थानों का निर्माण अब कतिपय अवस्थाओं में हो रहा है और संकटकालीन स्थिति पैदा होने के कारण उनको शीघ्र पूरा करने तथा उद्योगपतियों में इकाइयों का बटवारा करने के कार्य को पूर्वता दे दी गयी है।

संचार साधन

संकटकालीन स्थिति के कारण सड़क निर्माण कार्यक्रमों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जितने मील सड़कें बनाने का लक्ष्य

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

निर्धारित किया गया था उससे हम कुछ अधिक ही बना चुके हैं। संभवतः सड़क योजनाओं से सम्बन्धित आयोजना-व्यय अनुमानित व्यय से काफ़ी बढ़ जायगा। बजट वर्ष में सड़कों तथा पुलों के कार्यक्रम के लिये, लगभग ६ करोड़ ५५ लाख रुपये की धनराशि नियत की गई है। उसमें उत्तराखंड सम्मिलित नहीं है। इस कार्यक्रम में समस्त सहायक तथा मुख्य मार्गों पर पुलों का तेजी से निर्माण करना, महत्वपूर्ण सड़कों का आधुनिकीकरण तथा उन्हें चौड़ा करना और विशेषकर पिछड़े हुए इलाकों में नयी सम्बद्ध सड़कों (link roads) का निर्माण करना सम्मिलित है।

शिक्षा

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं खासकर उन कार्यवाहियों का जिक्र करूंगा जो हाल में प्राविधिक जनशक्ति को बढ़ाने के लिये की गई हैं। माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि राज्य में कुशल जनशक्ति, विशेषकर इंजीनियरों, डाक्टरों तथा शिल्पियों की कमी है। सशस्त्र सेनाओं और साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा कुशल जनशक्ति के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए प्राविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने से सम्बन्धित सुविधाओं की समीक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में कई आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि इंजीनियरिंग कालेजों तथा चिकित्सा संस्थाओं में प्रवेश चहाने वाले योग्य छात्रों को छात्र-वृत्तियां देने के लिये चालू बजट वर्ष में रखी गयी २ लाख रुपये की धनराशि को बढ़ा कर बजट वर्ष में ५ लाख रुपये कर दिया जाय। रुड़की के इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में योग्यता एवं साधन छात्र-वृत्तियों की संख्या बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कदम उठाये गये हैं। ऐसी सुविधायें मोतीलाल नेहरू मेमोरियल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, में पहले से ही उपलब्ध हैं। यही सुविधायें गोरखपुर के इंजीनियरिंग कालेज और आवश्यकतानुसार प्रदेश की ऐसी ही अन्य संस्थाओं में भी दी जायंगी। डाक्टरों की कमी के कारणों की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High Power Committee) शीघ्र ही अपना विचार-विमर्श समाप्त कर देगी। इस बीच शिक्षा की प्रगति के लिए जो कतिपय निर्णय लिये गये हैं, उनमें एक यह भी है कि आगरा, कानपुर, लखनऊ तथा इलाहाबाद के चार मेडिकल कालेजों में भरती किये जाने वाले छात्रों की संख्या में आगामी सत्र से २५ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय। माननीय सदस्य यह भी देखेंगे कि मेडिकल कालेजों के जरूरतमंद छात्रों के लिये ऋण देने के हेतु बजट साहित्य के खण्ड ३, अर्थात् नई मांगों की अनुसूची में विशेष व्यवस्था की गई है। अलीगढ़ में जो मेडिकल कालेज खुलने वाला था और जिसमें ५० छात्र भरती किये जाने वाले थे, खुल चुका है और मेरठ में भी एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कालेज के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य करने के लिए बजट में व्यवस्था कर दी गई है। इसके अलावा दन्त चिकित्सा तथा अन्य विषयों के, जिनमें रक्त-बैंक सम्बन्धी प्रविधि भी सम्मिलित है, विशेष पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की व्यवस्था भी की गई है।

रुड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा दयालबाग (आगरा) के प्राविधिक प्रशिक्षण कालेज में भरती किये जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित पोलीटेक्निक्स में भी, संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षाकृत अधिक संख्या में प्रशिक्षार्थी भरती किये जायेंगे और डिप्लोमा के लगभग २५० विद्यार्थी एक वर्ष पहले ही यह प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे।

केन्द्रीय सरकार की सहायता से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ने भी प्रशिक्षण की गति बढ़ा दी है। इस महीने से ६ मास की अवधि की अल्पकालीन प्रशिक्षण कक्षायें भी चालू कर दी गई हैं। प्रथम शिक्षा-सत्र के लिये भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को २७७६ स्थान प्रदिष्ट किये हैं। अगस्त, १९६३ से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा-सत्र में इस संख्या में और वृद्धि

हो जाने की सम्भावना है। अलीगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर में ५००० ड्राइवरों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है, और मेरठ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वायरलेस आपरेटरों के प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

संकटकालीन स्थिति को देखते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों में खासकर विज्ञान की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पर्वतीय जिलों में जिनमें उत्तराखंड तथा अन्य पिछड़े हुए क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, विशेषकर और सामान्यतः प्रदेश की माध्यमिक तथा उच्चतर कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा के लिये दिये जाने वाले सहायक अनुदान में वृद्धि की जा रही है। विश्वविद्यालयों को इस बात की अनुमति दी जायगी कि वे बजट वर्ष में एम० एस-सी० में भरती होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ५० प्रतिशत बढ़ा लें। इससे शिक्षा-संस्थाओं के लिये पर्याप्त संख्या में विज्ञान के अध्यापक मिलने में सहायता मिलेगी। सैनिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है। नेशनल कैडेट कोर में ८८,००० कैडेट भरती करने का निश्चय किया गया है, जिसमें से २४,००० कैडेट पहले ही भरती हो चुके हैं। प्रान्तीय शिक्षा दल में भरती होने वाले छात्रों की संख्या में १५,००० की वृद्धि की जायेगी, जिससे कि जिले के नगरों (headquarter towns) में इंटरमीडिएट के ऐसे सभी छात्र भरती किये जा सकें जो इसमें भरती होने के पात्र हों। स्काउटिंग के निमित्त अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश भारत स्काउट तथा गाइड संगठन को दिये जाने वाले अनुदान में एक लाख रुपये की वृद्धि की गयी है।

नागरिक सुरक्षा

राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने पर राज्य के २७ जिलों के वर्गीकृत शहरों में नागरिक सुरक्षा योजना लागू की गयी है। चुने हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये लखनऊ में एक नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये व्यक्ति जिलों में नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य करेंगे। ४० और ७९ व्यक्तियों की दो टोलियां अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं और ८० व्यक्तियों की एक तीसरी टोली शीघ्र ही प्रशिक्षण शुरू करने वाली है।

प्रान्तीय रक्षक दल का पुनस्संघटन किया गया है। यह दल ग्रामीण सुरक्षा, उत्पादन तथा बड़े पैमाने पर शिक्षा देने का त्रिमुखी कार्यक्रम सम्पादित करेगा। नयी योजना के अधीन प्रत्येक पंचायत का, प्रान्तीय रक्षक दल का, अपना एक अलग अनुभाग (section) होगा, जिसका उपयोग ग्रामीण स्वयंसेवक दल (Village Volunteer Force) के रूप में किया जायेगा। प्रत्येक पंचायत एक सुरक्षा श्रम बैंक (D fence Labour Bank) का भी संगठन करेगी। सीमावर्ती जिलों में नागरिक सुरक्षा की कार्यवाहियों को तेजी के साथ करने और खासकर नागरिकों को बन्दूक चलाने और इसी प्रकार की अन्य शिक्षा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिये तीन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है जहां एक समय में १२० व्यक्तियों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे ही तीन और केन्द्र शीघ्र ही स्थापित किये जायेंगे।

प्रदेश के अन्य भागों में स्वस्थ नागरिकों को राइफल ट्रेनिंग देने का भी प्रबन्ध किया गया है और २७ जिलों के वर्गीकृत नगरों में कुल मिलाकर १०८ केन्द्र स्थापित किये गये हैं। शीघ्र ही ऐसे केन्द्र अन्य जिलों में भी खोले जायेंगे। इन केन्द्रों में ६०-६० व्यक्तियों की टोलियों को १५–१५ दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब तक १९,५५६ व्यक्ति अपना प्रशिक्षण समाप्त कर चुके हैं और ५,३८६ व्यक्ति इस समय प्रशिक्षित हो रहे हैं।

राज्य के नागरिक तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में पुलिस के सहायक दल के रूप में कार्य करने तथा सामान्यतः आंतरिक सुरक्षा को बनाये रखने में सहायता देने के उद्देश्य से होम गार्ड्स संगठन की भी स्थापना की जा रही है। होम गार्ड, जनता को किसी भी आकस्मिक

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

संकट , जैसे हवाई हमले, आग लगने, बाढ़ आने तथा महामारी आदि फैलने के समय सहायता देगा, और राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यों को करने के लिए संकटकालीन दल की व्यवस्था करेगा ।

वर्तमान संकटकाल में राज्य की पुलिस का दायित्व और भी बढ़ गया है क्योंकि हमारी सीमा चीन की सीमा से मिली हुई है । हमारा पुलिस दल सीमावर्ती जिलों में बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहा है, पर इन कठिनाइयों के बावजूद उनकी कार्य-कुशलता तथा उच्च मनोबल बना हुआ है । वे हमारी बधाई के पात्र हैं । इस संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिये हमारे पुलिस दल की संख्या बढ़ा दी गयी है और शस्त्रों तथा वाहनों से पूर्णतया सुसज्जित प्रादेशिक सशस्त्र कान्स्टेबुलरी की नयी बटालियनें बनाने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं । अधीनस्थ पुलिस दल में भी लगभग २,००० व्यक्ति बढ़ाये जाने का निश्चय किया गया है । सहायक पुलिस महानिरीक्षक का एक पद सृजित किया गया है जिसका मुख्यालय चमोली में होगा । पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल के पहाड़ी जिले अब पृथक्-पृथक् पुलिस जिले बना दिये गये हैं । नाजायज रेडियो ट्रांसमिटरों का पता लगाने के लिये भी विशेष प्रबन्ध कर दिया गया है और इस प्रयोजन के लिये विशेष प्रकार की सज्जा दे दी गयी है ।

सरकार ने प्रदेश में एक दूसरा सैनिक स्कूल खोलने का भी निश्चय किया है जो सुरक्षा मंत्रालय की योजना के अधीन संचालित होगा । इसके अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं में आपात-कालीन (Emergency) कमीशन के पद प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिये एक प्रशिक्षण स्कूल खोलने का भी निश्चय किया गया है ।

नेशनल कैडेट कोर और प्रान्तीय शिक्षा दल में और अधिक भर्ती करने के लिये जो कदम उठाये गये हैं, उनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं । मुझे आशा है कि हमारे राज्य के नवयुवक इन सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठायेंगे और देश की सुरक्षा के लिये बड़ी संख्या में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होंगे ।

वर्तमान स्थिति का सामना करने और देश की रक्षा के हेतु महान त्याग करने के लिये नवयुवकों से अनुरोध करते समय मैं उन कार्यवाहियों का भी जिक्र करना चाहता हूं जो हमारे जवानों द्वारा की गयी प्रशंसनीय सेवाओं को प्रतीकमात्र मान्यता देने के लिये राज्य सरकार कर रही है । सदन को कदाचित् यह जानकारी होगी कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि सेना में सभी पदों पर कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश के ऐसे सैनिकों को वार्षिकी (annuity) दी जाय जिनकी चीन के विरुद्ध लड़ाई में वीरता प्रमाणित हुई हो । यह सालाना पेंशन परमवीर चक्र पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये ६०० रुपये, महावीर चक्र पाने वाले के लिये ३०० रुपये और वीर चक्र पाने वाले के लिये १५० रुपये प्रति वर्ष होगी ।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि सेना में नान-कमीशंड सैनिकों के बच्चों को हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा दी जाय । युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुये तथा अपंगता-प्राप्त सैनिकों के आत्मजों को यह सुविधा विश्वविद्यालय में डिग्री के स्तर तक दी जायगी । इसके अलावा जवानों के आत्मजों को सरकार ने सुविधाजनक शर्तों पर बिना व्याज तकावी देने का भी निश्चय किया हैं । जवानों के परिवारों को जो राज्य में निवास करते हैं अस्पतालों तथा दवाखानों में इलाज कराने में प्राथमिकता दी जायेगी । भारतीय सैनिक वादकरण नियमों (Indian Soldiers Litigation Rules) में संशोधन कर दिया गया है और यह निश्चय किया गया है कि भूदान-भूमि जवानों तथा उनके परिवारों को प्रदान की जायेगी ।

मैं यहां पर मद्यनिषेध के सम्बन्ध में सरकारी नीति का भी जिक्र करना चाहूंगा जिससे कि इस बारे में जो गलतफहमियां पैदा हो गयी हैं, वे दूर हो जायं । अब तक राज्य सरकार ने सीमित

मद्यनिषेध की नीति अपनायी थी जिसके अन्तर्गत केवल ११ जिलों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया था। शेष जिलों में शराब पीने पर वस्तुतः कोई भी प्रतिबन्ध नहीं था। इसका परिणाम यह हुआ है कि राज्य की समस्त मद्यनिषेध योजना असन्तोषजनक रही। इसलिये सरकार ने स्थिति पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और अब उसने यह निश्चय किया है कि सभी जिलों में युक्तिसंगत आधार पर मद्यनिषेध लागू किया जाय। इस नयी योजना के अनुसार, राष्ट्रीय छुट्टियों तथा कुछ त्यौहारों के अलावा निर्दिष्ट दिनों में भी मद्यनिषेध सभी जगह समान रूप से लागू किया जायगा। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों तथा धार्मिक महत्व के कुछ नगरों, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, बृन्दावन और वाराणसी में मादक द्रव्यों की सप्लाई तथा प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए कतिपय कदम उठाने का निश्चय किया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार का कदापि यह इरादा नहीं रहा है कि देश में मद्यनिषेध की सामान्य नीति के विपरीत कोई कार्य किया जाय, और जनता की मादक द्रव्यों के सेवन की बुरी लत को छुड़ाने के प्रयास बराबर किये जाते रहेंगे।

मितव्ययिता

माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि गत वर्ष बजट पर हुये वाद-विवाद का उत्तर देते हुये तथा अनुपूरक अनुमानों पर विचार-विमर्श के दौरान में, मैंने कहा था कि सरकार सदन द्वारा स्वीकृत समस्त निधियों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का भरसक प्रयास करेगी। वास्तव में जहां तक मेरे अधिकार में है, यह सुनिश्चित करना मेरा कर्त्तव्य ही है कि धन का फजूलखर्च तथा अपव्यय न हो। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने तथा मेरे माननीय सहयोगी, नियोजन मंत्री ने चालू वर्ष के लिये सदन द्वारा स्वीकृत धनराशियों की इस उद्देश्य से जांच की कि जहां कहीं सम्भव हो, उनमें मितव्ययिता की जाय। हमने इन विषयों के सम्बन्ध में शासन के अपने अन्य सहयोगियों से भी विचार-विमर्श किया और कतिपय निर्णय भी लिये। इनमें से महत्वपूर्ण निर्णय ये हैं कि विधि आयोग का कार्य स्थगित कर दिया जाय, आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल को बन्द कर दिया जाय, जिला गजेटियरों का कार्य केवल ऐसी हस्त-लिपियों के मुद्रण तक ही सीमित रखा जाय जो पहले से तैयार हो चुकी हैं। इस प्रकार विभिन्न पद-क्रमों के लगभग ४५० पदों के फाजिल हो जाने की सम्भावना है पर इन कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा कार्य में लगा दिया जायगा।

संकटकालीन स्थिति की घोषणा होते ही इस आशय के आदेश जारी किये गये कि आकस्मिक व्यय के माध्यम से किये जाने वाले व्यय को सीमित कर दिया जाय। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता होती है कि ये सब कार्यवाहियां करने के फलस्वरूप मेरा विभाग विभिन्न विभागों के मरम्मत, भत्ते, आकस्मिक व्ययों इत्यादि के अनुमानों में ५८ लाख रुपये से अधिक धनराशि की बजट वर्ष के तखमीनों में कटौती करने में समर्थ हो सका है। मितव्ययिता के कारण बजट में लगभग १ करोड़ २५ लाख रुपये की कटौती की गयी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे समय जब कि हम विकास-सम्बन्धी कार्य-कलापों को अभूतपूर्व पैमाने तथा वेग से पूरा करने में लगे हुये हैं, सार्वजनिक प्रशासन पर दिन-प्रति-दिन होने वाले व्यय में मितव्ययिता को स्पष्ट रूप से दिखलाना सम्भव नहीं है। सदन विश्वास रखे कि हम मितव्ययिता को एक निरन्तर चलने वाली योजना समझते हैं और व्यय को उस हद तक रोकने का प्रयत्न करते हैं, जहां तक कि उसका कार्यकुशलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि मितव्ययिता के विषय में हम लोग वास्तव में असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। एक ओर हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम तथाकथित फजूलखर्ची होने देते हैं, तो दूसरी ओर यह कहा जाता है कि हम प्रगति में बाधा डालते हैं। श्रीमन्! यदि मैं यहां पर यह कहूं तो अतिशयोक्ति न होगी कि ऐसे मौके पर हमें बाजीगर के रस्से पर चलने का आभास होता है। यद्यपि हम इस नटकला में प्रवीणता का दावा नहीं कर सकते तब भी इतना तो कह ही सकते हैं कि हम इसे काफी सावधानी तथा कुशलता से सम्पादित करने का प्रयास करते हैं।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

संसाधन

अब मैं बजट वर्ष के लिये अपने अनुमानों में होने वाले प्रत्याशित राजस्व घाटे को पूरा करने के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के सम्बन्ध में बताना चाहूंगा, जोकि एक अप्रिय बात समझी जाती है। मैं जानता हूं कि इस सम्बन्ध में संभवतः मुझ पर यह आरोप लगाया जायगा कि मैंने प्राप्तियों का अनुमान कम और व्यय का अनुमान अधिक लगाया है। किन्तु मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि बात ऐसी नहीं है। इसके प्रमाण में, मैं केवल चालू वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों में घाटे की असाधारण वृहत् धनराशि का जिक्र करता हूं जिसकी पूर्ति के लिये हमें बाध्य हो कर राजस्व सुरक्षित निधि में बची हुई अपनी थोड़ी-सी धनराशि में से रुपया निकालना पड़ रहा है।

मैं सदन का आभारी हूं कि उसने उन सभी कार्यवाहियों को स्वीकृत किया जो चालू वर्ष में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये उसके समक्ष प्रस्तुत की गई थीं और इन उपायों के परिणामस्वरूप हमारी जनता को जो त्याग करने पड़ेंगे, उन्हें भी मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं प्रदेश के गरीब किसानों का और जनता के उन वर्गों का, जो उतने खुशहाल नहीं हैं, विशेष रूप से कृतज्ञ हूं, जिन्होंने इस भार को वहन करना जनहित में स्वीकार कर लिया है, और साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा निधि में भी जी खोल कर धन दिया है। अच्छा होता यदि उनका अनुकरण बड़े-बड़े धनीमानी व्यापारी व्यवसायी लोग भी करते, जिन्होंने सुरक्षा निधि में अपनी हैसियत के अनुसार धन देना तो दूर रहा, सरकार की बकाया धनराशियां भी अदा नहीं कीं। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि वे सरकार को अपनी बकाया धनराशियां वसूल करने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये बाध्य न करें। हमें यह याद रखना चाहिये कि वर्तमान संकटकालीन स्थिति के कारण आर्थिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो गयी है। यदि हम इस परिस्थिति का सामना करने के लिये तैयार न होंगे और दी गयी चुनौती का पूर्ण दृढ़ता से सामना न करेंगे तो हमें निकट भविष्य में स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था (self generating economy) स्थापित करने के अपने लक्ष्यों की पूर्ति की आशा छोड़ देनी पड़ेगी। इसलिये विवश हो कर ही मुझे सदन के समक्ष अतिरिक्त निधियों की मांग प्रस्तुत करनी पड़ रही है। राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिये बजट वर्ष के दौरान में अतिरिक्त कर लगाने से सम्बन्धित प्रस्ताव सदन के समक्ष यथासमय प्रस्तुत किये जायेंगे। मुझे पूरी आशा है कि माननीय सदस्यगण उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में सरकार को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

अन्त में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। सद्यः स्वतंत्र हुए राष्ट्र की सम्पन्नता के लिये प्रयास करने का उत्तरदायित्व तो हम पर था ही, अब राष्ट्रीय सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा करने का सर्वोत्कृष्ट और सर्वप्रथम उत्तरदायित्व भी हम पर आ पड़ा है। हम सब को यह दोहरा बोझ उठाने के लिये अग्रसर होना होगा और यह मान कर चलना होगा कि किसी भी महान् और स्वतंत्र राष्ट्र के जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियों में यात्रा करने के अवसर अनिवार्यतः आ ही जाते हैं। अवसर के अनुकूल ऊंचे उठने में ही राष्ट्रों के जीवन और उनके गौरव की रक्षा होती है और इसी प्रकार वे इतिहास में प्रेरणा के श्रोत बन जाते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और मिलजुल कर हंसते-हंसते कठिनाइयों का सामना करने में सफलता प्राप्त करेंगे।

अपने वक्तव्य को समाप्त करने के पूर्व मुझे अपने उन सहयोगियों को धन्यवाद देना है जिनके कठिन परिश्रम और पूर्ण सहयोग के बिना वित्तीय वर्ष के बजट को प्रस्तुत करना सम्भव न होता। हमारे वित्त सचिव, श्री भिडे, की योग्यता, कार्यक्षमता और वित्त विभाग को सुचारु-रूप से संचालित करने में सफलता सराहनीय रही हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पुनः वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, श्री दवे, उप-सचिव, सर्वश्री भरत नारायण, जैन, राय, वीरेन्द्र और विश्वनाथ प्रसाद, तथा विभाग के अन्य अधिकारीगण व कर्मचारीगण के प्रति कृतज्ञ हूं

जिन्होंने दिन-रात परिश्रम कर के हमारे बजट को बनाया और इसे प्रस्तुत करने में मुझे सहायता प्रदान की।

मैं भाषा विभाग तथा गवर्नमेन्ट प्रेस के उन अधिकारियों और कर्मचारियों का भी आभारी हूं जिन्होंने बजट के प्रकाशन में अथक परिश्रम किया है।

श्रीमन्,

मैं १९६३–६४ का बजट पेश करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २० मिनट पर अगले दिन के १०, १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
१५ फरवरी, १९६३।

देवकीनन्दन मिश्रथल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७५५ पर)

नाम तहसील	१९५९–६०		१९६०–६१		१९६१–६२	
	संख्या मुअत्तल	संख्या बहाल	संख्या मुअत्तल	संख्या बहाल	संख्या मुअत्तल	संख्या बहाल
१	२	३	४	५	६	७
सदर (गोरखपुर) ..	८	६	१०	९	३	२
फरेन्दा	६	६	७	४	१०	६
महराजगंज ..	५	५	७	७	..	..
बांसगांव	२	२	३	३	५	५

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६० पर)

No. IB-3382/VI-18

From

SRI S. N. SHARMA, M.A., L.T.,
SECRETARY,
BOARD OF HIGH SCHOOL AND INTERMEDIATE EDUCATION,
U. P., ALLAHABAD.

To

THE HEADS OF RECOGNISED INSTITUTIONS,
UTTAR PRADESH.

Dated Allahabad, January 1, 1963.

Subject: **Concessions to the candidates appearing at the 1963 Examinations**

SIR/MADAM,

IN continuation of this office circular letter no. B-3091/VI-18, dated November 10, 1962, granting certain concessions to candidates appearing at the Board's Examinations of 1963, I have to say that the Board has been pleased to give further concessions to the candidates of the Scientific and Agricultural groups and has allowed certain concessions to the candidates of the remaining groups also who are appearing at the High School Examination of 1963. These concessions are as follows :

HIGH SCHOOL EXAMINATION OF 1963
Literary Group

(1) The candidates will appear in all six subjects but will be required to pass in the three compulsory subjects and any two of the three optional subjects.

(2) This subject in which failure is to be ignored would be the optional subject in which the candidate gets the lowest marks. However, if a candidate gets pass marks, i.e. 33 per cent or above in this optional also, a mention of it will be made in his certificate.

(3) The division shall be determined in the following manner :

First Division—60 per cent or above marks in the aggregate of the marks of six subjects (i.e. 360 marks or above).

Second Division—Between 45 and 60 per cent marks in the aggregate of the marks of six subjects (i.e. from 270 to 359 marks).

Third Division—Rest of the candidates who pass.

NOTE—Division, compartment and merit, etc., will be determined on the basis of the aggregate of six subjects.

B—Scientific and F—Agricultural Groups

As communicated earlier, the minimum pass marks in the optional subject (other than Science and Biology for the Scientific Group and Agriculture for the Agricultural Group) shall be 22 per cent.

The further concession is hereby given that if a candidate fails to secure 22 per cent marks in that optional subject but passes in the remaining subjects, he will still be declared to have passed, but a mention of that optional subject will not be made in his certificate.

For division, merit and compartment, etc., rules as stated for the Literary Group above, shall apply.

C—Commerce and E—Aesthetic Groups

The same concession will be given as is given for the Literary Group. However, this concession of ignoring a failure in one optional subject will be confined only to the optional offered out of the permissible optional subjects from the Literary Group.

D—Constructive Group

The same concession will be given as is given for the Literary Group. However, this concession of ignoring a failure in one optional subject will be confined only to the option offered out of the permissible optional subjects from the Literary/Scientific Group.

High School (Technical)

The concession remains the same as given in the circular no. B. 3091/VI-18, dated November 10, 1962, referred to above.

Yours faithfully,

(Sd.) S. N. SHARMA,
Secretary.

No. B-3382(1)/VI-18 of date

COPY forwarded to the following for information and necessary action—

(1) Additional Director of Education, U. P., Allahabad.

(2) Deputy Director of Education (Training), Headquarter, U.P., Allahabad.

(3) Deputy Directors of Regions, Uttar Padesh.

(4) Regional Inspectresses of Girls' Schools, Uttar Pradesh.

(5) District Inspectors of Schools, U. P.

(6) Personal Assistant to the Director of Education, U. P., Lucknow.

(7) Principals, Government Training Colleges, U. P., Lucknow and Allahabad.

S. N. SHARMA,
Secretary.

नत्थी 'ग'

दूकानों की संख्या व लाइसेंस फीस की रकम

नाम जिला व स्थान		संख्या दूकान शराब	कुल लाइसेन्स फीस	संख्या दूकान भांग	कुल लाइसेन्स फीस	संख्या दूकान ताड़ी	कुल लाइसेन्स फीस
१		२	३	४	५	६	७
			रु०		रु०		रु०
१—कानपुर	..	८१	११,११,८००	६७	१,३७,६००	२२	३,२७,२५०
२—फर्रुखाबाद	..	४४	१,४६,६६०	४४	१३,३१०	६७	७१,५००
३—एटा	..	२७	७१,२००	२४	५,५२०	१२	८,१००
४—बदायूं	..	३७	६७,५७५	३५	४,०००	२	२०,७००
५—मैनपुरी	..	३४	८५,६००	३०	१२,४००	३७	२५,६२०
६—उन्नाव	..	६७	१,१६,१००	६२	२६,६५०	३७	६४,२५०
७—रायबरेली	..	६६	६७,१२५	६६	२३,१५०	३	१०,६५०
८—सुल्तानपुर	..	५०	४०,६७५	४७	८,८५०	७	५,३५०
९—प्रतापगढ़	..	५४	४६,५५०	५४	१४,२८०	३	१,६००
१०—फतेहपुर	..	३६	७५,५००	३८	१८,६३५	१	३,०००
११—जौनपुर	..	५४	१,५३,०५०	५४	३१,५००	१४	५०,६५०
१२—हरद्वार	..	१	४२,०००	३	३,५५०	..	..
१३—ऋषिकेश	..	..	..	..	कोई दूकान नहीं	..	..
१४—बृन्दावन	..	१	६,५००	२	२,७००	..	..
योग	..	५५५	२०,६३,६६५	५२६	२,६५,४४५	२०५	६,१८,६७०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—३१८ एल० ए० १६६३ (प्रो०)—८५० ।